संलग्नक – 11

Govt. of India Ministry of Environment & Forests (FC Division) , New Delhi Leter No- F.No-8-61/1999 FC, Dated-23rd January, 2013

Compliance of Forest Clearance Gola River

DLM Gaula Uttarakhand Forest Corporation submitted the compliance report vide letter no. 1516 dated 25.01.2023

(i)	Legal status of the diverted forest land shall remain unchanged.	It is being complied with by the user agency.
(ii)	Compensatory afforestation over the degraded forest land equal in extent to the forest land being diverted shall be raised and maintained by the State Forest Department from funds realised from the User Agency.	It is being raised and maintained by Uttarakhand Forest Department. CA against the transferred land has been carried out in an area of 1323.35 ha. degraded forest till year 2022-23. A total of 174.00 ha. of degraded forest area has been proposed for plantation in Tarai East Forest Division for the year 2023-24 against the remaining target of 173.65 ha. A complete list of CA plantations done so far and proposed plantations with division wise and site wise details is annexed to the covering letter.
(iii)	The State Government shall realise from the user agency the additional amount of NPV, if so determined, as per the final decision of the Hon'ble Supreme Court of India and transfer the same to the ad-hoc CAMPA.	As per the reply submitted by the user agency, no additional amount of NPV is determined as per the order of the Hon'ble Supreme Court dated-28-3-2008.
(iv)	The user Agency shall obtain the Environment Clarence as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if required.	As per the reply submitted by the user agency, environment Clearance has been obtained vide MoEF letter no-11015/353/2009 dated-13-4-2011 & Extension of validity letter no-J-110105/363/2009-IA.II(M), dated- 1-3-2021 by the user agency that i.e. Uttarakhand Forest Development Corporation .
(v)	The State Government and the user agency shall work with local residents of Bindu-Katha to give safe and interrupted passage to the wild animals passing through the Gola corridor expedite payment of compensation in case of any damage to property etc. and generally increases awareness of the methods of co-existence of man and wildlife.	A total area of 2.5 km. has been maintained in the form of elephant corridor. The officers and the front line staff is continuously working with the local residence of bindukhatta and adjoining areas for safe and interrupted passage to the wild animals passing through the Gola corridor. The compensation regarding man animal conflict has been taken at priority and regular patrolling is being conducted in the area to mitigate man animal conflict incidents. The condition is reviewed by the monitoring committee every year under the chairmanship of PCCF (HoFF) Uttarakhand. Every efforts is being made at the field level to ensure peaceful co-existence of man and wildlife in the area.
(vi)	The State Government shall not allow any new facility/structure within the Gola corridor to ensure its restoration in future. The State Government shall also ensure that the boundary of the ITBP battalion headquarters be shifted towards south so as to ensure that it is located entirely on southern side of the Gola corridor and that the corridor is maintained free of fresh obstruction from the Highway/ Railway line upto the Bindu-Katha settlement.	The condition has been complied and reviewed every year by the monitoring committee. No new facility/structure has been allowed in Gola corridor. The ITBP battalion headquarters halduchaur has been shifted towards south. A total of 36 ha. area was transferred to ITBP vide regional office lucknow letter no. 8B/UCP/253/2007/FC/57 dated 11.04.2008. An amendment proposal to shift ITBP headquarters towards south was submitted to regional office (central) lucknow vide APCCF/Nodal Officer Uttarakhand letter no. 2018/1G-2063 dated 22.03.2012 ***Annexure-11(1)*** in which a total of 17.329 ha. forest land was vacated in the north for elephant/wildlife passage and an equivalent area was proposed on the southern side. The detailed amended proposal along

Scanned by TapScanner

11

		with Geo reference map was submitted by DFO Tarai East vide letter no 2594/12&1 dated 14.02.2012 ***Annexure-11(2).*** The amended proposal of 36 ha. was finally granted permission vide regional office (central) lucknow vide letter no. 8B/UCP/09/47/2012/FC/352 dated 03.06.2013 ***Annexure-11(3).*** Therefore a total of 17.329 ha. area has been vacated for Gaula Corridor.
(vii)	To eliminate disturbance from collection of minor minerals on movement of wild animals along the Gola corridor, collection of minor minerals in a 2.50 km long stretch the river bed located on the Gola corridor shall be prohibited. However in case it is observed the non-collection of minor mineral from the corridor results in major floods Department and representative of the Chief Wildlife Warden may undertake periodic accelerated collection(during the period having least frequency of wildlife movement) of minor minerals from said stretch of the river bed, to maintain river geometry.	The mining is strictly prohibited in 2.50 km stretch of Gola corridor by the User Agency. The area has not been taken for periodic accelerated collection of minor minerals in the last 10 years.
(viii)	To restore the functionality and utility of the migratory corridor linking Corbet Tiger Reserve with the Pawalgarh Conservation Reserve, the State Government may explore feasibility to relocate the settlements from the Sundarkhal Village by using State CAMPA funds.	Village Sundarkhal is located more than 50 kms. away from the land being consider for transfer in Ramnagar Forest Division. DFO Ramnagar vide letter no. 1558/12-1 dated 25.01.2023 has submitted the present status of the case which is annexed as ***Annexure-11(4).***
(ix)	The State Government shall constitute committee under Chairmanship of the Principal Chief Conservator of Forest, Government of Uttarakhand and having the representative of the Ministry of Environment & Forests, Wildlife Institute of India and NGOs such as WWF-India, WTI, IUCN etc. as its members, before start of mining/collection of minor minerals, to review annually the status of compliance of the stipulated conditions and issue appropriate direction to the user agency in case of any deviation as well as any hazard due to non- removal of minor minerals from the protected corridor. The collection of miner minerals after 31st day of January in a year shall be allowed only after receipt of certificate from the Monitoring Committee that the conditions, stipulated in the approval accorded under the Forest (Conservation) Act, 1980 and the instructions issued by the Monitoring Committee have satisfactory been complied in collection of the minor minerals during the previous calendar year.	The State Government vide letter no. 14-1/X-3-13-08(14)/2009 dated 29.01.2013 has constituted a monitoring committee under the Chairmanship of the Principal Chief Conservator of Forest, Government of Uttarakhand ***Annexure-11(5)***. The committee reviews annually the status of compliance of the stipulated conditions. The minutes of the meeting of the committee have already been forwarded in compliance EDS dated 14.12.2022 and are resubmitted as ***Annexure-11(6)***.
(x)	To ensure extraction of minor minerals in a sustainable manner, the user agency shall formulate a transparent and unbiased procedure for engagement of labourers for extraction of the minor mineral from the diverted forest land.	As per the reply submitted by the user agency, the extraction of minor minerals is done in a sustainable and systematized manner and the user agency has formulated a transparent and unbiased procedure of tendering of Weigh bridges, RFID and CCTV cameras etc for the extraction of miner mineral from the allotted area to the UKFDC. Labourers are not directly engaged by the user agency.

Scanned by TapScanner

पत्रांक– 30–4448 (1) / दिनांक– 30 अक्टूबर 2019

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. निदेशक, भूतत्व व खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, देहरादून।
5. समस्त महाप्रबन्धक उत्तराखण्ड वन विकास निगम।
6. समस्त प्रभागीय प्रबन्धक, खनन / प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक, कोटद्वार, उत्तराखण्ड वन विकास निगम।
7. प्रभारी, आई०टी०सेल (मु०), उत्तराखण्ड वन विकास निगम, देहरादून।
8. प्रति (1) सम्बन्धित पत्रावली (2) गार्ड फाईल (3) शिविर पत्रावली।

प्रबन्ध निदेशक

(2)

Scanned by TapScanner

(xi)	Fifty percent of the net profit earned by the user agency from the collection of minor minerals shall be deposited in a Special Purpose Vehicle (SPV) to be constituted by the State Government under the Chairmanship of the Chief Wildlife Warden, Government of Uttarakhand. The amount to be deposited in the SPV shall be used exclusively for river training activities and management & protection of forest & wildlife in vicinity of forest land diverted for collection of minor minerals.	The user agency deposits due share of the profit in special purpose vehicle/Gaula Corpus fund constituted by the state Government. The state Government vide letter no. 878/X-3-10-8(14)/2009 Dt. 14.12.2010 has constituted a SPV under the chairmanship of Chief Wildlife Warden, Government of Uttarakhand ***Annexure-11(7)***. The state Government vide letter no. 123/X-3-2013-8(14)/ 2009 Dt. 29.01.2013 has formulated guidelines to use the fund for is utilized annually by river training activities and management & protection of forest & wildlife in vicinity of forest land diverted for collection of minor minerals ***Annexure-11(8)***. The APO submitted by the forest divisions in the Gaula landscape is approved by the above committee every year and the works are executed as per approved APO.
(xii)	The total quantity of minor minerals extracted during a year shall not be more than 54.25 lakh cubic meter.	As per the reply submitted by the user agency, the condition is being complied with. The year wise detail of the extraction of minor minerals is as follows:- 1 – 2012-13 – 4080728.9900 2 – 2013-14 – 5407254.9720 3 – 2014-15 – 5416963.4890 4 – 2015-16 – 4432978.0000 5 – 2016-17 – 3746613.5010 6 – 2017-18 – 4012836.9870 7 – 2018-19 – 3438599.3400 8 – 2019-20 – 2553772.7800 9 – 2020-21 – 3293699.7500 10 – 2021-22 – 3666904.7900 2022-23 (till 23rd Jan. 2023)- 0.17250 lakh cum.
(xiii)	Extraction of minor minerals shall be restricted to the middle half of the width of river bed after leaving intact one-fourth of width of the river bed along its each bank.	As per the reply submitted by the user agency, the extraction of minor minerals is restricted to the middle half of the width of river bed after leaving intact one-fourth of width of the river bed along its each bank.
(xiv)	To ensure maintenance of river geometry, collection of minerals during a working season shall start from centre of the river width and shall gradually extend to the boundary of the permissible area. The maximum permissible depth for collection of minor minerals at centre of the river width shall be limited to 3m and it shall gradually be reduced till reaches boundary of the permissible zone.	As per the reply submitted by the user agency, the condition is being complied with.
(xv)	To regulate and maintain the record of the quantity of minor minerals extracted during a season, the State Forest Department shall set up adequate number of check post during the collection season.	The condition is being complied with the help of Forest Department. The user agency has established 11 gates for Trucks/Dumper and 04 Buggi gates to regulate and maintain the record of the quantity collected during the season. The forest department personnel are deputed each year at mining/transit gates to regulate and maintain the record of minor minerals. Transit permits are issued at above gates to regulate extraction of minor minerals as per rules. Further electronic weighbridges, online permits, online CCTV Cameras & sensor based entry of all the vehicles using RFID chips are some of the advanced technological interventions which ensure full proof monitoring mechanism facilitating regulated extraction of minor minerals from Gaula river. Apart from this, Tarai east forest division has constituted van suraksha dal to check illegal mining from the river bed.

Scanned by TapScanner

management and forest protection in the area, shall be created within six months.

17. On both sides of the Gola corridor in length of 2.5 km will be excluded from collection of Sand and bajari by the State Forest Corporation as discussed in the FAC. In case of transportation also, the elephant reserve area and corridors should be avoided so that elephants can move freely.

18. The present revenue sharing mechanism shall be revisited to optimise the return to the Forest Department to be ploughed back to the corpus mentioned above.

19. The present permission will be valid for one year during which condition nos. 14, 15, 16, 17 & 18 shall be complied with so that further period can be further considered by FAC.

20. Any other conditions that the CCF(C), Regional Office, Lucknow may impose from time to time in the interest of Afforestation and protection of flora and fauna in that area shall also be valid.

21. All other conditions under different rules, regulations and guidelines including environmental clearance and rehabilitation of tribal and other forest dweller shall be complied with.

Yours faithfully,

(B. K. Singh)
Sr. Assistant Inspector General of Forests

Copy to:
1. The Principal Chief Conservator of Forests, Government of Uttarakhand, Dehradun.
2. The Nodal Officer, Forest Department, Government of Uttarakhand, Dehradun.
3. The Chief Conservator of Forest, Regional Office, Lucknow
4. User Agency
5. Monitoring Cell, Ministry of Environment and Forests
6. Guard File.

(B. K. Singh)
Sr. Assistant Inspector General of Forests

Scanned with CamScanner

Scanned by TapScanner

(xvi)	Extraction of minor mineral shall be restricted from 1st October to 31st May of the subsequent year.	The condition is complied every year.
(xvii)	Minor minerals shall be collected manually by using hand tools. Use of explosive and heavy machineries for breaking/collection of minor minerals shall be strictly prohibited.	As per the reply submitted by the user agency, the condition is being complied with. Minor minerals are collected manually by using hand tools Further explosives and heavy machinery is not used for breaking/collection of minor minerals. Tarai East Forest Division ensure the compliance every year.
(xviii)	Collection time shall be from sun-rise to sun-set.	The condition is complied every year. The gates are shutdown after sun-set. The forest department monitors the timing on daily bases.
(xix)	No labour camp shall be setup in the forest area for the labourers egnaged in collection of the minor mineral.	As per the reply submitted by the user agency, no labour camp was setup in the forest area for the labourers engaged in the collection of the minor mineral.
(xx)	Breaking of boulders shall be undertaken outside the forest boundaries.	As per the reply submitted by the user agency, the condition is being complied with. The forest department monitors it periodically.
(xxi)	The labourers engaged in collection work shall be provided free of cost, fuel wood/alternate source of energy to avoid any pressure on adjoining forests.	As per the reply submitted by the user agency, it provides firewood to the laborers in the mining season. Drinking water is being provided, medical camp are organized.
(xxii)	The boundary of the forest land being diverted shall be demarcated on ground at the project cost, by erecting four feet high reinforced cement concrete pillars, each inscribed with its serial number DGPS coordinates, forward and back bearing, and distance from adjoin pillars etc.	As per the reply submitted by the user agency, the demarcation pillars on the forest land being diverted have been carried out from time to time. However additional funds may be required at the project cost to install new pillars at places damaged in the last 10 years.
(xxiii)	The forest land shall not be used for any purpose other than specified in the proposal.	As per the reply submitted by the user agency, the condition is being complied with. The area is being used for the purpose as specified in the proposal.
(xxiv)	User agency shall submit annual self – monitoring report, indication status of compliance to the conditions stipulated in the approval, to the State Government and the concerned Regional Office of this Ministry.	As per the reply submitted by the user agency, the monitoring report is being prepared and submitted to the state government and regional office.
(xxv)	Any other condition that the Central Regional Office of this Ministry, Lucknow and the State Government of Uttarakhand may stipulate, from time to time, in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife; and	As per the reply submitted by the user agency, the condition is being complied with.
(xxvi)	The User Agency and the State Government shall ensure compliance to provisions of the all Acts, Rules, Regulations and Guidelines, for the time being in force, as applicable to the project.	As per the reply submitted by the user agency, the compliance of the provision of the acts, rules, regulations, guidelines as applicable to the project is being ensured.

Divisional Forest Officer
Tarai East Forest Division
Haldwani

Scanned by TapScanner

सलग्नक – 11(1)   11(1)

कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, इन्दिरानगर फोरेस्ट कालोनी, देहरादून।
संख्या /1जी--2063 (नैनी0) :दिनांक:देहरादून: 22 मार्च, 2012.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय),
भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, अलीगंज, लखनऊ।

6264
12/
3/4/12

विषय– जनपद- नैनीताल के अन्तर्गत हल्दूचौड़ के निकट लालकुँआ वीट संख्या 6 में भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल की स्थापना हेतु 36.00 हे0 वन भूमि का (संशोधित प्रस्ताव) गैर वानिकी कार्यो हेतु भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल को प्रत्यावर्तन।

संदर्भ–भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली की पत्र संख्या 8–61/1999/एफ0सी0 दिनांक 08–04–2011 (प्रति संलग्न)

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर अवगत कराना है कि भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के पत्रांक 8बी/यूसीपी/09/253/2007/एफ0 सी0/57 दिनांक 11–4–2008 के द्वारा विषयगत प्रकरण में कतिपय शर्तों के तहत 36.00 हे0 वन भूमि के औपचारिक प्रत्यावर्तन की स्वीकृति प्रदान की गई थी। **(संलग्नक–1)** भारत सरकार के उक्त आदेश के अनुपालन में उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 1658/7–1–2008–800 (1990) /2007 दिनांक 29–4–2008 के द्वारा विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी को स्वीकृत भूमि पर निर्माण कार्य करने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई थी। वन भूमि के औपचारिक प्रत्यावर्तन के उपरान्त प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि पर निर्माण कार्य आरम्भ कर दिया गया था। तदोपरान्त भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या 8–61/1999/एफ0सी0 दिनांक 08–04–2011 के द्वारा गौला नदी हेतु दी गई स्वीकृति की शर्त संख्या–9 में यह उल्लेख किया गया है कि राज्य सरकार द्वारा आई0टी0बी0पी0 बटालियन के मुख्यालय को गौला कोरिडोर में हाथियों/वन्य जीवों के आवागमन को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार, पर्यावरण वन मंत्रालय, नई दिल्ली के उपर्युक्त संदर्भित पत्र के बिन्दु संख्या–9 में निर्देश दिये गये है कि विषयांकित प्रकरण हेतु पूर्व में हस्तान्तरित वन भूमि के उत्तरी भाग (17.329हे0) को हाथियों/वन्य जीवों के आवागमन हेतु खुला छोड़ते हुए दक्षिण भाग में स्थानान्तरित किया जाय। **(संलग्नक–2)** इस सम्बन्ध में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की कार्यालय ज्ञात संख्या 8–5/2009–PC(Pt-1) दिनांक 17–3–2001 अवलोकनीय है। **(संलग्नक–3)** भारत सरकार द्वारा जारी उक्त कार्यालय ज्ञाप में आई0टी0बी0पी0 को दी गई वन भूमि को शिफ्ट करने के व नई वन भूमि स्वीकृत करने के सम्बन्ध में स्पष्ट उल्लेख किया गया है।

2– भारत सरकार के उक्त निर्देशों के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा हस्तान्तरित वन भूमि के उत्तरी छोर के 17.329 हे0 वन भूमि को दक्षिण भाग में स्थानान्तरित करते हुए संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार पूर्व में स्वीकृत भूमि में विभिन्न प्रजातियों के 9122 वृक्ष प्रभावित हो रहे थे, जिनमें से 8968 वृक्षों का पातन उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा किया जा चुका है व अब दक्षिण छोर में प्रस्तावित 17.329 हे0 में 940 अतिरिक्त वृक्षों का पातन निहित है। वन भूमि का क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं है। प्रस्ताव पर सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी व वन संरक्षक द्वारा सहमति व्यक्त की गई है। परियोजना से सम्बन्धित अन्य विवरण प्रस्ताव में अंकित है।

उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों के दृष्टिगत अनुरोध है कि भारत सरकार, पर्यावरण एंव वन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तुत संशोधित प्रस्ताव में उल्लिखित वन भूमि के वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत संशोधित विधिवत स्वीकृति प्रदान किये जाने पर विचार करने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोपरि।
Geo-referenced maps (hard)

भवदीय,

(राजेन्द्र कुमार)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

संख्या– 2018 /1जी–2063 (नैनी0) दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सहायक वन महानिरीक्षक, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली को भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या 8–5/2009–PC(प्ट.1) दिनांक 17–3–2001 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त एवं प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी, नैनीताल।
3. सेनानायक, 34 वीं वाहिनी, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, हल्दूचौड़ (लालकुँआ) हल्द्वानी।

(राजेन्द्र कुमार)
मुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

Scanned by TapScanner

11C1)

7232
12-1
07-04-2012

7/4/12

कार्यालय – वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, नैनीताल।

पत्रांक – र-6264/ 12-1 / दिनांक, नैनीताल, अप्रैल, 4, 2012.

प्रतिलिपि– प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित।

(डा0 राजेन्द्र सिंह)
वन संरक्षक,
पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, नैनीताल

वन भूमि हस्तान्तरण

Scanned by TapScanner

संलग्नक -11 (2)   11(2)

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी।

पत्रांक 2594 / 12-1   दिनांक, हल्द्वानी 16.02.2012

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
प्रशासन
उत्तराखण्ड, देहरादून

विषयः— जनपद—नैनीताल के अर्न्तगत लालकुऑं, हल्दूचौड़ में भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल को पूर्व में 36.00 है0 हस्तान्तरित वन भूमि प्रत्यार्वतन प्रस्ताव में संशोधन (17.329है0) के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयगत प्रकरण में अवगत कराना है कि तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी के गौला राजि के अर्न्तगत भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल द्वारा 17.329 है0 वन भूमि वन भूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव तैयार कर द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है। भारत सरकार की पत्र सं0 F.N011-9/98-FC दिनांक 8.7.2011 में जारी निर्देशानुसार वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के साथ सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित **Geo-Referenced Boundry and Digital Map** संलग्न किया जाना अनिवार्य है।

अतः महोदय से अनुरोध है कि कृपया उक्त प्रस्तावित स्थल का **Geo-Referenced Boundry and Digital Map** एंव 1:50,000 पैमाने की रंगीन टोपोशीट मय सी0डी0 के साथ उपलब्ध कराने का कष्ट करें। उक्त प्रस्तावित स्थल की **बाउन्ड्री जी0पी0एस0 लोकेशन** निम्न प्रकार है।

बिन्दु सं0 1- N- 29^0 04' 48.5'' E- 79^0 31' 30.1''
बिन्दु सं0 2- N- 29^0 05' 01.7'' E- 79^0 31' 30.4''
बिन्दु सं0 3- N- 29^0 04' 49.6'' E- 79^0 31' 13.5''
बिन्दु सं0 4- N- 29^0 05' 01.3'' E- 79^0 31' 14.03''

भवदीय,

(पी0के0 पात्रो)
प्रभागीय वनाधिकारी
तराई पूर्वी वन प्रभाग हल्द्वानी।

2594 /

प्रतिलिपिः— सेनानी 34 वीं वाहिनी, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, हल्दूचौड़, (लालकुऑं), हल्द्वानी को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(पी0के0 पात्रो)
प्रभागीय वनाधिकारी
तराई पूर्वी वन प्रभाग हल्द्वानी।

Scanned by TapScanner

भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव (17.329है0)

प्रभागीय वनाधिकारी
तराई पूर्वी वन प्रभाग

Scanned by TapScanner

संलग्नक - 11(3)T(3)

पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय { मध्य क्षेत्र }

पंचम तल, केन्द्रीय भवन,
सैक्टर एच, अलीगंज, लखनऊ 226024
टेलीफैक्स 2326696

पत्र सं0 8बी / यू.पी / 09 / 47 / 2012 / एफ.सी. 1352

दिनॉक 03.06.2013

सेवा मे,
प्रमुख सचिव, वन,
उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

विषयः जनपद नैनीताल के अन्तर्गत हल्दूचौड़ के निकट लालकुऑ बीट संख्या–6 में भारत तिब्बत सीमा पुलिस की स्थापना हेतु 36.00 हे0 वन भूमि का (संसोधित प्रस्ताव) गैर वानिकी कार्यो हेतु भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ : अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड का पत्रांक– 2924 / 1जी–2063 (नैनीताल) दिनॉक 21.05.2013

महोदय

कृपया उपरोक्त विषय पर अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड का पत्रांक– 2018 / 1जी–2063 (नैनीताल) दिनॉक 22.03.2012 का अवलोकन करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा 2 के तहत स्वीकृति मॉगी गयी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक– 08.01.2013 द्वारा प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी जिसमें उल्लिखित शर्तो की अनुपालन आख्या अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत की गई है। राज्य सरकार के प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि केन्द्र सरकार जनपद नैनीताल के अन्तर्गत हल्दूचौड़ के निकट लालकुआं बीट संख्या–6 में भारत तिब्बत सीमा पुलिस की स्थापना हेतु 36.00 हे0 वन भूमि का (संसोधित प्रस्ताव) गैर वानिकी कार्यो हेतु भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल को प्रत्यावर्तन एवं 940 वृक्षों के पातन की विधिवत स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो पर प्रदान करती है।

1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नही होगा।
2. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले प्रस्तावित 72.00 हे0 गैर वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण तथा 10 वर्षो तक रखरखाव किया जाएगा।
3. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रभावित वृक्षों के दस गुने अर्थात् 9400 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव किया जाएगा।
4. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त पडे स्थानों पर यथोचित् वृक्षारोपण एव 10 वर्षो तक रखरखाव किया जायेगा।
5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन 202 / 1995 के अन्तर्गत आई.ए. 566 एवं भारत सरकार पत्र संख्या 5–3 / 2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 कें आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा किया जायेगा।
6. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
7. परियोजना के निर्माण व रख–रखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एव जीव–जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुॅचायी जाएगी।
8. प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नही किया जायेगा।
9. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों / स्टाफ को रसोई गैस / किरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनो को क्षति न हों।
10. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल / वन क्षेत्र के आप पास मजदूरों / स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नही लगाया जायेगा।
11. प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस पास की वनभूमि से निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी / पत्थर काटने एव भरने का कार्य नही किया जाएगा।

Scanned by TapScanner

11(3)

12. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर मक डिस्पोजल का कार्य प्रस्तुत की गयी योजना के अनुसार वन विभाग की देख–रेख में किया जायेगा।

13. निर्माण कार्य के अन्तर्गत पातित होने वाले वृक्षों का पातन राज्य के वन विकास निगम द्वारा किया जाएगा और उसका निस्तारण सम्बन्धित ग्रामों की स्थानीय जनता के हक हकूक के दृष्टिगत किया जायेगा।

14. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा आवश्यक न्यूनतम वृक्षों का ही पातन किया जायेगा।

15. प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

भवदीय,

(वाई0 के0 सिंह चौहान)
मुख्य वन संरक्षक {केन्द्रीय}

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. अति0 वन महानिदेशक, (एफ.सी.), पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय, पर्यावरण भवन सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, लोदी रोड, नयी दिल्ली–03.
2. नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, वन विभाग, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी, उत्तराखण्ड।
4. सेनानायक, 34 वी वाहिनी, आई0टी0बी0पी0, हल्दूचौड़ (लालकुआं), हल्द्वानी, उत्तराखण्ड।
5. आदेश पत्रावली ।

3/1/2017

(वाई0 के0 सिंह चौहान)
मुख्य वन संरक्षक {केन्द्रीय}

Scanned by TapScanner

संलग्नक – 11(क)

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, रामनगर वन प्रभाग, रामनगर (नैनीताल)

dfo_ramnagar@rediffmail.com दूरभाष/फैक्स नं0 05947-251362

पत्रांक:- 1958 / 12-1 दिनाँक, रामनगर 25/01/2023

सेवा मे,

प्रभागीय वनाधिकारी,
तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी।

विषय:- **Proposal for seeking prior approval of the central Government under section 2(ii) of the Forest (Conservation) Act, 1980 in favour of Uttarakhand Forest Development Corporation, Mining Division Haldwani for renewal of forest clearance for collection of Minor Minerals from 1497 ha of forest land of Gaula River under Forest Division Tarai East, Haldwani and District Nainital, Uttarakhand.**

सन्दर्भ:- आपका दिनांक रहित पत्रांक 4300/12-1।

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि रामनगर वन प्रभाग, रामनगर अन्तर्गत कोसी रेंज के धुलवा ब्लॉक के सुन्दरखाल अतिक्रमित क्षेत्र की अद्यावधिक स्थिति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

2. उक्त प्रकरण मे मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा पी0आई0एल0 संख्या 85/14 में दिनांक 18.12.2017 को पारित आदेश के पृष्ठ सं0 16 बिन्दु सं0 35 में निम्न निर्देश दिए गए थे, जिसके अंश निम्न प्रकार हैं–

> *"We also recommend to the State Government to remove the encroachments from the vital corridors including at Sunderkhal between Dhikuli and Dhangadi on the banks of River Kosi. The State is directed to take effective steps for rehabilitation of the persons who are affected/displaced. The persons who have encroached upon the land belong to the lowest strata of society. Their settlement must be carried out with due sensitivity.3"*

मा0 न्यायालय के उपरोक्त आदेश के अनुपालन में इस कार्यालय के पत्रांक 2301/29-3(3) दिनांक 15.03.2018 द्वारा सुन्दरखाल/ढ़िकुली एवं धनगढ़ी कॉरिडोर में स्थित लोगों को विस्थापित करने के सम्बंध में वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड हल्द्वानी को विस्तृत आख्या प्रेषित की गयी, जिसमें यह स्पष्ट किया गया कि कथित विस्थापन राजस्व विभाग के हस्तक्षेप के बिना सम्भव नहीं है। इस कार्यालय के पत्रांक 3022/29-3(3) दिनांक 23.05.2018 से जिलाधिकारी, नैनीताल को प्रकरण में राजस्व विभाग के स्तर से अपेक्षित कार्यवाही हेतु अवगत कराते हुए आवश्यक कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया। उपरोक्त प्रकरण में वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड हल्द्वानी द्वारा भी अपने पत्रांक 1900/29-3(3) दिनाँक 15.03.2018 से जिलाधिकारी, नैनीताल को आवश्यक कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया। जिलाधिकारी, नैनीताल द्वारा अपने पत्रांक 808/12-ZAC/2018 दिनांक 01.06.2018 एवं पत्रांक 1034/12- ZAC/2018 दिनांक 03.08.2018 द्वारा सहायक अभिलेख अधिकारी/उपजिलाधिकारी, हल्द्वानी एवं उपजिलाधकारी रामनगर को सुन्दरखाल निवासियों को विस्थापित करने हेतु अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करने के दिशा-निर्देश दियें गये है। प्रकरण में राजस्व विभाग के स्तर से अग्रिम कार्यवाही अपेक्षित है।

3. यह भी अवगत कराना है कि मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पी0आई0एल0 संख्या 06/2012 में पारित आदेश दिनांक 04.09.2018 के बिन्दु सं0 12 एवं 14 में दिए गए निर्देश निम्न प्रकार हैं–

> *"12. Applicant has also placed on record the fact that the area measuring 318.80 hectares falling in Dhulwa and Dhumanda has not been formally included in the Corbett Tiger*

Scanned by TapScanner

11(47)

Reserve. The State Government is directed to take all effective steps to include this area in Corbett Tiger Reserve within one month form today".

14. Accordingly, we direct the Additional Chief Secretary to the State of Uttarakhand to take all necessary steps to remove the encroachers from the buffer zone namely Sudarkhal opposite Dhangari Gate within one month from today by issuing notices of four weeks. Three weeks time be granted to file the reply. Thereafter, the necessary order shall be passed in accordance with law".

मा0 न्यायालय के उपरोक्त आदेश के अनुपालन में इस कार्यालय के पत्रांक 880/29–3(3) दिनांक 05.09.2018 द्वारा प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड देहरादून को धुलवा पूर्वी 9 ब व 11 ब एवं दुमुण्डा पूर्वी 4 ब व 4 स का कुल 318.8 है0 क्षे0 को कॉर्बेट टाईगर रिजर्व के नियंत्रण में हस्तान्तरण हेतु दिशानिर्देश प्रदान करने का अनुरोध किया गया, जिसके क्रम में प्रमुख वन संरक्षक(HoFF), उत्तराखण्ड देहरादून द्वारा अपने पत्र सं0 पी0ओ0/332 दिनांक 22.09.2018 से निर्गत आदेश में विषयांकित क्षेत्र 318.8 है0 भूमि को कॉर्बेट टाईगर रिजर्व, रामनगर में सम्मिलित करने का आदेश निर्गत किया गया। प्रमुख वन संरक्षक(HoFF), उत्तराखण्ड देहरादून के उक्त पत्र में दिए निर्देशों के क्रम में इस कार्यालय के पत्र सं0 1029/12–1 दिनांक 24.09.2018 से निदेशक, कॉर्बेट टाईगर रिजर्व, रामनगर को उक्त क्षेत्र को यथाशीघ्र अपने नियंत्रणाधीन लेने हेतु एक तिथि निर्धारित करने का निवेदन किया गया, ताकि हस्तान्तरण की कार्यवाही सुचारू रूप से पूर्ण की जा सके। उक्त प्रकरण में इस कार्यालय द्वारा हस्तान्तरण की कार्यवाही पूर्ण करने हेतु पत्राचार किया जाता रहा है।

अतः रिपोर्ट सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(कुन्दन कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
रामनगर वन प्रभाग, रामनगर

पत्रांकः– 1958 / दिनांकितः–

प्रतिलिपिः– वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड हल्द्वानी को सूचनार्थ प्रेषित।

(कुन्दन कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
रामनगर वन प्रभाग, रामनगर

Scanned by TapScanner

11(4)

सुन्दरखाल का अतिक्रमण क्षेत्र का संक्षिप्त विवरणः-

कॉर्बेट टाईगर रिजर्व को हस्तान्तरण हेतु प्रस्तावित क्षेत्र में से धुलवा 9 व, 11 व में सुन्दरखाल का अतिक्रमण स्थित है, जिसका पूर्व से रिपोर्टेड क्षेत्रफल 73.90 है0 है।

सुन्दरखाल का संक्षिप्त इतिहासः-

यह अतिक्रमण दिनांक 13.06.1974 में सुनियोजित ढंग से संगठित रूप में जनपद अल्मोड़ा, नैनीताल व गढ़वाल के अनुसूचित निवासियों द्वारा किया गया था। दिनांक 14.09.1974 को माननीय वन मंत्री एवं वित्त मंत्री उत्तर प्रदेश द्वारा अतिक्रमणकारियों को अन्यत्र जगह सीलिंग से प्राप्त भूमि पर बसाये जाने के निर्देश दिये गये। परन्तु जिलाधिकारी द्वारा सभी 400 अतिक्रमणकारियों को एक ही स्थान पर सीलिंग से प्राप्त भूमि पर बसाया जाना सम्भव न होने के कारण यह कार्यवाही पूर्ण नहीं हो सकी। वर्ष 1992 में इस प्रकरण में 269 अतिक्रमणकारियों के विरूद्ध न्यायालय विहित प्राधिकारी काशीपुर में बेदखलीवाद दायर किये गये जिनमें से 172 वादों में बेदखली के आदेश पारित हो गये तथा शेष 97 वाद न्यायालय में विचाराधीन रहे। चूंकि बेदखल वन भूमि अलग-अलग टुकड़ों में स्थित थी इसलिये उस समय व्यवहारिक कठिनाईयों के कारण अतिक्रमण भूमि खाली न ही करायी जा सकी। महत्त्वपूर्ण वन्यजीव कॉरिडोर में अतिक्रमणकारियों की उपस्थिति के कारण मानव वन्य जीव संघर्ष मे अत्यधिक बढ़ोत्तरी हुई एवं वर्ष 2010-2011 में 07 सुन्दरखाल अतिक्रमणकारियों को बाघ द्वारा मारा गया। तत्पश्चात एन0टी0सी0ए0 के रिवाइज्ड गाइडलाईन फॉर द ऑन गोईग सेन्ट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम आफ प्रोजैक्ट टाईगर फरवरी 2008 के तहत सुन्दरखाल अतिक्रमणकारियों के विस्थापन का प्रयास किया गया जिसके अनुसार प्रति वयस्क पुरूष का वन भूमि छोडने के एवज में रू0 10-10 लाख देना प्रस्तावित किया गया। परन्तु सुन्दरखाल के अतिक्रमणकारी इस प्रस्ताव से सहमत नहीं हुये एवं उन्होंने सुन्दरखाल की वन भूमि के एवज में मूलभूत सुविधाओं के साथ भूमिधरी श्रेणी की कृषि योग्य भूमि की माँग की। तत्कालीन प्रभागीय वनाधिकारी ने अपने पत्रांक 393/6-1 दिनांक 28.08.2015 से उत्तराखण्ड शासन को सुन्दरखाल विस्थापन हेतु राजस्व स्तर पर लम्बित। दिनांक मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल में विचाराधीन रिट पिटीशन (पी0आई0एल0) सं0 85/2014 में दिनांक 18.12.2017 को पैरा 35 में सुन्दरखाल अतिक्रमण से सम्बंधित निम्न प्रकार से आदेश पारित किया, जिसका अंश निम्न प्रकार हैः-

> *"We also recommend to the State Government to remove the encroachments from the vital corridors including at Sunderkhal between Dhikuli and Dhangadi on the banks of River Kosi. The State is directed to take effective steps for rehabilitation of the persons who are affected/displaced. The persons who have encroached upon the land belong to the lowest strata of society. Their settlement must be carried out with due sensitivity."*

चूंकि उक्त आदेश की कार्यवाही प्रभाग स्तर पर सम्भव नहीं थी अतः प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा उच्च स्तर एवं जिलाधिकारी को इस प्रकरण पर कार्यवाही करने हेतु पत्राचार एवं बैठकों द्वारा निरन्तर अनुरोध किया गया। तत्पश्चात दिनांक मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल में विचाराधीन रिट पिटीशन (पी0आई0एल0) सं0 06/2012 में दिनांक 04.09.2018 को पैरा के बिन्दु सं0 12 व 14 में दिये गये आदेश के अंश निम्न प्रकार हैः-

> *"12. Applicant has also placed on record the fact that the area measuring 318.80 hectares falling in Dhulwa and Dhumanda has not been formally included in the Corbett Tiger Reserve. The State Government is directed to take all effective steps to inculde this area in Corbett Tiger Reserve within one month form today".*
>
> *14. Accordingly, we direct the Additional Chief Secretary to the State of Uttarakhand to take all necessary steps to remove the encroachers from the buffer zone namely Sudarkhal opposite Dhangari Gate within one month from today by issuing notices of four weeks. Three weeks time be granted to file the reply. Thereafter, the necessary order shall be passed in accordance with law".*

शासनादेश संख्या 1540/14-3-139 दिनांक 11.06.1991 द्वारा रामनगर वन प्रभाग के 9606 है0 कार्बेट टाईगर रिजर्व को हस्तांतरित किये जाने हेतु आदेश हुये थे। परन्तु उस समय हस्तांतरण की कार्यवाही के दौरान 318.8 है0 क्षेत्र जिसमें सुन्दरखाल अतिक्रमित क्षेत्र भी सम्मिलित हैं कार्बेट टाईगर रिजर्व को हस्तांतरित नहीं हुआ। उत्तराखण्ड शासन, वन एवं पर्यावरण अनुभाग-2 द्वारा जारी अधिसूचना संख्या व0जी0 05/X-2-2010-19(34)/2005 दिनांक 26.02.2016 के द्वारा भी अन्य के अतिरिक्त उक्त 318.8 है0 क्षेत्र को कार्बेट टाईगर रिजर्व के नियंत्रणाधीन कार्बेट टाईगर रिजर्व का बफर घोषित किया गया था। परन्तु इस तथ्य से लम्बे समय तक सम्बंधित क्षेत्र के अधिकारी अनभिज्ञ रहें। यह तथ्य पुनः संज्ञान में आने के पश्चात् प्रभागीय वनाधिकारी, रामनगर वन प्रभाग, रामनगर ने अपने पत्रांक 857/29-3(3) दिनांक 01.09.2018 द्वारा वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड हल्द्वानी को उक्त क्षेत्र को कार्बेट टाईगर रिजर्व के नियंत्रण में हस्तांतरित कर सुन्दरखाल विस्थापन की कार्यवाही कार्बेट टाईगर रिजर्व द्वारा अपेक्षित होने के सम्बंध में अनुरोध किया। प्रभागीय वनाधिकारी, रामनगर वन प्रभाग, रामनगर ने अपने पत्रांक 880/29-3(3) दिनांक 05.09.2018 द्वारा प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड को उक्त क्षेत्र को कार्बेट टाईगर

Scanned by TapScanner

रिजर्व के नियंत्रण में हस्तांतरित कर सुन्दरखाल विस्थापन की कार्यवाही कार्बेट टाईगर रिजर्व द्वारा अपेक्षित होने हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश देने हेतु अनुरोध किया गया। तत्पश्चात प्रमुख वन संरक्षक (HoFF) उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र सं0 पी0ओ0/332 दिनांक 22.09.2018 द्वारा निर्गत आदेश के क्रम विषयांकित 318.8 है0 भूमि जो वर्तमान में रामनगर वन प्रभाग, रामनगर के नियंत्रणाधीन है को हस्तातरण कर कॉर्बेट टाईगर रिजर्व में सम्मिलित करने का आदेश दिये गये। उक्त प्रकरण में इस कार्यालय द्वारा हस्तातरण की कार्यवाही पूर्ण करने हेतु निदेशक कॉर्बेट टाईगर रिजर्व रामनगर से समय–समय पर पत्राचार किया जाता रहा है। परन्तु अतिथि तक हस्तांतरण की कार्यवाही पूर्ण नहीं हो पायी है।

सुन्दरखाल की वर्तमान स्थिति:–

वर्तमान में किये गये जी0पी0एस0 सर्वे के अनुसार घुलवा 9बी में 60 है0 व 11बी 23.9 कुल 83.9 है0 आरक्षित वन क्षेत्र में अतिक्रमण है। अतिक्रमण की वास्तविक स्थिति का यथार्थ आंकलन विधिवत सर्वे कराने के पश्चात् ही ज्ञात किया जा सकता है। इसमें देवीचौड खत्ते की 0.60 है0 भूमि भी सम्मिलित है। देवीचौड खत्ते को श्री अशोक महर की कार्ययोजना (2008–09 से 2017–18 तक) के खण्ड–2 के परिशिष्ट–11 पृष्ठ संख्या 194 में स्थायी खत्ते के रूप में दर्ज किया गया है। (सलग्नक–15) सुन्दरखाल अतिक्रमण क्षेत्र का जी0पी0एस0 सर्वे का मानचित्र (संलग्नक–16)। इसके अन्यथा सुन्दरखाल क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं के सम्बन्ध में सूचना निम्न प्रकार प्रेषित है:–

पानी:– वर्तमान में सुन्दरखाल के अतिक्रमणकारियों द्वारा पानी की आपूर्ति हैण्डपम्प द्वारा की जा रही है। वर्तमान में इस क्षेत्र में बोरिंग द्वारा कुल 6 हैण्डपम्प लगे हुये है।

चिकित्सा:– वर्तमान में सुन्दरखाल क्षेत्र में कोई भी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं है। चिकित्सा हेतु रामनगर स्थित चिकित्सालय पर निर्भर है।

शिक्षा:– शिक्षा के अन्तर्गत इस क्षेत्र में वर्तमान में तीन विद्यालय उत्तराखण्ड शिक्षा विभाग द्वारा संचालित किये जा रहे हैं, जिसमें प्राईमरी, जूनियर हाईस्कूल एवं हाईस्कूल सम्मिलित है।

बिजली:–वर्तमान में अतिक्रमित क्षेत्र में विद्युत व्यवस्था नहीं। निजी उपयोग हेतु व्यक्तिगत रूप से सोलर ऊर्जा से विद्युत की व्यवस्था की व्यवस्था की गई है। माह मार्च 2018 में विद्युत विभाग द्वारा बिना वन विभाग की अनुमति एवं बिना उचित वैधानिक कार्यवाही के विद्युतीकरण हेतु इस क्षेत्र में विद्युत पोलों को लगाया गया था। तत्पश्चात उक्त कार्यवाही का वन विभाग द्वारा रोक दिया था।

Scanned by TapScanner

1114) 63

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, रामनगर वन प्रभाग, रामनगर (नैनीताल)

दूरभाष/फैक्स नं0 05947-251362 e-mail: dfo_ramnagar@rediffmail.com

पत्रांक – 2301/ 29-3(3) दिनांक, रामनगर 8/3/ 2018

सेवा में,

वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त

उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।

विषय :– रिट याचिका(PIL) संख्या 85/2014 में मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल द्वारा पारित निर्णय 2017 के अनुपालन में सुन्दरखाल, ढिकुली एवं कॉरिडोर में स्थित लोगों के विस्थापन करने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :– आपका पत्रांक ~~1479~~ 1451/29 दिनांक ~~06.02.2018~~ 15/1/18।

महोदय,

उपरोक्त विषयक रिट याचिका (PIL) संख्या 85/2014 मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल द्वारा दिनांक 18.12.2017 को पारित निर्णय के क्रमांक 35 पर जो रामनगर वन प्रभाग, रामनगर से सम्बन्धित निर्देश दिये गये हैं उसके मुख्य अंश निम्न प्रकार हैं –

Direction :- We also recommend to the State Govt. to remove the encroachments from the vital corridors including at Sunderkhal between Dhikuli and Dhangadi on the banks of River Kosi. The State is directed to take effective steps for rehabilitation of the persons who are affected/displaced. The persons who have encroached upon the land belong to the lowest strata of society. Their settlement must be carried out with due sensitivity.

पत्रावली के आधार पर उक्त निर्देश के क्रम में आख्या निम्न प्रकार प्रस्तुत है –

रामनगर वन प्रभाग, रामनगर के कोसी रेंज के पश्चिमी कुनखेत बीट के अन्तर्गत धुलवा कक्ष संख्या 5, 9 एवं 11 बी में कार्बेट नेशनल पार्क के समीप दिनांक 13.06.1974 को श्रीमती आनन्दी देवी, अध्यक्ष, पर्वतीय शिल्पकार समिति सुन्दरखाल (रामनगर) के निर्देशन में सुनियोजित ढंग से संगठित रूप में जनपद अल्मोड़ा, नैनीताल व गढ़वाल के अनुसूचित जाति निवासियों द्वारा आरक्षित वन भूमि में जबरन अतिक्रमण किया गया। इन अतिक्रमणकारियों द्वारा वर्ष 1971 में रोपित सागौन वृक्षारोपण के पौधों एवं झाड़ी कटान कर वन भूमि को खेती के लिए साफ कर रहे अतिक्रमणकारियों को रोकने का तत्काल प्रयास विभाग द्वारा किया गया। लेकिन अतिक्रमणकारियों की संख्या अत्यधिक होने व कर्मचारियों की संख्या कम होने के कारण अतिक्रमण को रोका नहीं जा सका।

पत्रावली में यह भी अंकित है कि दिनांक 14.09.1974 को मा0 वन मंत्री एवं वित्त मंत्री, उ0प्र0 द्वारा मौके का निरीक्षण किया गया तथा स्पष्ट किया गया कि अतिक्रमित वन भूमि प्रोजेक्ट टाइगर के समीप स्थित होने के कारण अतिक्रमणकारियों को यह भूमि आवंटित नहीं की जा सकती है तथा सीलिंग से प्राप्त भूमि पर इन्हें बसाया जायेगा। इसी क्रम में शासनादेश संख्या 2504/14-2-75 दिनांक 06.06.1975 द्वारा शासन ने जिलाधिकारी नैनीताल को निर्देशित किया कि प्राथमिकता के आधार पर सीलिंग की भूमि उपलब्ध कराकर उपरोक्त अतिक्रमणकारियों को अन्यत्र बसाया जाये। लेकिन अतिक्रमणकारी इस जिद्द पर अड़े रहे कि उन्हें अन्यत्र जहाँ पर भी बसाना हो एक साथ, एक ही जगह पर बसाया जाये।

Scanned by TapScanner

जिलाधिकारी नैनीताल ने अपनी पत्र संख्या ग्राम/5 सी० दिनांक 17.03.1979 द्वारा उप सचिव उ०प्र० शासन अनु०-3 लखनऊ को प्रेषित करते हुये प्रतिलिपि आयुक्त कुमांऊ मण्डल नैनीताल एवं अतिरिक्त मुख्य अरण्यपाल (कुमांऊ) उ०प्र० नैनीताल को भेजे गये पत्र द्वारा सूचित किया जिसके सम्बन्ध मे अरण्यपाल पश्चिमी वृत्त, उत्तर प्रदेश, नैनीताल की पत्र संख्या 11329/681 (धुलवा) दिनांक 30.03.1979 द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, रामनगर वन प्रभाग, रामनगर को सूचित किया गया जो (संलग्नक संख्या–1) तथा 400 अतिक्रमणकारियों को एक ही स्थान पर सीलिंग से प्राप्त भूमि पर बसाया जाना सम्भव नहीं है। इस प्रकार जिलाधिकारी नैनीताल के माध्यम से इस क्षेत्र के सभी अतिक्रमणकारियों को सीलिंग से उपलब्ध भूमि पर स्थाई तौर से विस्थापित करने की कार्यवाही की जानी है।

शासनादेश संख्या 1014/14–2–92–168/1987 सी० दिनांक 04.05.1992 द्वारा प्रश्नगत् अतिक्रमण को खाली कराने के निर्देश प्राप्त होने पर तत्समय 269 अतिक्रमणकारियों के विरूद्ध न्यायालय विहित प्राधिकारी काशीपुर में बेदखलीवाद दायर किये गये, जिनमें से अभी तक 172 वादों में बेदखली के आदेश पारित हो चुके हैं तथा शेष 97 बेदखलीवाद काशीपुर न्यायालय में विचाराधीन है। (संलग्नक संख्या–2)

उक्त 172 अतिक्रमणकारियों से वन भूमि का कब्जा लेने में कई व्यवहारिक कठिनाईयाँ महसूस की जा रही है क्योंकि बेदखल वन भूमि एक सिरे से लगातार न होकर अलग–अलग टुकड़ों में है इसलिए अवशेष लम्बित वादों के शीघ्र निस्तारण करने तथा सभी अतिक्रमणकारियों के बेदखली आदेश पारित हो जाने के उपरान्त ही उक्त अतिक्रमित भूमि को खाली कराया जा सकता है।

यह वन भूमि कार्बेट टाइगर रिजर्व से लगी हुई रामनगर रानीखेत मोटर मार्ग के पूर्वी छोर पर स्थित है। N.T.C.A. के रिवाइज्ड गाइडलाईन फॉर द ऑन गोईंग सेन्ट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम आफ प्रोजैक्ट टाईगर फरवरी 2008 के बिन्दु 4.9 डिसाईडिंग इनवाईलेट स्पेस फार वाईल्ड लाईफ एण्ड रिलोकेशन ऑफ विलेजर फरोम कोर ऑर क्रिटिकल टाइगर हैबिटेटस इन टाइगर रिजर्व विदहिन ए टाईमफ्रेम एण्ड सेटलमेन्ट ऑफ राईटस (सेटलमेन्ट ऑफ राईटस इज ए न्यू एक्टिविटि) (नान रिक्यौरिंग) के क्रम में कार्बेट टाइगर रिजर्व से लगे सुन्दरखाल क्षेत्र के लिये स्थाई समाधान का प्रस्ताव किया जा रहा है। आरक्षित वन भूमि पर अतिक्रमणकारियों के बिन्दु 4.9 के आप्सन 1 के अन्तर्गत ही प्रस्ताव प्रेषित किया जा सकता है। आप्सन 1 के अन्तर्गत परिवार जो इस प्रकार का विकल्प स्वीकार करते है। बिना किसी पुर्न विस्थापन के सम्पूर्ण पैकज 10 लाख प्रति वयस्क पुरूष देने की व्यवस्था है। (संलग्नक संख्या–3)

भारत की जनगणना 2011 के समय सुन्दखाल क्षेत्र का परिवार विवरण रामनगर वन प्रभाग द्वारा तैयार किया गया हैं। प्रभाग द्वारा एकत्र की गई सूचना के अनुसार सुन्दरखाल में विस्थापन हेतु परिवारों का विवरण निम्न प्रकार है:–

आरक्षित वन क्षेत्र का नाम	कुल परिवारों की संख्या	भारत की जनगणना 2011 के समय परिवारों में वयस्क पुरुषों की संख्या	प्रति वयस्क पैकज धनराशि	कुल धनराशि जो विस्थापन पर व्यय होगी
धुलवा कक्ष सं0 5ब, 9ब, 11ब	324	550	रू0 10 लाख	रू0 550000000 मात्र (रू0 पचपन करोड़)

इसके उपरान्त प्रमुख वन संरक्षक (वन्यजीव प्रतिपालक) के पत्र सं0 2299/3–32 दिनांक 12.02.2014 के अनुसार सुन्दरखाल के विस्थापन के सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी रामनगर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, जिसमें अवगत कराया गया कि समिति की प्रथम बैठक एक सप्ताह के अन्तर की जायेगी तथा दो माह में समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत

Scanned by TapScanner

11(4)

अनुपालन मे दिनांक 14.04.2014 को समिति द्वारा एक बैठक आयोजित की गयी, जिसमें निम्न सुझाव/निर्णय (संलग्नक संख्या–4, 5)

1. समिति के माध्यम से राजस्व विभाग से सुन्दरखाल मे बसे ग्रामीणो की सूची लिखित रूप से प्राप्त की जाये।
2. विस्थापन कार्य (गुजर पुर्नवास 2004) भारत सरकार की पुर्नवास एवं विस्थापन निधि 2003 (एन0पी0आर0आर0 2003) के दिशा-निर्देशों की सहायता लेते हुये निर्धारित किया जाये।
3. पुर्नवास पैकज हेतु राजस्व विभाग व समाज कल्याण द्वारा लिया जाने वाला निर्णय सम्बन्धित पक्ष के अनुसूचित जाति एवं भूमिहीन दशा को ध्यान में रखते हुये किया जाये।
4. सुन्दरखाल की सम्पूर्ण आबादी में अनुसूचित जाति एवं भूमिहीन होने के आधार पर पुर्नवास पैकज का निर्धारण किया जाये।
5. उक्त कमेटी में राजस्व विभाग एवं समाज कल्याण विभाग के घटकों के सम्मलित होने के उपरान्त ही पुर्नवास पैकज का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाये।

उक्त बैठक में पारित किये गये प्रस्तावों की प्रति इस कार्यालय की पत्रांक संख्या 2430/3–32 दिनांक 15. 04.2014 से जिलाधिकारी नैनीताल को तथा प्रतिलिपि प्रमुख वन संरक्षण, उत्तराखण्ड व वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, हल्द्वानी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की गयी। तत्पश्चात् इस कार्यालय की पत्र सं0 102/3–32 दिनांक 16.07.2014 द्वारा प्रमुख वन संरक्षक (वन्यजीव), मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, देहरादून को समिति के प्रस्ताव की छायाप्रति संलग्न करते हुये दिशा–निर्देश देने हेतु लिखा गया, जिसकी प्रतिलिपि अपर सचिव वन उत्तराखण्ड शासन व वन संरक्षक पश्चिमी वृत्त, हल्द्वानी को तथा समिति के समस्त सदस्यों को प्रेषित की गयी है। दिनांक 08.05.2015 को प्रमुख सचिव वन एवं पर्यावरण विभाग उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गयी, जिसमें सुन्दरखाल विस्थापन के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि जिन परिवारों का विस्थापन किया जाना है उनकी सूची तैयार की जाये तथा यथा सम्भव राजस्व से सामंजस्य स्थापित कर उन लोगों का आधार कार्ड तैयार कराये जाये। साथ ही साथ उन लोगों के विस्थापन हेतु सहमति पत्र भी प्राप्त कर लिया जाये। (संलग्नक संख्या–6) W.T.I. द्वारा अवगत कराया गया कि विस्थापन हेतु भूमि क्रय की जायेगी, जिस हेतु राजस्व विभाग के सहयोग की आवश्यकता होंगी तथा इस कार्य के लिये W.T.I. को अपेक्षित सहयोग वन विभाग के स्थानीय अधिकारी करेंगे। बैठक में प्रमुख सचिव वन द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि प्रस्तावित एम0ओ0यू0 में यदि दोनों पक्षों के मध्य किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में मध्यस्थता शासन द्वारा नामित किसी वरिष्ठ आई0एफ0एस0 अधिकारी द्वारा किया जायेगा तथा संसोधित आलेख्य मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक उत्तराखण्ड को उपलब्ध करा दिया जाये। ताकि संसोधन के उपरान्त संसोधित आलेख्य प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखण्ड की संस्तुति के उपरान्त शासन को प्रस्तुत करेंगे।

श्री विवेक कुमार जैन, अनुसचिव, उत्तराखण्ड शासन वन एवं पर्यावरण विभाग–2 के पत्र सं0 1901/ X-2-2015-19 (01) 2015 दिनांक 06.08.2015 द्वारा मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक उत्तराखण्ड, देहरादून को दिनांक 08.05.2015 को सम्पन्न हुई बैठक के कार्य वृत्त की प्रति संसोधित एवं एम0ओ0यू0 आलेख्य के साथ संलग्न करते हुये एम0ओ0यू0 आलेख्य की स्वच्छ प्रतियाँ यथा संसोधित कर तत्काल शासन को उपलब्ध कराने हेतु निर्देश दिये गये। जिनके प्रति इस कार्यालय को भी प्रेषित की गयी है (संलग्नक संख्या–7), जिसके क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी रामनगर ने पत्र सं0 393/6–1 दिनांक 28.08. 2015 द्वारा श्री विवेक कुमार जैन, उत्तराखण्ड शासन देहरादून को अवगत कराया कि N.T.C.A. की गाईडलाईन के

Scanned by TapScanner

के अनुसार प्रति वयस्क पुरूष को इस वन भूमि को छोड़ने के एवज में रू0 10–10 लाख देने का प्राविधान किया ... संख्या–8), किन्तु मनोनित ग्राम प्रधान श्री चन्दन राम आर्य इस सुझाव से सहमत नहीं है। तथा सुन्दरखाल ...त परिवारों का कहना है कि सुन्दरखाल की वन भूमि के एवज में उन्हें भूमिधरी श्रेणी की कृषि योग्य भूमि मूलभूत ...ओं के साथ दी जाये (संलग्नक संख्या–9)। चूंकि सुन्दरखाल नामक क्षेत्र आरक्षित वन क्षेत्र है आरक्षित वन क्षेत्र के एवज आरक्षित वन भूमि विनिमय में नहीं दी जा सकती है। सुन्दरखाल के विस्थापन हेतु 73.84 है0 भूमि की उपलब्धता यदि राजस्व विभाग सुनिश्चित कर सकता है तभी सुन्दरखाल का विस्थापन हो सकता है।

इसलिए वर्तमान परिस्थितियों में सुन्दरखाल के विस्थापन हेतु राजस्व विभाग ही निर्णय ले सकता है।

भवदीय

(सुभाष चन्द्रा)
प्रभागीय वनाधिकारी
रामनगर वन प्रभाग, रामनगर

पत्रांक 2301 / 29-33 दिनांकित।

प्रतिलिपिः– प्रमुख वन संरक्षक (वन्य जीव) उत्तराखण्ड देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः– मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊँ उत्तराखण्ड, नैनीताल को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः– निदेशक, कार्बेट टाइगर रिजर्व को सूचनार्थ प्रेषित।

(सुभाष चन्द्रा)
प्रभागीय वनाधिकारी
रामनगर वन प्रभाग, रामनगर

Scanned by TapScanner

11(4)

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, [illegible] वन प्रभाग,
रामनगर (नैनीताल)
dfo_[illegible]@[illegible]mail.com दूरभाष / फैक्स [illegible]1352

पत्रांक [illegible] / [illegible] दिनांक, रामनगर 23/5/2018

सेवा में,

जिलाधिकारी
नैनीताल।

विषय:– रिट याचिका (पी0आई0एल0) संख्या 85/2014 में माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.12.2017 के अनुपालन में सुन्दरखाल/ढिकुली एवं धनगढ़ी कौरिडोर में स्थित लोगों को विस्थापित करने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:– वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, हल्द्वानी नैनीताल का पत्रांक 1900/29–3 (3) दिनांक 15.03.2018।

महोदय

उपरोक्त विषय के क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक 2301/29–3 (3) दिनांक 08.03.2018 द्वारा रिट याचिका (पी0आई0एल0) संख्या 85/2014 में माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.12.2017 के अनुपालन में सुन्दरखाल/ढिकुली एवं धनगढ़ी कौरिडोर में स्थित लोगों को विस्थापित करने के सम्बन्ध में वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी को विस्तृत आख्या प्रेषित की गई है जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि कथित विस्थापन राजस्व विभाग के हस्तक्षेप के बिना सम्भव नहीं है। इसके क्रम में उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त ने आपसे नियमानुसार कार्यवाही हेतु आग्रह भी किया है। उक्त सन्दर्भित पत्र की छायाप्रति सुलभ सन्दर्भ हेतु पुनः प्रेषित की जा रही है जिसमें आपके स्तर से कार्यवाही अपेक्षित है।

अतः महोदय से निवेदन है कि उक्त सन्दर्भित पत्रांक के क्रम में नियमानुसार कृत कार्यवाही अतिशीघ्र कराने का कष्ट करें ताकि माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना ना होने पाये।

संलग्नक:– उपरोक्तानुसार।

भवदीया,

(नेहा वर्मा)
प्रभागीय वनाधिकारी
रामनगर वन प्रभाग, रामनगर

पत्रांक 3022 /29-3(3) दिनांकित
प्रतिलिपि:– प्रमुख वन संरक्षक (वन्य जीव)/मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:– मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊँ उत्तराखण्ड, नैनीताल को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:– वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड हल्द्वानी को सूचनार्थ प्रेषित।

(नेहा वर्मा)
प्रभागीय वनाधिकारी
रामनगर वन प्रभाग, रामनगर

Scanned by TapScanner

सर्वोच्च प्राथमिकता / कोर्टकेस / समयबद्ध / आवश्यक

कार्यालय वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी (नैनीताल)

तिकोनिया वन परिसर हल्द्वानी (नैनीताल) दूरभाष / फैक्स - 05946 220003 ई मेल - cfwestern49@rediffmail.com.

पत्रांक- / 29-3(3) / हल्द्वानी, दिनांक, मार्च, 15 2018.

सेवा में,

जिलाधिकारी
नैनीताल।

विषय :- रिट याचिका (पी0आई0एल0) संख्या–85/2014 में मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.12.2017 के अनुपालन में सुन्दरखाल, ढिकुली एवं धनगड़ी कौरीडोर में स्थित लोगो को विस्थापित करने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- प्रभागीय वनाधिकारी, रामनगर वन प्रभाग, रामनगर की पत्र संख्या– 2301/29–3(3) दिनांक 08.03.2018

महादय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र की छाया प्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि आप प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें तथा कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को भी अवगत करायें।

संलग्न–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(डा0 पराग मधुकर धकाते)
वन संरक्षक
पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।

पत्रांक 1900/ उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि-प्रमुख वन संरक्षक (वन्यजीव)/मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक उत्तराखण्ड, देहरादून को को संदर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि-मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊँ, उत्तराखण्ड, नैनीताल को संदर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि–निदेशक, कार्बेट टाईगर रिजर्व रामनगर को उपरोक्त संदर्भित पत्र के कम मे सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि–प्रभागीय वनाधिकारी रामनगर वन प्रभाग, रामनगर को संदर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ प्रेषित।

क्रमांक सं0 11488
पत्रा0 29-3(3)
दि0 19/3/2018

(डा0 पराग मधुकर धकाते)
वन संरक्षक
पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।

Scanned by TapScanner

कार्यालय जिलाधिकारी नैनीताल। दिनांक 01/06/2018

पत्र संख्या 809 / 12- ज्वे०ए०सी० / 2018

विषयः- रिट याचिका पी०आई०एल० संख्या 85 / 2014 में माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.12.2017 के अनुपालन में सुन्दरखाल / ढिकुली एवं धनगढ़ी कोरिडोर में स्थित लोगों को विस्थापित करने के सम्बन्ध में।

——00——

सहायक अभिलेख अधिकारी / उपजिलाधिकारी,
हल्द्वानी।

उपजिलाधिकारी, रामनगर।

कृपया उपर्युक्त विषयक प्रभागीय वनाधिकारी, रामनगर वन प्रभाग रामनगर के पत्रांक 3022 / 29-3 दिनांक 23.05.2018 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसमें उनके द्वारा रिट याचिका पी०आई०एल० संख्या 85 / 2014 में माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.12.2017के अनुपालन में सुन्दरखाल / ढिकुली एवं धनगढ़ी कोरिडोर में स्थित लोगों को विस्थापित करने के सम्बन्ध में वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त हल्द्वानी नैनीताल का पत्रांक 1900 / 29-3(3) दिनांक 15.03.2018 संलग्न कर नियमानुसार कार्यवाही राजस्व विभाग के हस्तक्षेप के बिना सम्भव नही है।

अतः उक्त संलग्न प्रार्थना पत्र में दिये गये बिन्दुओं पर अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न उपरोक्तानुसार।

प्रभारी अधिकारी,
कृते जिलाधिकारी नैनीताल।

कर्म सं० 13217
पत्रांक 29-3(3)
दिनांक 06/6/2018

संख्या एवं दिनांक उक्त।

(13) प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी रामनगर वन प्रभाग, रामनगर को अपने पत्रांक 3022 / 29-3(3) दिनांक 23.05.2018 के कम में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभारी अधिकारी,
कृते जिलाधिकारी नैनीताल।

Scanned by TapScanner

11(4)

कार्यालय जिलाधिकारी नैनीताल।

पत्र संख्या 1036/12-ज्यै0ए0सी0/2018 दिनांक 03/08/2018

सहायक अभिलेख अधिकारी/उपजिलाधिकारी,
हल्द्वानी।

उपजिलाधिकारी,
रामनगर।

विषय:— रिट याचिका (पी0आई0एल0) संख्या 85/2014 में माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.12.2017 के अनुपालन में सुन्दरखाल/ढिकुली एवं धनगढ़ी कोरिडोर में स्थित लोगों को विस्थापित करने के सम्बन्ध में।

——00——

कृपया उपर्युक्त विषयक प्रभागीय वनाधिकारी,रामनगर वन प्रभाग, रामनगर के पत्रांक 376/29–3(3) दिनांक, रामनगर दिनांक 24.07.2018 जिसकी प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसमें उनके द्वारा रिट याचिका पी0आई0एल0 संख्या 85/2014 में माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.12.2017 के अनुपालन में सुन्दरखाल/ढिकुली एवं धनगढ़ी कोरिडोर में स्थित लोगों को विस्थापित करने के सम्बन्ध में अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करने हेतु अवगत कराया गया है।

उक्त सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र संख्या 808/12–ज्यै0ए0सी0/2018 दिनांक 01,जून, 2018 से प्रभागीय वनाधिकारी रामनगर वन प्रभाग रामनगर के पत्रांक 3022/29–3 दिनांक 23.05.2018 की प्रति भी आपको संलग्न पत्र में दिये गये बिन्दुओं पर अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करने हेतु अनुरोध किया गया था।

मं सं0 1371
पत्रांक 29-3(3)
दिनांक 18/8/2018

अतः रिट याचिका पी0आई0एल0 संख्या 85/2014 में माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.12.2017 के अनुपालन में सुन्दरखाल/ढिकुली एवं धनगढ़ी कोरिडोर में स्थित लोगों को विस्थापित करने के सम्बन्ध में तत्काल आवश्यक कार्यवाही करते हुये आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्न उपरोक्तानुसार।

प्रभारी अधिकारी,
कृते जिलाधिकारी, नैनीताल।

संख्या एवं दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी, रामनगर, वन प्रभाग रामनगर को अपने पत्रांक 376/29– 4.07.2018 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभारी अधिकारी,
कृते जिलाधिकारी, नैनीताल।

Scanned by TapScanner

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, रामनगर वन प्रभाग,
रामनगर (नैनीताल)
dfo_ramnagar@rediffmail.com दूरभाष/फैक्स : 05947-251352

11(4)

पत्रांक:- 880 / 29 3(3) दिनांक, रामनगर 05 09.2018

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक (HoFF)
उत्तराखण्ड, देहरादून ।

द्वारा:- उचित माध्यम।

विषय:- रामनगर वन प्रभाग, रामनगर के अवशेष क्षेत्र को सन्दर्भित शासनादेश के अनुसार कार्बेट टाईगर रिजर्व के बफर जोन में हस्तान्तरण करने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल में योजित पी0आई0एल0 संख्या 06/2012 एवं पी0आई0एल0 संख्या 85/2014 व इस कार्यालय का पत्रांक 348/12-1 दिनांक 21.07.2018 व पत्रांक 995/12-1 दिनांक 18.08.2018 व पत्रांक 857/29-3(3) दिनांक 01.09.2018।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्रों के क्रम में आपको अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या 1540/14-3-139 दिनांक 11.06.1991 द्वारा रामनगर वन प्रभाग का 9606 है0 क्षेत्र कार्बेट टाईगर रिजर्व के बफर जोन में हस्तान्तरित किये जाने के सम्बन्धित निर्देश निर्गत किये गये थे जिसमें से धुलवा पूर्वी 9ब व 11ब एवं दुमुण्डा पूर्वी 4ब व 4स का कुल 318.8 है0 क्षेत्र को अभी तक कार्बेट टाईगर रिजर्व द्वारा अपने नियन्त्रण में नहीं लिया गया है। यह क्षेत्र उत्तराखण्ड शासन, वन एवं पर्यावरण अनुभाग-2 द्वारा जारी अधिसूचना संख्या व0जी0 05/X-2-2010-19 (34)/2005 दिनांक 26.02.2010 के द्वारा भी कार्बेट टाईगर रिजर्व के नियन्त्रणाधीन टाईगर रिजर्व का बफर घोषित किया गया। इस सम्बन्ध में उपरोक्त सन्दर्भित पत्रों द्वारा निदेशक, कार्बेट टाईगर रिजर्व को उक्त क्षेत्र को अपने नियन्त्रण में लेने हेतु निवेदन किया जा चुका है।

आपको यह भी अवगत कराना है कि सुन्दरखाल अतिक्रमण क्षेत्र, जो धुलवा ब्लाक कक्ष संख्या 9ब व 11ब में स्थित है, के विस्थापन के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में विचाराधीन पी0आई0एल0 संख्या 85/14 में पारित आदेश दिनांक 18.12.2017 के पृष्ठ संख्या 16 बिन्दु संख्या 35 में निम्न दिशा निर्देश दिये गये है जिसके अंश निम्न प्रकार है:-

"**Direction:** .... We also recommend to the State Govt. to remove the encroachments from the vital corridors including at Sunderkhal between Dhikuli and Dhangadi on the banks of River Kosi. The State is directed to take effective steps for rehabilitation of the persons who are affected/displaced. The persons who have encroached upon the land belong to the lowest strata of society. Their settlement must be carried out with due sensitivity."

पी0आई0एल0 संख्या 06/2012 में पारित आदेश दिनांक 04.09.2018 के बिन्दु संख्या 12 एवं 14 में दिये गये आदेश निम्न प्रकार है:-

क्रमशः ....

Scanned by TapScanner

11(4)

"12. Applicant has also placed on record the fact that the area measuring 318.80 hec... falling in Dhulwa and Dhumanda has not been formally included in the Corbett Tiger Reserve. The State Government is directed to take all effective steps to include this area in Corbett Tiger Reserve within one month from today".

"14. Accordingly, we direct the Additional Chief Secretary to the State of Uttarakhand to take all necessary steps to remove the encroachers from the buffer zone namely Sundarkhal opposite Dhangari Gate within one month from today by issuing notices of four weeks. Three weeks' time be granted to file the reply. Thereafter, the necessary order shall be passed in accordance with law".

अतः विनम्र निवेदन है कि उक्त शासनादेश एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन के क्रम में धुलवा पूर्वी 9ब व 11ब एवं दुमुण्डा पूर्वी 4ब व 4स का कुल 318.8 है0 क्षेत्र को कार्बेट टाईगर रिजर्व के नियन्त्रण में हस्तान्तरण करवाने हेतु दिशानिर्देश देने की कृपा करें जिससे सुन्दरखाल क्षेत्र के विस्थापन की कार्यवाही ससमय पूर्ण की जा सके एवं माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन हो सके।

भवदीया,

(नेहा वर्मा)
प्रभागीय वनाधिकारी
रामनगर वन प्रभाग, रामनगर

पत्रांक 880 / 29-3(3) दिनांकित

अग्रिम प्रतिलिपिः– प्रमुख वन संरक्षक (HoFF) उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– प्रमुख वन संरक्षक (वन्यजीव) / मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

अग्रिम प्रतिलिपिः– मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊँ, उत्तराखण्ड, नैनीताल को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– निदेशक, कार्बेट टाईगर रिजर्व, रामनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(नेहा वर्मा)
प्रभागीय वनाधिकारी
रामनगर वन प्रभाग, रामनगर

Scanned by TapScanner

कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड। 11(4)

दू0भा0 0135-2740934 2741401 फैक्स- 2741630 2741462 ईमेल pccfuk@gmail.com

पत्र संख्या- P.O./332 देहरादून, दिनांक, 22 सितम्बर, 2018

आदेश

माननीय उच्च न्यायालय, नैनीताल में विचाराधीन पी0आई0एल0 संख्या 06/2012 में पारित आदेश दिनांक 04.09.2018 के पृष्ठ संख्या 3 के बिन्दु संख्या 12, शासनादेश संख्या 1540/14-3-139/82 दिनांक 11.06.1991, **उत्तराखण्ड शासन, वन एवं पर्यावरण अनुभाग-2** द्वारा जारी अधिसूचना संख्या-व0जी0 05/X-2-2010-19 (34)/2006 दिनांक 26.02.2010 एवं **अपर मुख्य सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन** की अध्यक्षता में दिनांक 11.09.2018 को **माननीय उच्च न्यायालय, नैनीताल** में विचाराधीन रिट पिटीशन (सिविल)-06/2012 **हिमालयन युवा ग्रामीण विकास संस्था** बनाम **भारत सरकार** व अन्य के सम्बन्ध में **शासन** के पत्रांक-2253/X(2) दिनांक 12.09.2018 से जारी बैठक के कार्यवृत्त के क्रम में विषयांकित क्षेत्र 318.80 है0 भूमि, जो वर्तमान में **रामनगर वन प्रभाग**, रामनगर के अधीन है, को निम्न तालिका के अनुसार **रामनगर वन प्रभाग**, रामनगर से हस्तान्तरण कर **कार्बेट टाईगर रिज़र्व, रामनगर** में सम्मिलित करने का आदेश एतदद्वारा दिया जाता है :-

क्र0 सं0	ब्लाक / कक्ष का नाम	क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
1.	धुलवा कक्ष संख्या-9 ब	127.10
2.	धुलवा कक्ष संख्या-11 ब	55.80
3.	दुमुण्डा कक्ष संख्या-4 ब	116.10
4.	दुमुण्डा कक्ष संख्या-4 स	19.80
	योग	**318.80**

संबंधित क्षेत्र में अतिक्रमण भी है। ऐसी स्थिति में चिन्हित-अतिक्रमण के अनुसार हस्तान्तरण की कार्यवाही की जायेगी और हस्तान्तरण के पश्चात् **प्रभागीय वनाधिकारी, रामनगर वन प्रभाग, रामनगर** द्वारा उक्त क्षेत्र में विद्यमान अतिक्रमण को हटाने में **निदेशक, कार्बेट टाईगर रिज़र्व** को पूर्ण सहयोग प्रदान किया जायेगा। मौके पर उपरोक्तानुसार **हस्तान्तरण** की कार्यवाही सम्पन्न कर इस कार्यालय को अविलम्ब अवगत कराया जाये।

22/09/18
(जय राज)
प्रमुख वन संरक्षक
उत्तराखण्ड।

पत्रांक P.O./332 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अपर मुख्य सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. प्रमुख वन संरक्षक, (वन्यजीव)/मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊँ, नैनीताल।
4. मुख्य वन संरक्षक, कार्ययोजना, हल्द्वानी।
5. वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, हल्द्वानी।
6. निदेशक कार्बेट टाईगर रिजर्व, रामनगर।
7. प्रभागीय वनाधिकारी, रामनगर वन प्रभाग, रामनगर।

22/09/18
(जय राज)
प्रमुख वन संरक्षक
उत्तराखण्ड।

Scanned by TapScanner

11(4)

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, रामनगर वन प्रभाग, रामनगर (नैनीताल)

dfo_ramnagar@rediffmail.com, दूरभाष/फैक्स नं0 05947–251362

पत्रांक 1029 / 12-1 दिनांक, रामनगर 24/9/2018

सेवा में

निदेशक
कार्बेट टाईगर रिजर्व
रामनगर।

विषय :– रामनगर वन प्रभाग, रामनगर के अवशेष क्षेत्र को कार्बेट टाईगर रिजर्व में हस्तांतरण करने के सम्बंध में।

सन्दर्भ:– प्रमुख वन संरक्षक (HoFF) उत्तराखण्ड, देहरादून की पत्र संख्या P.O/332 दिनांक 22.09.2018।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसमें रामनगर वन प्रभाग, रामनगर के अधीन तालिकानुसार 318.8 है0 क्षेत्र को कार्बेट टाईगर रिजर्व में सम्मिलित करने का आदेश जारी किया गया है।

क्र0स0	ब्लाक/कक्ष का नाम	क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
1.	धुलवा कक्ष संख्या–9 ब	127.10
2.	धुलवा कक्ष संख्या–11 ब	55.80
3	दुमुण्डा कक्ष संख्या– 4 ब	116.10
4.	दुमुण्डा कक्ष संख्या– 4 स	19.80
	योग:–	318.60

अतः उक्त क्षेत्र को यथाशीघ्र अपने नियंत्रणाधीन लेने हेतु एक तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें ताकि हस्तांतरण की कार्यवाही सुचारू रूप से पूर्ण की जा सके एवं मा0 उच्च न्यायालय तथा प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड, देहरादून के आदेशों का ससमय अनुपालन किया जा सकें।

भवदीया

(नेहा वर्मा)
प्रभागीय वनाधिकारी
रामनगर वन प्रभाग रामनगर

संख्या 1029 /12-1 दिनांकित

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. मुख्य वन संरक्षक, (कुमॉऊ), उत्तराखण्ड नैनीताल।
2. वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड हल्द्वानी।
3. उप प्रभागीय वनाधिकारी, रामनगर वन प्रभाग, रामनगर को इस आशय से प्रेषित कि उक्त क्षेत्र को अपने निर्देशन मे चार्ज नोट तैयार करना सुनिश्चित करें।
4. वन क्षेत्राधिकारी, कोसी राजि को इस आशय से प्रेषित कि उक्त क्षेत्र का चार्ज नोट उप प्रभागीय वनाधिकारी, रामनगर वन प्रभाग, रामनगर के निर्देशन में तैयार करना सुनिश्चित करें।

(नेहा वर्मा)
प्रभागीय वनाधिकारी
रामनगर वन प्रभाग रामनगर

Scanned by TapScanner

संलग्नक – 11(5)

11(5)(8)

संख्या– 141/X–3–13–08(14)/2009 टी.सी.

6(8)

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक

उत्तराखण्ड, देहरादून।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग- 3

देहरादून: दिनांक:– 29 जनवरी, 2013

विषय:– उत्तराखण्ड में गौला, कोसी, दाबका व शारदा से उपखनिज के चुगान स्वीकृति संबंधी भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा अधोरोपित शर्तों के अनुपालन की समीक्षा हेतु समिति के गठन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या क–1085/9–2(3) दिनांक 22.10.2012 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। तत्क्रम में उत्तराखण्ड की गौला, कोसी, दाबका व शारदा नदियों से उपखनिज के चुगान स्वीकृति सम्बन्धी पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या एफ. 8–61/1999–एफ.सी., दिनांक 08.04.2011 एवं पत्रांक 8–61/1999–एफ.सी. (PT-1) दिनांक 08.04.2011, पत्रांक 8–61/1999–एफ.सी. (PT-2) दिनांक 08.04.2011 एवं पत्र संख्या 8–61/1999–एफ.सी. (PT-3) दिनांक 08.04.2011 द्वारा अधिरोपित शर्तों के अनुपालन की समीक्षा हेतु निम्न प्रकार समिति गठन करने हेतु महामहिम राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(I) प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून – अध्यक्ष

(II) प्रमुख वन संरक्षक (वन्य जीव)/मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड – सदस्य

(III) प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, देहरादून अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी – सदस्य

(IV) अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, देहरादून–सदस्य

(V) मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊँ, उत्तराखण्ड, नैनीताल – सदस्य

(VI) वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, नैनीताल – सदस्य

(VII) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नामित सदस्य – सदस्य

(VIII) निदेशक, वन्य जीव संस्थान, देहरादून द्वारा नामित सदस्य – सदस्य

(IX) डब्ल्यू.डब्ल्यू.एफ. इण्डिया के प्रतिनिधि – सदस्य

(X) डब्ल्यू.टी.आई. इण्डिया के प्रतिनिधि – सदस्य

(XI) संस्कार संस्था के नामित प्रतिनिधि – सदस्य

(XII) आई.यू.सी.एन. इण्डिया के प्रतिनिधि – सदस्य

(XIII) सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी – सदस्य

यह आदेश प्रमुख सचिव वन की अनुमोदन पर निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

(मनोज चन्द्रन)

अपर सचिव

E/Mano & Ctrn/...

Scanned with CamScanner

Scanned by TapScanner

11(5)

संख्या–____ /x–3–2019/तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(I) सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।

(II) प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून।

(III) प्रमुख वन संरक्षक, वन्य जीव/मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड, देहरादून।

(IV) प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, देहरादून।

(V) अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, देहरादून।

(VI) मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊँ, उत्तराखण्ड, नैनीताल।

(VII) वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, नैनीताल।

(VIII) निदेशक, भारतीय वन्य जीव संस्थान, देहरादून।

(IX) निदेशक, डब्ल्यू.टी.आई., देहरादून।

(X) अध्यक्ष, संस्कारा संस्था।

(XI) आई.यू.सी.एन. इण्डिया, नई दिल्ली।

(XII) सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी।

(XIII) जिलाधिकारी, नैनीताल/चम्पावत।

आज्ञा से,

(मनोज चन्द्रन)
अपर सचिव

Scanned with CamScanner

Scanned by TapScanner

संलग्नक - II (6) II(6)

प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में दिनांक 15.03.2022 को दोपहर 12.30 बजे वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से आयोजित गौला, कोसी, दाबका, शारदा एवं नन्धौर नदियों से उपखनिज के चुगान स्वीकृति (Forest Clearance) सम्बन्धी भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिरोपित शर्तो के अनुपालन की समीक्षा हेतु गठित अनुश्रवण समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में उपस्थित सदस्य एवं अधिकारियों की सूची निम्न प्रकार है (उपस्थिति पत्रक संलग्न है):-

वीडियो कान्फ्रेन्सिंग कक्ष, वन मुख्यालय, देहरादून की उपस्थिति-

1. श्री डी0जी0के0 शर्मा, प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, देहरादून।
2. श्री रमेश चन्द्र, मुख्य वन संरक्षक, उपयोग, गैर प्रकाष्ठ वन उपज एवं आजीविका देहरादून
3. डा0 पराग मधुकर धकाते, मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. डा0 अनिल कुमार सिंह, डब्ल्यू.डब्ल्यू.एफ. इण्डिया, देहरादून।

वीडियो कान्फ्रेन्सिंग कक्ष, अरण्य भवन वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त कार्यालय की उपस्थिति-

5. डा0 विवेक पाण्डे, मुख्य वन संरक्षक / महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम।
6. श्री दीप चन्द्र आर्य, वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, हल्द्वानी।
7. श्री संदीप कुमार, प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी।
8. श्री बी0एस0 शाही, प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर।
9. श्री बाबूलाल, प्रभागीय वनाधिकारी, हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी।
10. श्री के0 एन0 भारती, क्षेत्रीय प्रबन्धक (कुमांऊ), उत्तराखण्ड वन विकास निगम, हल्द्वानी।
11. श्री वाई0 के0 श्रीवास्तव, प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक, गौला हल्द्वानी।
12. श्री अशोक कुमार, प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक, नन्धौर।
13. श्री एम0 जी0 गोस्वामी, क्षेत्रीय प्रबन्धक (रामनगर), उत्तराखण्ड वन विकास निगम।
14. श्री दिनेश बिष्ट, प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक, खनन रामनगर।
15. सुश्री टायकी मल्होत्रा, संस्कारा संस्था, हल्द्वानी।

निम्न अधिकारियों द्वारा वीडियो लिंक के माध्यम से अपने कार्यालय से बैठक में प्रतिभाग किया-

16. डा0 कपिल जोशी, अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड देहरादून।
17. डा0 तेजस्विनी अरविन्द पाटील, मुख्य वन संरक्षक, कुमांऊ, उत्तराखण्ड नैनीताल।
18. श्री एस0के0 तिवारी, भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून।
19. डा0 कृष्णनन्दु मण्डल, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून।

बैठक प्रारम्भ करते हुए प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग द्वारा प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड एवं अन्य उपस्थित प्रतिभागियों का स्वागत किया। अवगत कराया गया कि गौला, कोसी, दाबका, शारदा, नन्धौर नदियों में 10 वर्षो के लिए उप खनिज चुगान हेतु अनुमति भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के निम्नलिखित आदेशों से कतिपय शर्तो के अधीन प्राप्त हुई है। मॉनिटरिंग समिति का दायित्व भारत सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमति में अधिरोपित शर्तो के अनुपालन की समीक्षा किया जाना निर्देशित है।

Scanned with OKEN Scanner

Scanned by TapScanner

समिति को अवगत कराया गया कि विभिन्न नदियों में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत खनन की अनुमति निम्न तालिका के अनुसार प्रदान की गयी है:-

नदी का नाम	वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त अनुमति की आदेश संख्या तथा अनुमति की प्राप्ति का दिनांक
गौला	F. No. 8-61/1999-FC, 23rd January 2013
नन्धौर	F. No. 8-34/1916-FC, 6th September 2017
शारदा	F. No. 8-61/1999-FC (pt-III), 11th February 2013
कोसी	F. No. 8-61/1999-FC (pt-I), 15th February 2013
दाबका	F. No. 8-61/1999-FC (pt-II), 15th February 2013

तत्पश्चात प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग द्वारा प्रस्तुतीकरण के माध्यम से प्रश्नगत पांचों नदियों से सम्बन्धित निम्न प्राथमिक जानकारी दी गयी।

नदी का नाम	जनपद का नाम	प्रभाग का नाम	नदी का वह क्षेत्रफल जिसमें चुगान की अनुमति प्राप्त है (हैक्टेयर में)
गौला	नैनीताल	तराई पूर्वी वन प्रभाग	1497
नन्धौर	नैनीताल ऊधमसिंह नगर	तराई पूर्वी वन प्रभाग	468
शारदा	चम्पावत	हल्द्वानी वन प्रभाग	384.69
कोसी	चम्पावत	तराई पश्चिमी वन प्रभाग	254
दाबका	चम्पावत	तराई पश्चिमी वन प्रभाग	223

नदियों से उप खनिज चुगान की वस्तुस्थिति सम्बन्धी विवरण –

नदी का नाम	भारत सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमति के अनुसार उप खनिज चुगान की अधिकतम मात्रा (लाख घन मीटर में)	CSWCRTI (IISWC) द्वारा सर्वे उपरान्त चुगान सत्र 2021–22 हेतु अनुमानित मात्रा (लाख घन मीटर में)	दि0 10.03.2022 तक उप खनिज चुगान की मात्रा (लाख घन मीटर में)
गौला	54.25	38.24	21.00
नन्धौर	20.30	7.02	3.62
शारदा	CSWCRTI द्वारा प्रतिवर्ष अनुमानित मात्रा	9.81	1.358
कोसी	Recommended संस्था द्वारा प्रतिवर्ष अनुमानित मात्रा	6.31	1.90
दाबका	CSWCRTI द्वारा प्रतिवर्ष अनुमानित मात्रा	1.67	0.79

Scanned with OKEN Sca
Scanned by TapScanner

11(6)

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उक्त नदियों के स्वीकृति सम्बन्धी आदेशों में अधिरोपित शर्तों के अनुपालन में वन विकास निगम के अधिकारियों द्वारा बिन्दुवार निम्न अनुसार प्रस्तुतीकरण किया गया :–

गौला नदी–

(i) Legal status of the diverted forest land shall remain unchanged.-

पांचों ही नदियों की हस्तान्तरित वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उक्त भूमि आज भी आरक्षित वन क्षेत्र है। अतः इस बिन्दु का अनुपालन हो रहा है।

(ii) Compensatory afforestation over degraded forest land equal in extent to the forest land being diverted shall be raised and maintained by the state forest department from funds realised from the user agency.–

प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग ने यह अवगत कराया कि गौला नदी के वन भूमि हस्तान्तरण के सापेक्ष प्रतिवर्ष 150 है0 क्षतिपूरक वृक्षारोपण किये जाने का लक्ष्य तराई पूर्वी वन प्रभाग को प्राप्त है, इस प्रकार 10 वर्षो में कुल 1500 है0 क्षतिपूरक वृक्षारोपण किये जाने का लक्ष्य निर्धारित है। प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त लक्ष्य के सापेक्ष वर्तमान तक 1323.35 है0 क्षेत्र में क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया जा चुका है तथा अवशेष लक्ष्य 176.65 है0 क्षतिपूरक वृक्षारोपण को वर्ष 2023 तक पूर्ण कर लिया जायेगा। प्रभागीय वनाधिकारी, हल्द्वानी एवं तराई पश्चिमी वन प्रभाग द्वारा अवगत कराया गया कि शारदा, कोसी एवं दाबका नदियों हेतु निर्धारित क्षतिपूरक वृक्षारोपण भी नियमानुसार किया जा रहा है। अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड देहरादून द्वारा निर्देशित किया गया कि समस्त वृक्षारोपण क्षेत्रों की के.एम.एल. फाईल्स को ई–ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाय।

(iii) The state government shall realise from the user agency the additional amount of NPV, if so determined, as per the final decision of the Hon'ble Supreme Court of India and transfer the same to the ad-hoc CAMPA.–

समिति के संज्ञान में यह आया कि गौला तथा अन्य नदियों में उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा NPV जमा नहीं किया गया है। इस बिन्दु पर महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा अवगत कराया गया कि उत्तराखण्ड वन विकास निगम पर NPV की देयता मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेशों के क्रम में नहीं बनती है। भारत सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमति में भी इस बात का उल्लेख नहीं है। यह भी अवगत कराया गया कि राज्य सरकार द्वारा भी NPV भुगतान से सम्बन्धित कोई दिशा–निर्देश प्राप्त नहीं हैं, और ना ही इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित किया गया है। इस सम्बन्ध में प्रमुख वन संरक्षक (HoFF) महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि गत वर्ष दिये गये निर्देशों के क्रम में वन विकास निगम द्वारा NPV जमा करने के सम्बन्ध में नोडल अधिकारी/शासन को पत्र लिखकर स्पष्ट दिशा–निर्देश लिये जाय।

(iv) The user agency shall obtain the Environment Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if required;.-

डा0 कृष्णनन्दु मण्डल, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा समस्त नदियों के Environment Clearance की अद्यतन स्थिति के सम्बन्ध में जानकारी चाही गयी। महाप्रबन्धक, कुमांऊ, उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा यह अवगत कराया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वन विकास निगम द्वारा प्रेषित गौला, कोसी, दाबका एवं शारदा नदियों की EC की वैधता Forest Clearance के समतुल्य (Co-terminus) के उद्देश्य से प्रेषित प्रस्ताव के क्रम में

Scanned with OKEN Scanner

Scanned by TapScanner

11(6)

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा EC की वैधता में विस्तारीकरण किया गया है।

अतः इस शर्त के अनुपालन में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समस्त नदियों हेतु निम्न अनुसार Environment Clearance प्राप्त है –

नदी का नाम	Environment Clearance स्वीकृति की पत्र संख्या	वैधता की अन्तिम तिथि
गौला	J-110105/363/2009 IA. II(M) दिनांक 01.03.2021	22.01.2023
नन्धौर	J-11015/401/2015–IA -II(M) दिनांक 27.02.2018	27.02.2028
कोसी	J-11015/360/2009–IA. II(M) दिनांक 30.03.2021	15.02.2023
दाबका	J-11015/359/2009–IA. II(M) दिनांक 01.03.2021	15.02.2023
शारदा	J-11015/362/2009–IA. II(M) दिनांक 01.03.2021	11.02.2023

अध्यक्ष प्रमुख वन संरक्षक (HoFF) द्वारा निर्देशित किया कि उक्त प्रकरण का उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा गम्भीरता से Follow up किया जाय, ताकि माह अप्रैल 2021 से पूर्व ससमय उक्त स्वीकृति प्राप्त हो जाय तथा उपखनिज चुगान में कोई बाधा उत्पन्न न हो।

(v) The State Government and the user agency shall work with local residents of Bindu Khatta to give safe and uninterrupted passage to the wild animals passing through the Gola corridor, expedite payment of compensation in case of any damage to property etc. and generally increase awareness of the methods of co-existence of man and wildlife; -

(vi) The State Government shall not allow any new facility/ structure within the Gola corridor to ensure its restoration in future. The State Government shall also ensure that the boundary of the ITBP battalion headquarters be shifted towards south so as to ensure that it is located entirely on southern side of the Gola corridor and that the corridor is maintained free of fresh obstructions from the Highway/ Railway line upto the Bindu Katha settlement;-

उक्त शर्तो (v, vi) के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग द्वारा अवगत कराया गया कि मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं में ससमय मुआवजा दिया जा रहा है। इस सम्बन्ध में महाप्रबन्धक वन विकास निगम, डा0 विवेक पाण्डे द्वारा अवगत कराया गया कि वन्य जन्तुओं के निर्बाध आवागमन हेतु गौला नदी के खनन क्षेत्र का 2.5 कि0मी0 भाग खनन हेतु प्रतिबन्धित किया गया है। यह भी अवगत कराया गया कि ITBP battalion headquarters को दक्षिण की तरफ Shift कर दिया गया है।

श्री संदीप तिवारी, प्रतिनिधि निदेशक भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून द्वारा अवगत कराया गया कि गत वर्ष की बैठक में कॉरीडोर के प्रबन्धन हेतु Futuristic corridor plan के गठन हेतु चर्चा की गयी थी एवं यह निर्देशित किया गया था कि उक्त प्लान के गठन हेतु एक समिति का गठन किया जायेगा। मुख्यवन्यजीव प्रतिपालक महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि कॉरीडोर प्लानिंग "प्रोजैक्ट ऐलीफेन्ट" के अन्तर्गत सम्मिलित है, जिसे इस योजना के अन्तर्गत लिया जायेगा। अतः समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि कॉरीडोर प्लानिंग को "प्रोजैक्ट ऐलीफेन्ट" के अन्तर्गत लिया जाय।

(vii) To eliminate disturbance from collection of minor minerals on movement of wild animals along the gola corridor, collection of minor minerals in a 2.50 km long stretch of the river bed located on the gola corridor shall be prohibited. However, in case it is observed that non-collection of minor mineral from the corridor results in major floods in adjoining areas,

Scanned with OKEN Scanner

Scanned by TapScanner

the user agency, under strict supervision of the State Forest Department and representative of the Chief Wildlife Warden, may undertake periodic accelerated collection (during the period having least frequency of wildlife movement) of minor minerals from said stretch of the river bed, to maintatin river geometry;-

प्रभागीय वनाधिकारी तराई पूर्वी वन प्रभाग द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में प्रश्नगत 2.50 किमी0 क्षेत्र में खनन कार्य पूर्णतः प्रतिबन्धित किया गया है। वन विकास निगम के अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि गत वर्ष गौला कॉरीडोर में आर0बी0एम0 एकत्रित होने के कारण नदी के पूर्वी तट में कटाव हुआ है, जिसके दृष्टिगत अत्यधिक आर0बी0एम0 का चुगान किया जाना अति आवश्यक होगा। प्रभागीय वनाधिकारी तराई पूर्वी वन प्रभाग द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक 17.10.2021 से 19.10.2021 तक जनपद नैनीताल में हुई भीषण अतिवृष्टि से गौला नदी में आयी बाढ़ के दृष्टिगत जिलाधिकारी नैनीताल द्वारा गौला कॉरीडोर क्षेत्र में आपदा प्रबन्धन अधिनियम के अन्तर्गत भू–कटाव को रोकने हेतु चैनलिंग कार्य हेतु आदेश निर्गत किये गये थे, जिसके अन्तर्गत माह अक्टूबर एवं नवम्बर 2021 में चैनलिंग कार्य करवाया गया।

समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि गौला कॉरीडोर क्षेत्र में भूकटाव रोकने हेतु उपखनिज चुगान के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड वन विकास निगम क्षेत्र का तकनीकी आंकलन कर औचित्यपूर्ण प्रस्ताव प्रभागीय वनाधिकारी तराई पूर्वी वन प्रभाग के माध्यम से मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक को प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।

(viii) To restore the functionality and utility of the migratory corridor linking Corbet Tiger Reserve with the Pawalgarh Conservation Reserve, the State Government may explore feasibility to relocate the settlements from the Sundearkhal village by using State CAMPA funds;-

इस बिन्दु के संबंध में संस्कारा संस्था की प्रतिनिधि टाईकी मल्होत्रा द्वारा सुन्दरखाल ग्राम की पुर्नस्थापना के सम्बन्ध में जानकारी चाही गयी। प्रमुख वन संरक्षक (HoFF) महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त प्रकरण मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में विचाराधीन है एवं तद्नुसार ही भविष्य में कार्यवाही की जायेगी।

(ix) The State Government shall constitute a committee under Chairmanship of the Principal Chief Conservator of Forest, Government of Uttarakhand and having the representative of the Ministry of Environment & Forests, Wildlife Institute, Dehradun and NGOs such as Sanskara, WWF-India, WTI, IUCN etc. as its members to review annually the status of compliance of the stipulated conditions and issue appropriate direction to the user agency in case of any deviation as well as any hazard due to non-removal of minor minerals from the protected corridor. The collection of minor minerals after 31st day of January in a year shall be allowed only after receipt of certificate from the Monitoring Committee that the conditions stipulated in the approval accorded under the Forest (Conservation) Act, 1980 and the instructions issued by the Monitoring Committee have satisfactorily been complied in collection of the minor minerals during the previous calendar year;-

इस शर्त के अनुपालन हेतु मॉनिटरिंग कमेटी राज्य सरकार द्वारा गठित कर दी गयी है तथा आज उक्त समिति की वार्षिक बैठक सम्पन्न की जा रही है।

(x) To ensure extraction of minor minerals in a sustainable manner the user agency shall formulate a transparent and unbiased procedure for engagement of labourers for extraction of the minor minerals from the diverted forest land; ;-

Scanned with OKEN Scanner
Scanned by TapScanner

11(6)

उक्त बिन्दु के अनुपालन के सम्बन्ध में क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, कुमांऊ द्वारा यह अवगत कराया गया है कि नदियों से चुगान हेतु रजिस्टर्ड वाहनों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया तथा चुगान की प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से एवं बिना किसी भेदभाव के सम्पन्न की जाती है।

(xi) Fifty percent of the net profit earned by the user agency from the collection of minor minerals shall be deposited to a Special purpose Vehicle (SPV) to be constituted by the Sate Government under the Chairmanship of the Chief Wildlife Warden, Government of Uttarakhand. The amount to be deposited in the SPV shall be used exclusively for river training activities and management & protection of forest & wildlife in vicinity of forest land diverted for collection of minor minerals.;-

उक्त शर्त का अनुपालन नियमानुसार हो रहा है। मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक महोदय की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा गत वर्ष दिनांक 25.05.2021 को गौला कार्पस की वार्षिक बैठक सम्पन्न कर कार्ययोजना को स्वीकृत किया गया है। प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रमाग हल्द्वानी द्वारा अवगत कराया गया कि वर्ष 2022–23 की गौला कार्पस निधि की बैठक निकटतम भविष्य में करायी जायेगी।

(xii) The total quantity of minor minerals extracted during a year shall not be more than 54.25 lakh cubic meter.-

किसी भी चुगान सत्र में 54.25 लाख घ0मी0 से अधिक उपखिनज के चुगान की अनुमति नहीं दी जाती है। उत्तराखण्ड वन विकास निगम के अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में IISWC Dehradun द्वारा समस्त नदियों की Replinishment study करवायी गयी है, जिसमें हर नदी से उपखनिज चुगान हेतु अधिकतम मात्रा निर्धारित कर लिया गया है। प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड द्वारा निर्देशित किया गया कि किसी भी दशा में उक्तानुसार आंकलित एवं निर्धारित आयतन से अधिक मात्रा में उपखनिज चुगान न किया जाय। इस शर्त का अनुपालन किया जा रहा है।

(xiii) Extraction of minor minerals shall be restricted to the middle half of the width of river bed after leaving intact one fourth of width of the river bed along its each bank.-

(xiv) To ensure maintenance of river geometry, collection of minor minerals during a working season shall start from centre of the river width and shall gradually extend to the boundary of the permissible area. The maximum permissible depth for collection of minor minerals at centre of the river width shall be limited to 3 meter and it shall gradually be reduced till it reaches boundary of the permissible zone.-

प्रमुख वन संरक्षक (HoFF) महोदय द्वारा इस बिन्दु का कड़ाई से अनुपालन किये जाने के निर्देश दिये गये। उनके द्वारा अवगत कराया गया कि समस्त नदियों में नदी के मध्य के 50 प्रतिशत क्षेत्र को सीमांकित करने के पश्चात ही चुगान कार्य निर्धारित गहराई तक किया जाय। उनके द्वारा अवगत कराया गया कि कतिपय क्षेत्रों में उपखनिज चुगान के उपरान्त निर्धारित मात्रा से अधिक गहरे गढ्ढे देखने में आये हैं। इसके अनुपालन के सम्बन्ध में क्षेत्रीय प्रबन्धक (कुमांऊ क्षेत्र) उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा अवगत कराया गया कि ऐसे प्रकरण जिसमें वाहन स्वामी द्वारा निर्धारित गहराई अथवा सीमांकन से बाहर सम्बन्धी नियम तोड़ा जाता है तो तदनुसार नदी में उसके आवागमन/निकासी को कुछ दिनों के लिए रोक दिया जाता है। अतः इस शर्त का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है।

Scanned with OKEN Scanner

Scanned by TapScanner

11(6)

(xv) To regulate and maintain record of the quantity of minor minerals extracted during a season, the State Forest Department shall set up adequate number of check posts during the collection season.-

इस शर्त के अनुपालन के फलस्वरूप आवश्यकतानुसार चैक पोस्ट की स्थापना की गयी है।

(xvi) Extraction of minor mineral shall be restricted from 1st October to 31st May of the subsequent year.-

क्षेत्रीय प्रबन्धक, कुमांऊ क्षेत्र उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा अवगत कराया गया कि इस वर्ष चुगान सत्र के शुरूआत में बारिष के कारण चुगान विलम्ब से प्रारम्भ हुआ। प्रारम्भिक माहों में उपखनिज चुगान की निकासी भी गत वर्ष की तुलना में कम रही। प्रमुख वन संरक्षक (HoFF). महोदय द्वारा उत्तराखण्ड वन विकास निगम से दाबका एवं कोसी के लक्ष्य प्राप्ति के सम्बन्ध में जानकारी चाही गयी, जिसके अनुपालन में वन विकास निगम द्वारा अवगत कराया गया कि गत माह से उपखनिज चुगान में तीव्रता आयी है एवं चुगान सत्र के अन्त तक पूर्ण लक्ष्य प्राप्ति की संभावना है।

(xvii) Minor minerals shall be collected manually by using hand tools. Use of explosive and heavy machineries for breaking/collection of minor minerals shall be strictly prohibited.-

प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक खनन, हल्द्वानी द्वारा अवगत कराया गया कि इस शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है।

(xviii) Collection time shall be from sun-rise to sun-set.

प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी द्वारा अवगत कराया गया कि इस शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है।

(xix) No labour camp shall be set up in the forest area for the labourers engaged in collection of the minor minerals.

प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक खनन, हल्द्वानी द्वारा अवगत कराया गया कि इस शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है।

(xx) Breaking of boulders shall be undertaken outside the forest boundaries.

प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक खनन, हल्द्वानी द्वारा अवगत कराया गया कि इस शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है।

(xxi) The labourers engaged in collection work shall be provided free of cost, fuel wood/alternate source of energy to avoid any pressure on adjoining forests.

महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त शर्त का नियमानुसार अनुपालन किया जा रहा है।

(xxii) The boundary of the forest land being diverted shall be demarcated on ground at the project cost, by erecting four feet high reinforced cement concrete pillars, each inscribed with its serial number, DGPS coordinates, forward and back bearing and distance from adjoining pillars etc.-

प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी द्वारा यह अवगत कराया गया कि चुगान क्षेत्र का सीमांकन पिलर्स के माध्यम से किया जा रहा है तथा इस शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है।

(xxiii) The forest land shall not be used for any purpose other than the specified in the proposal.

Scanned with OKEN Scanner

Scanned by TapScanner

11(6)

मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊं द्वारा यह अवगत कराया गया कि प्रत्यावर्तित आरक्षित वन भूमि का उपयोग उसी कार्य हेतु किया जा रहा है जिस हेतु उसका हस्तान्तरण किया गया है।

(xxiv) User agency shall submit annual self monitoring report, indicating status of compliance to the conditions stipulated in the approval, to the State Government and the concerned Regional Office of this Ministry.

क्षेत्रीय प्रबन्धक, कुमाऊं, उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा अवगत कराया गया कि वार्षिक self monitoring report राज्य सरकार को तथा भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के देहरादून स्थित क्षेत्रीय कार्यालय को शीघ्र ही उपलब्ध करायी जा रही है। विगत वर्ष की self monitoring report राज्य सरकार तथा भारत सरकार को उपलब्ध करायी जा चुकी है तथा समिति के सदस्यों को भी इसकी एक प्रति उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये।

(xxv) Any other condition that the Central Regional Office of this Ministry, Lucknow and the State Government of Uttarakhand may stipulate, from time to time, in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife and

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा कोई अन्य शर्त अधिरोपित नहीं की गयी है। उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा अवगत कराया गया कि भारत सरकार द्वारा जारी "Sustainable sand mining guidelines" का भी अनुपालन किया जा रहा है।

(xxvi) The User Agency and the State Government shall ensure compliance to provisions of the all Acts Rules, Regulations and Guidelines for the time being in force as applicable to the project

क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, कुमाऊं एवं रामनगर द्वारा अवगत कराया गया कि इस शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है।

नन्धौर नदी–

प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग द्वारा भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की शर्त सं० (ii) की तरफ ध्यान आकृष्ट किया गया जिसके अनुसार "(ii) 25% of revenue realised from disposal of material from river beds shall be spent on river training and treatment of catchment area." उक्त शर्त का अनुपालन सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है। समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि इस सम्बन्ध मे उत्तराखण्ड शासन से उचित दिशा निर्देश प्राप्त कर लिए जाय।

कोसी एवं दाबका नदी–

भारत सरकार द्वारा कोसी एवं दाबका नदी से उपखनिज चुगान हेतु प्रदत्त अनुमति की ज्यादातर शर्तें गौला नदी की अनुमति के समान हैं। परन्तु बिन्दु संख्या 4 में अधिरोपित शर्त निम्नानुसार है –

No collection of minor minerals shall be permitted from the portion of the Dabka river located on northern side of the Ramnagar- Haldwani Highway.

प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पश्चिमी वन प्रभाग द्वारा यह अवगत कराया गया कि भारत सरकार द्वारा अधिरोपित उक्त शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है तथा गौला पुल के उत्तरी भाग से उपखनिज का चुगान नहीं किया जा रहा है।

शारदा नदी–

शेष...

Scanned with OKEN Scanner

Scanned by TapScanner

11(6)

भारत सरकार द्वारा कोसी एवं दाबका नदी से उपखनिज चुगान हेतु प्रदत्त अनुमति की ज्यादातर शर्तें गौला नदी की अनुमति के समान हैं। परन्तु बिन्दु संख्या 4 एवं 9 में अधिरोपित शर्त निम्नानुसार है –

4- No collection of minor minerals shall be permitted from the portion of the Sharda river located on the upstream of the Sharda barrage.

9- The State Government shall through the Central Soil & Water Conservation Research and training institute (CSWCRTI), Dehradun assess the quantity of minor minerals that may be sustainably be collected from the said portion of the Sharda river and intimate the same to MoEFCC.

क्षेत्रीय प्रबन्धक, कुमांऊ, उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा यह अवगत कराया गया कि शारदा नदी से उपखनिज चुगान में भारत सरकार द्वारा अधिरोपित उक्त शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है तथा Indian Institute of Soil and Water Conservation (IISWC) Dehradun द्वारा आंकलित मात्रा के अनुसार ही उपखनिज का चुगान किया जा रहा है तथा IISWC से प्राप्त रिपोर्ट को MoEFCC भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय को उपलब्ध कराया जा रहा है।

अन्त में प्रमुख वन संरक्षक (HoFF) उत्तराखण्ड द्वारा कोसी एवं दाबका नदियों में अवैध खनन को रोकने के लिए कठोर उपाय किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। उनके द्वारा अपेक्षा की गयी कि उत्तराखण्ड वन विकास निगम एवं सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से अवैध खनन को नियंत्रित किया जाना अति आवश्यक है। प्रभागीय वनाधिकारियों को यह भी निर्देशित किया गया कि अवैध खनन में लिप्त वाहन को सीज करने के उपरान्त राजसात करना अति आवश्यक है ताकि अवैध खनन के प्रकरणों में प्रभावी नियंत्रण किया जा सके।

बैठक में उपस्थित सभी प्रतिभागियों को धन्यवाद देते हुए बैठक समाप्त की गयी।

(विनोद कुमार)
प्रमुख वन संरक्षक (HoFF),
उत्तराखण्ड, देहरादून।

Scanned with OKEN Scanner

Scanned by TapScanner

11(6)

कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड, देहरादून

वन मुख्यालय, 85–राजपुर रोड, देहरादून

पत्रांक– 833(N.T.F.P.)9-2(3)/ हल्द्वानी, दिनांक, 07-6-2022

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2– प्रमुख वन संरक्षक (वन्य जीव)/ मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, चन्द्रबनी, देहरादून।
3– प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, देहरादून।
4– निदेशक वन्य जीव संस्थान, देहरादून।
5– अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, देहरादून।
6– क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून।
7– मुख्य वन संरक्षक (कुमांऊ), उत्तराखण्ड, नैनीताल।
8– वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।
9– प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी।
10– प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर।
11– प्रभागीय वनाधिकारी, हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी।
12– डब्ल्यू.डब्ल्यू.एफ इंडिया।
13– डब्ल्यू.टी.आई. इंडिया।
14– संस्कार संस्था।
15– आई.यू.सी.एन. इंडिया।
16– गार्ड फाइल।

संलग्न– बैठक की उपस्थिति।

(विनोद कुमार)
प्रमुख वन संरक्षक (HoFF),
उत्तराखण्ड, देहरादून।

Scanned with OKEN Sc
Scanned by TapScanner

11(6)

"उत्तराखण्ड में गौला, कोसी, दाबका व शारदा से उपखनिज के चुगान स्वीकृति सम्बन्धी भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा अधोरोपित शर्तो के अनुपालन" की वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से आयोजित बैठक में कुमांऊ स्थित अधिकारीगणों की उपस्थिति

दिनांक 15.03.2022

स्थान–वन संरक्षक पश्चिमी वृत्त कार्यालय वीडियो कॉन्फ्रन्सिंग कक्ष, हल्द्वानी

क्र0सं0	नाम व पदनाम	ई–मेल	हस्ताक्षर
1	Dr Vinod Pandey		[signature]
2	दीप चन्द्र आर्य, वन संरक्षक पश्चिमी वृत्त		[signature]
3	Sandeep Kumar	dfotr@gmail.com	[signature]
4	B.S. Shahi DFO.	bs8958721188@gmail.com	[signature]
5	BABU LAL DFO Haldwani		[signature]
6	Sh K N Bhatt.		[signature]
7	Yogendra Kumar Srivastava		[signature]
8	Ashok Kumar DLM Nandhaur		[signature]
9	M. G. Goswami. RM Ramnagar		[signature]
10	Dhiresh Bisht D.L.M Haldwani		[signature]
11	Tykee Malhotra	sanskara india@yahoo	[signature]
12			
13			
14			
15			
16			

Scanned with OKEN Scanner

Scanned by TapScanner

11(6)

'उत्तराखण्ड में गौला, कोसी, दाबका व शारदा से उपखनिज के चुगान स्वीकृति सम्बन्धी भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा अधिरोपित शर्तों के अनुपालन' की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक व मुख्यालय स्थित अधिकारीगणों की उपस्थिति

दिनांक 16.03.2022

स्थान–कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष, वन विभाग मुख्यालय, देहरादून।

क्र०सं०	नाम व पदनाम	ई–मेल	हस्ताक्षर
1	Vinod Kumar, PCCF (HoFF)		[signature]
2	D J K. Sharma MD. UFDC		[signature]
3	Ramesh Chandra, CCF WTFD		[signature]
4	डा. पराग मधुकर धकाते, CWLW, Uttarakhand		[signature]
5	Dr. ANIL KUMAR SINGH Team Leader – TAL WWF – India	aksingh@wwfindia.net	Anil Kumar Singh
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			

Scanned with OKEN Scanner

Scanned by TapScanner

11(6)

प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में दिनांक 20.02.2021 को पूर्वान्ह 11.30 बजे वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से आयोजित गौला, कोसी, दाबकां, शारदा एवं नन्धौर नदियों से उपखनिज के चुगान स्वीकृति (Forest Clearance) सम्बन्धी भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिरोपित शर्तो के अनुपालन की समीक्षा हेतु गठित अनुश्रवण समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में उपस्थित सदस्य एवं अधिकारियों की सूची निम्न प्रकार है (उपस्थिति पत्रक संलग्न–1है):–

वीडियो कान्फ्रेन्सिंग कक्ष, अरण्य भवन वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त कार्यालय की उपस्थिति–

1. डा0 विवेक पाण्डे, मुख्य वन संरक्षक / महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम।
2. डा0 तेजस्विनी अरविन्द पाटील, मुख्य वन संरक्षक, कुमांऊ, उत्तराखण्ड नैनीताल।
3. श्री जीवन चन्द्र जोशी, वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, हल्द्वानी।
4. श्री संदीप कुमार, प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी।
5. श्री चन्द्र शेखर जोशी, प्रभागीय वनाधिकारी, रामनगर वन प्रभाग, रामनगर।
6. श्री हिमांशु बागरी, प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर।
7. श्री कुन्दन कुमार, प्रभागीय वनाधिकारी, हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी।
8. डा0 अभिलाषा, प्रभागीय वनाधिकारी, तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, रूद्रपुर।
9. श्री कुन्दन कुमार, प्रभागीय वनाधिकारी, हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी।
10. श्री एम0 सी0 जोशी, क्षेत्रीय प्रबन्धक (कुमांऊ), उत्तराखण्ड वन विकास निगम, हल्द्वानी।
11. श्री प्रकाश आर्या, प्रभागीय लौगिंग प्रवन्धक, पूर्वी हल्द्वानी।
12. श्री एच0 पी0, प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक, शारदा।
13. श्री वाई0 के0 श्रीवास्तव, प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक, गौला हल्द्वानी।
14. श्री डी0 सी0 बिष्ट, प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक, खनन रामनगर।
15. श्री कृष्ण कुमार उपाध्याय, प्रभागीय लौगिंग प्रवन्धक, नन्धौर (हल्द्वानी)।
16. श्री कृष्ण कुमार, सांख्यिकीय अधिकारी, उत्तराखण्ड वन विकास निगम।

कार्यालय तराई पूर्वी वन प्रभाग हल्द्वानी
प्र० नि० सं० 7681
पत्रांक सं० 26
दिनांक 20/03/2021

वीडियो कान्फ्रेन्सिंग कक्ष, वन मुख्यालय, देहरादून की उपस्थिति–

17. श्री एस0एस0 रसाईली, सदस्य सचिव, राज्य जैव विविधता बोर्ड, देहरादून।
18. डा0 ए0के0 सिंह, WWF India।

निम्न अधिकारियों द्वारा वीडियो लिंक के माध्यम से अपने कार्यालय से बैठक में प्रतिभाग किया–

19. श्री डी0जी0के0 शर्मा, प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी/प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, देहरादून।
20. डा0 बिलाल हवीब, भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून।

Scanned by TapScanner

11(6)

बैठक प्रारम्भ करते हुए प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग द्वारा प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड एवं अन्य उपस्थित प्रतिभागियों का स्वागत किया। अवगत कराया गया कि गौला, कोसी, दावका, शारदा, नन्धौर नदियों में 10 वर्षो के लिए उप खनिज चुगान हेतु अनुमति भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के निम्नलिखित आदेशों से कतिपय शर्तो के अधीन प्राप्त हुई है। मॉनिटरिंग समिति का दायित्व भारत सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमति में अधिरोपित शर्तो के अनुपालन की समीक्षा किया जाना निर्देशित है।

समिति को अवगत कराया गया कि विभिन्न नदियों में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत खनन की अनुमति निम्न तालिका के अनुसार प्रदान की गयी है:-

नदी का नाम	वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त अनुमति की आदेश संख्या तथा अनुमति की प्राप्ति का दिनांक
गौला	F. No. 8-61/1999-FC. 23rd January 2013
नन्धौर	F. No. 8-34/1916-FC. 6th September 2017
शारदा	F. No. 8-61/1999-FC (pt-III). 11th February 2013
कोसी	F. No. 8-61/1999-FC (pt-I). 15th February 2013
दावका	F. No. 8-61/1999-FC (pt-II). 15th February 2013

तत्पश्चात प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग द्वारा प्रस्तुतीकरण के माध्यम से प्रश्नगत पांचों नदियों से सम्बन्धित निम्न प्राथमिक जानकारी दी गयी।

नदी का नाम	जनपद का नाम	प्रभाग का नाम	नदी का वह क्षेत्रफल जिसमें चुगान की अनुमति प्राप्त है (हैक्टेयर में)
गौला	नैनीताल	तराई पूर्वी वन प्रभाग	1497
नन्धौर	नैनीताल ऊधमसिंह नगर	तराई पूर्वी वन प्रभाग	468
शारदा	चम्पावत	हल्द्वानी वन प्रभाग	384.69
कोसी	चम्पावत	तराई पश्चिमी वन प्रभाग	254
दावका	चम्पावत	तराई पश्चिमी वन प्रभाग	223

Scanned by TapScanner

नदियों से उप खनिज चुगान की वस्तुस्थिति सम्बन्धी विवरण –

नदी का नाम	भारत सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमति के अनुसार उप खनिज चुगान की अधिकतम मात्रा (लाख घन मीटर में)	CSWCRTI (IISWC) द्वारा सर्वे उपरान्त चुगान सत्र 2020–21 हेतु अनुमानित मात्रा (लाख घन मीटर में)	दि० 18.02.2021 तक उप खनिज चुगान की मात्रा (लाख घन मीटर में)
गौला	54.25	32.92	20.95
नन्धौर	20.30	5.18	4.84
शारदा	CSWCRTI द्वारा प्रतिवर्ष अनुमानित मात्रा	4.62	1.52
कोसी	Recommended संस्था द्वारा प्रतिवर्ष अनुमानित मात्रा	4.55	3.88
दाबका	CSWCRTI द्वारा प्रतिवर्ष अनुमानित मात्रा	0.63	0.55

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उक्त नदियों के स्वीकृति सम्बन्धी आदेशों में अधिरोपित शर्तो के अनुपालन में वन विकास निगम के अधिकारियों द्वारा बिन्दुवार निम्न अनुसार प्रस्तुतीकरण किया गया :–

गौला नदी:–

(i) Legal status of the diverted forest land shall remain unchanged.-

पांचों ही नदियों की हस्तान्तरित वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उक्त भूमि आज भी आरक्षित वन क्षेत्र है। अतः इस बिन्दु का अनुपालन हो रहा है।

(ii) Compensatory afforestation over degraded forest land equal in extent to the forest land being diverted shall be raised and maintained by the state forest department from funds realised from the user agency.–

प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग ने यह अवगत कराया कि गौला नदी के वन भूमि हस्तान्तरण के सापेक्ष प्रतिवर्ष 150 है० क्षतिपूरक वृक्षारोपण किये जाने का लक्ष्य तराई पूर्वी वन प्रभाग को प्राप्त है, इस प्रकार 10 वर्षो में कुल 1500 है० क्षतिपूरक वृक्षारोपण किये जाने का लक्ष्य निर्धारित है। प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त लक्ष्य के सापेक्ष वर्तमान तक 1073.35 है० क्षेत्र में क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया जा चुका है तथा अवशेष लक्ष्य 426.65 है० क्षतिपूरक वृक्षारोपण को वर्ष 2023 तक पूर्ण कर लिया जायेगा। प्रभागीय वनाधिकारी, हल्द्वानी एवं तराई पश्चिमी वन प्रभाग द्वारा अवगत कराया गया कि शारदा, कोसी एवं दाबका नदियों हेतु निर्धारित क्षतिपूरक वृक्षारोपण भी नियमानुसार किया जा रहा है।

Scanned by TapScanner

(iii) The state government shall realise from the user agency the additional amount of NPV, if so determined, as per the final decision of the Hon'ble Supreme Court of India and transfer the same to the ad-hoc CAMPA.

समिति के संज्ञान में यह आया कि गौला तथा अन्य नदियों में उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा NPV जमा नहीं किया गया है। इस बिन्दु पर महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा अवगत कराया गया कि उत्तराखण्ड वन विकास निगम पर NPV की देयता मा० उच्चतम न्यायालय के आदेशों के क्रम में नहीं बनती है। भारत सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमति में भी इस बात का उल्लेख नहीं है। यह भी अवगत कराया गया कि राज्य सरकार द्वारा भी NPV भुगतान से सम्बन्धित कोई दिशा–निर्देश प्राप्त नहीं हैं, और ना ही इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित किया गया है। इस सम्बन्ध में प्रमुख वन संरक्षक (HoFF) द्वारा निर्देशित किया गया कि वन विकास निगम द्वारा NPV जमा करने के सम्बन्ध में नोडल अधिकारी/ शासन को पत्र लिखकर स्पष्ट दिशा–निर्देश लिये जाय।

(iv) The user agency shall obtain the Environment Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if required:.-

महाप्रबन्धक, कुमांऊ, उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा यह अवगत कराया कि इस शर्त का अनुपालन में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समस्त नदियों हेतु निम्न अनुसार Environment Clearance प्राप्त है –

नदी का नाम	Environment Clearance स्वीकृति की पत्र संख्या	वैधता की अन्तिम तिथि
गौला	11015 / 353 / 2009 दिनांक 13.04.2011	13.04.2021
नन्धौर	J-11015 / 401 / 2015–IA -II(M) दिनांक 27.02.2018	27.02.2028
कोसी	J-11015 / 360 / 2009–IA दिनांक 13.04.2011	13.04.2021
दाबका	J-11015 / 359 / 2009–IA दिनांक 15.04.2011	15.04.2021
शारदा	J-11015 / 362 / 2009–IA II(M) दिनांक 15.04.2011	15.04.2021

उक्तानुसार नन्धौर नदी के अतिरिक्त अन्य समस्त नदियों की EC की वैधता माह अप्रैल 2021 में समाप्त हो रही है। उक्त नदियों की उपखनिज के चुगान हेतु स्वीकृति एवं Environment Clearance सम्बन्धित स्वीकृति Co-terminus न होने के दृष्टिगत Environment Clearance की वैधता Forest Clearance से पूर्व ही समाप्त हो रही है। जिसके दृष्टिगत उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा आवश्यक Environment Clearance सम्बन्धी समस्त औपचारिकतायें Parivesh Portal पर पूर्ण की जा चुकी है, शीघ्र ही पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृति आदेश जारी किया जायेगा।

अध्यक्ष प्रमुख वन संरक्षक (HoFF) द्वारा निर्देशित किया कि उक्त प्रकरण का उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा गम्भीरता से Follow up किया जाय, ताकि माह अप्रैल 2021 से पूर्व ससमय उक्त स्वीकृति प्राप्त हो जाय तथा उपखनिज चुगान में कोई बाधा उत्पन्न न हो। यह भी निर्देशित किया गया कि EC में विलुप्त प्रायः वन्यजीव जैसे हाथी,

Scanned by TapScanner

11(6)

टाइगर, तेंदुवा आदि के संरक्षण हेतु वन्यजीव संरक्षण योजना के गठन एवं क्रियान्वयन सम्बन्धी शर्त के अनुपालन में एक योजना बनाई जाय जिस हेतु आवश्यक धनराशि वन विकास निगम द्वारा उपलब्ध करायी जाय।

(v) The State Government and the user agency shall work with local residents of Bindu Khatta to give safe and uninterrupted passage to the wild animals passing through the Gola corridor, expedite payment of compensation in case of any damage to property etc. and generally increase awareness of the methods of co-existence of man and wildlife: -

(vi) The State Government shall not allow any new facility/ structure within the Gola corridor to ensure its restoration in future. The State Government shall also ensure that the boundary of the ITBP battalion headquarters be shifted towards south so as to ensure that it is located entirely on southern side of the Gola corridor and that the corridor is maintained free of fresh obstructions from the Highway/ Railway line upto the Bindu Katha settlement;-

उक्त शर्तो (v, vi) के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग द्वारा अवगत कराया गया कि मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं में ससमय मुआवजा दिया जा रहा है। इस सम्बन्ध में महाप्रबन्धक वन विकास निगम, डा0 विवेक पाण्डे द्वारा अवगत कराया गया कि वन्य जन्तुओं के निर्बाध आवागमन हेतु गौला नदी के खनन क्षेत्र का 2.5 कि0मी0 भाग खनन हेतु प्रतिवन्धित किया गया है। यह भी अवगत कराया गया कि ITBP battalion headquarters को दक्षिण की तरफ Shift कर दिया गया है।

प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि प्रश्नगत नदियों के क्षेत्र में विद्यमान विभिन्न महत्वपूर्ण वन्यजीव कॉरीडोर्स अति महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील हैं, फलस्वरूप अनुश्रवण समिति का दायित्व पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत स्वीकृत आदेशों की मात्र शर्तो के औपचारिक अनुपालन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उपखनिज चुगान से कॉरीडोर क्षेत्र में वन्य जन्तुओं के आवागमन पर पड़ रहे प्रभाव एवं मानव वन्यजीव संघर्ष की स्थिति को वैज्ञानिक रूप से आंकलित कर प्रभावी योजना का गठन एवं क्रियान्वयन करवाना है। हाथी कॉरीडोर क्षेत्र में वन्य जीव प्रबन्धन से सम्बन्धित कार्यो का वन्य जन्तुओं के निर्बाध आवागमन, मानव वन्यजीव संघर्ष आदि पर प्रभाव का आंकलन कर अनुश्रवण किया जाना अति आवश्यक है, ताकि वास्तव में वैज्ञानिक आधार पर कॉरीडोर की स्थिति को आंका जा सके एवं भविष्य हेतु तदनुसार योजना बनायी जा सके। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि स्थानीय ग्रामीणों की सहभागिता को प्राथमिकता दिये जाने की भी आवश्यकता है।

नोडल अधिकारी/प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा उक्त का समर्थन करते हुए अवगत कराया कि प्रश्नगत नदियों में उपखनिज चुगान के अनुश्रवण हेतु "महत्वपूर्ण सूचकों" को निर्धारित किया जाना आवश्यक है। इन सूचकों को समय–समय पर आंकलित कर ही अनुश्रवण समिति द्वारा वास्तविक रूप से अनुश्रवण किया जा सकेगा। फलस्वरूप कॉरीडोर क्षेत्र में उपखनिज चुगान के long term impact एवं

Scanned by TapScanner

प्रभावी वन्यजीव प्रबन्धन हेतु योजना बनायी जानी अति आवश्यक है। जिसके परिणामों का समय–समय पर समिति द्वारा उक्त निर्धारित सूचकों के क्रम में अनुश्रवण एवं मूल्यांकन किया जा सके।

डा0 बिलाल हबीब वैज्ञानिक भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून द्वारा भी समिति के संज्ञान में लाया गया कि प्रश्नगत नदियां अतिमहत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र का भाग है जिनका प्रबन्धन हाथी कॉरीडोर के आलोक में किया जाना अति आवश्यक है। उनके द्वारा अवगत कराया गया कि उपखनिज चुगान एवं मानव वन्यजीव संघर्ष के मध्य पारस्परिक सम्बन्ध एवं कॉरीडोर की स्थिति को वैज्ञानिक आधार पर जानना अति आवश्यक है, तदोपरान्त futuristic comprehensive corridor conservation plan बनाया जाना उचित होगा। उक्त प्लान में उपखनिज चुगान का वन्यजीवों के आवागमन पर प्रभाव तथा river geometry को प्राथमिकता देनी उचित होगी।

डॉ0 ए0 के0 सिंह द्वारा उक्त कॉरीडोर का वैज्ञानिक अध्ययन किये जाने पर जोर दिया गया एवं वन्यजीवों से सम्बन्धित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में क्षतिपूरक वृक्षारोपण किये जाने का सुझाव दिया। कॉरीडोर क्षेत्र में विद्यमान नेशनल हाई–वे एवं रेलवे लाईन हेतु over pass या under pass बनाने का भी सुझाव दिया गया।

उक्त चर्चा उपरान्त प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि elephant corridor के संरक्षण को प्राथमिकता दिया जाना अति आवश्यक है, परिणामस्वरूप corridor management एवं restoration हेतु वैज्ञानिक अध्ययन कर एक Model futuristic corridor plan का गठन किया जाना अति आवश्यक है। उक्त प्लान में कॉरीडोर की विगत वर्षो की स्थिति तथा वर्तमान तथ्यों को सम्मिलित करते हुए भविष्य हेतु रणनीति तय की जायेगी। इसके अतिरिक्त उक्त प्लान में विभिन्न सूचकों को निर्धारित किया जायेगा एवं समय–समय पर हाथी कॉरीडोर में किये गये विभिन्न कार्यो के परिणामों को इन सूचकों के क्रम में आंका जायेगा। ताकि समिति द्वारा समय–समय पर outcome के आधार पर अनुश्रवण किया जा सके। उक्त कॉरीडोर मॉडल प्लान के गठन के उपरान्त इसे अन्य कॉरीडोर्स में भी replicate किया जा सकेगा।

उक्त के क्रम में समिति द्वारा निम्नानुसार निर्देशित किया –

1)– प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग द्वारा वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त के माध्यम से एक तकनीकी समिति के गठन का प्रस्ताव प्रेषित करेंगे। यह तकनीकी समिति अनुश्रवण हेतु विभिन्न सूचकों को निर्धारित कर हाथी कॉरीडोर क्षेत्र के अध्ययन एवं नियोजन हेतु रूप–रेखा तैयार करेगी, जिसके आधार पर नियमानुसार गैर सरकारी संस्था/शोध संस्थान आदि द्वारा एक Model futuristic corridor plan तैयार किया जायेगा।

2)– आवश्यकता पड़ने पर प्रमुख वन संरक्षक (HoFF) के निर्देश पर प्रभावी अनुश्रवण हेतु एक से अधिक बार भी अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित की जा सकेगी।

Scanned by TapScanner

(vii) To eliminate disturbance from collection of minor minerals on movement of wild animals along the gola corridor, collection of minor minerals in a 2.50 km long stretch of the river bed located on the gola corridor shall be prohibited. However, in case it is observed that non-collection of minor mineral from the corridor results in major floods in adjoining areas, the user agency, under strict supervision of the State Forest Department and representative of the Chief Wildlife Warden, may undertake periodic accelerated collection (during the period having least frequency of wildlife movement) of minor minerals from said stretch of the river bed, to maintain river geometry.-

क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, कुमाऊँ द्वारा यह अवगत कराया गया कि प्रश्नगत 2.50 कि0मी0 क्षेत्र में खनन कार्य पूर्णतः प्रतिबन्धित किया गया है। तथा अधिकारी से अनुरोध किया गया है कि उक्त कॉरीडोर क्षेत्र में जमा हुए आर0बी0एम0 को एक निश्चित अन्तराल में हटाया जाय, अन्यथा की स्थिति में अत्यधिक आर0बी0एम0 जमा होने से नदी क्षेत्र की पारिस्थितिकी प्रभावित हो सकती है। इस सम्बन्ध में नोडल अधिकारी/प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा उक्त क्षेत्र में वैज्ञानिक रूप से उपखनिज हटाने का सुझाव दिया गया। उक्त के क्रम में प्रमुख वन संरक्षक (HoFF) उत्तराखण्ड द्वारा यह निर्देश दिया गया कि इस सम्बन्ध में जो भी कार्यवाही की जाय उसमें हाथी के आवागमन को दृष्टिगत करते हुए की जाय।

(viii) To restore the functionality and utility of the migratory corridor linking Corbet Tiger Reserve with the Pawalgarh Conservation Reserve, the State Government may explore feasibility to relocate the settlements from the Sundearkhal village by using State CAMPA funds:-

इस बिन्दु के संबंध में विगत वर्षो की बैठक में निदेशक, कार्बेट टाईगर रिजर्व द्वारा यह अवगत कराया गया था कि सुन्दरखाल गांव को विस्थापित किये जाने का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया है।

(ix) The State Government shall constitute a committee under Chairmanship of the Principal Chief Conservator of Forest, Government of Uttarakhand and having the representative of the Ministry of Environment & Forests, Wildlife Institute, Dehradun and NGOs such as Sanskara, WWF-India, WTI, IUCN etc. as its members to review annually the status of compliance of the stipulated conditions and issue appropriate direction to the user agency in case of any deviation as well as any hazard due to non-removal of minor minerals from the protected corridor. The collection of minor minerals after 31st day of January in a year shall be allowed only after receipt of certificate from the Monitoring Committee that the conditions stipulated in the approval accorded under the Forest (Conservation) Act, 1980 and the instructions issued by the Monitoring Committee have satisfactorily been complied in collection of the minor minerals during the previous calendar year:-

इस शर्त के अनुपालन हेतु मॉनिटरिंग कमेटी राज्य सरकार द्वारा गठित कर दी गयी है तथा आज उक्त समिति की वार्षिक बैठक सम्पन्न की जा रही है।

(x) To ensure extraction of minor minerals in a sustainable manner the user agency shall formulate a transparent and unbiased procedure for engagement of labourers for extraction of the minor minerals from the diverted forest land; .-

Scanned by TapScanner

उक्त विन्दु के अनुपालन के सम्बन्ध में क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, कुमांऊ द्वारा यह अवगत कराया गया है कि नदियों से चुगान हेतु रजिस्टर्ड वाहनों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया तथा चुगान की प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से एवं बिना किसी भेदभाव के सम्पन्न की जाती है। प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड द्वारा यह निर्देश दिये गये कि वन विकास निगम द्वारा श्रमिकों के पारदर्शी एवं unbiased engagement हेतु जो procedure formulate किया गया है उसे लिखित में समिति को अवगत करवाया जाय। नोडल अधिकारी/प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा यह अवगत कराया गया कि उपखनिज चुगान हेतु बाहरी राज्यों से आने वाले श्रमिक कहीं स्थायी रूप से खनन क्षेत्र में निवास न करें, इस सम्बन्ध में भी उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा आवश्यक कदम उठाये जाय।

(xi) Fifty percent of the net profit earned by the user agency from the collection of minor minerals shall be deposited to a Special purpose Vehicle (SPV) to be constituted by the Sate Government under the Chairmanship of the Chief Wildlife Warden, Government of Uttarakhand. The amount to be deposited in the SPV shall be used exclusively for river training activities and management & protection of forest & wildlife in vicinity of forest land diverted for collection of minor minerals.:-

वन विभाग एवं वन विकास निगम के अधिकारियों में पूर्व से ही उक्त शर्त में वर्णित Net Profit की परिभाषा में भिन्नता रही है। वन विभाग का यह मत है कि कार्यदायी संस्था द्वारा अपने Net Profit के 50 प्रतिशत को Special purpose Vehicle (SPV) गौला कार्पस में जमा नहीं किया जा रहा है एवं जबकि Net Profit का calculation कार्यदायी संस्था की balance sheet के आधार पर होना चाहिए था। वर्तमान में वन विकास निगम द्वारा विभिन्न कार्पस में लाभांश को ही Net Profit मानते हुए गौला कार्पस में 100 प्रतिशत एवं अन्य में 50 प्रतिशत धनराशि जमा की जा रही है। यह भी अवगत कराया गया कि प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड ने पूर्व में मॉनीटरिंग कमेटी की बैठक दिनांक 25.04.2019 को निर्देश निर्गत किए थे। उक्त बैठक का कार्यवृत्त प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड की पत्र संख्या पी0ओ0/1489 दिनांक 27.04.2019 द्वारा जारी किया गया है। उक्त कार्यवृत्त के विन्दु सं0 (xi) के अनुसार *"उत्तराखण्ड वन विकास निगम उन नदियों (जैसे कि कोसी, दाबका, नन्धौर इत्यादि) में गौला नदी की भाँति लाभांश के रूप में एकत्रित धनराशि का 100 प्रतिशत कार्पस निधि Special purpose Vehicle (SPV) में जमा कराया जाना सुनिश्चित करें। उक्त नदियों की विगत वर्षों की 50 प्रतिशत धनराशि जो कार्यदायी संस्था के पास है, उक्त धनराशि को भी शीघ्र सम्बन्धित कार्पस निधियों में जमा कराया जाना सुनिश्चित करें।"*

प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त शर्त में उल्लेखित Net Profit एवं वन विकास निगम द्वारा निर्धारित "लाभांश" में असमंजस को दूर करने एवं Net Profit की धनराशि निर्धारित करने हेतु उनके स्तर से एक प्रस्ताव शासन को अनुमोदन हेतु प्रेषित किया गया है, जिसके उपरान्त स्थिति स्पष्ट हो जायेगी।

Scanned by TapScanner

11(6)

प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम से अनुरोध किया गया कि उस प्रस्ताव की एक प्रति प्रमुख वन संरक्षक (HoFF) को प्रेषित की जाय।

प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग द्वारा यह भी सुझाव दिया गया के चूंकि उक्त प्रकरण धनराशि से सम्बन्धित है इसमें लेखा से सम्बन्धित या किसी चार्टेड एकाउण्टेन्ट की भी राय ली जा सकती है। नोडल अधिकारी/प्रवन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि वन विकास निगम द्वारा वर्ष 2018–19 में गौला कॉरीडोर में किये गये रीवर ट्रेनिंग से सम्बन्धित कार्यों हेतु रु0 288.00 लाख का भुगतान गौला कार्पस में जमा किये विना अपने स्तर से किया गया था, जिसमें गौला कार्पस समिति की स्वीकृति या अनुमोदन प्राप्त नहीं है। उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा उक्त धनराशि गौला कार्पस मद में जमा की जानी उचित होगी। प्रमुख वन संरक्षक (HoFF) द्वारा निर्देशित किया गया कि उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा तत्काल उक्त रु0 288.00 लाख की धनराशि गौला कार्पस Special purpose Vehicle (SPV) लाभांश मद में जमा की जाय।

प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि लाभांश मद की सम्पूर्ण धनराशि न जमा किये जाने के सम्बन्ध में महालेखाकार, उत्तराखण्ड द्वारा प्रभाग की लेखा परीक्षा वर्ष 2018–19 में ऑडिट आपत्ति भी लगायी गयी है।

(xii) The total quantity of minor minerals extracted during a year shall not be more than 54.25 lakh cubic meter.-

किसी भी चुगान सत्र में 54.25 लाख घ0मी0 से अधिक उपखिनज के चुगान की अनुमति नहीं दी जाती है। उत्तराखण्ड वन विकास निगम के अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में IISWC Dehradun द्वारा समस्त नदियों की Replinishment study करवायी गयी है, जिसमें हर नदी से उपखनिज चुगान हेतु अधिकतम आयतन निर्धारित कर लिया गया है। प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड द्वारा निर्देशित किया गया कि किसी भी दशा में उक्तानुसार आंकलित एवं निर्धारित आयतन से अधिक मात्रा में उपखनिज चुगान न किया जाय। इस शर्त का अनुपालन किया जा रहा है।

(xiii) Extraction of minor minerals shall be restricted to the middle half of the width of river bed after leaving intact one fourth of width of the river bed along its each bank.-

क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, कुमांऊ द्वारा यह अवगत कराया गया कि नदी के मध्य के 50 प्रतिशत क्षेत्र को सीमांकित करने के पश्चात ही चुगान कार्य शुरू किया जाता है। अतः इस शर्त का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है।

(xiv) To ensure maintenance of river geometry, collection of minor minerals during a working season shall start from centre of the river width and shall gradually extend to the boundary of the permissible area. The maximum permissible depth for collection of minor minerals at centre of the river width shall be limited to 3 meter and it shall gradually be reduced till it reaches boundary of the permissible zone.-

Scanned by TapScanner

प्रभागीय लौगिंग प्रवन्धक खनन, हल्द्वानी द्वारा अवगत कराया गया कि इस शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है।

(xv) To regulate and maintain record of the quantity of minor minerals extracted during a season, the State Forest Department shall set up adequate number of check posts during the collection season.-

इस शर्त के अनुपालन के फलस्वरूप आवश्यकतानुसार चैक पोस्ट की स्थापना की गयी है।

(xvi) Extraction of minor mineral shall be restricted from 1st October to 31st May of the subsequent year.-

प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग द्वारा यह अवगत कराया गया कि यद्यपि चुगान सत्र 1, अक्टूबर से 31, मई तक होता है, परन्तु चुगान सत्र 2019–20 में कोविड–19 महामारी के दृष्टिगत भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली ने अपनी पत्र संख्या एफ0सी0–17/9/2020–एफ0सी0 दिनांक 04.06.2020 द्वारा चुगान सत्र को एक माह का अवधि विस्तार प्रदान किया, अर्थात 30, जून 2020 तक बढ़ाने की अनुमति प्रदान की गयी थी। भारत सरकार द्वारा उक्त अनुमति के क्रम में औद्योगिक विकास (खनन), अनुभाग–1, उत्तराखण्ड सरकार द्वारा अपनी पत्र संख्या 650/VII-A-1/2020/22ख/13 दिनांक 05.06.2020 द्वारा गौला, कोसी, दाबका, नन्धौर एवं शारदा नदी से अवशेष उपखनिज चुगान एवं निकासी की अनुमति की समयावधि दिनांक 30.06.2020 तक विस्तारित की गयी। भारत सरकार एवं उत्तराखण्ड सरकार के उपरोक्त पत्रों के क्रम में गौला, कोसी, दाबका, नन्धौर एवं शारदा नदी में विगत चुगान सत्र में माह जून 2020 में भी चुगान किया गया।

(xvii) Minor minerals shall be collected manually by using hand tools. Use of explosive and heavy machineries for breaking/collection of minor minerals shall be strictly prohibited.-

प्रभागीय लौगिंग प्रवन्धक खनन, हल्द्वानी द्वारा अवगत कराया गया कि इस शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है।

(xviii) Collection time shall be from sun-rise to sun-set.

प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी द्वारा अवगत कराया गया कि इस शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है।

(xix) No labour camp shall be set up in the forest area for the labourers engaged in collection of the minor minerals.

प्रभागीय लौगिंग प्रवन्धक खनन, हल्द्वानी द्वारा अवगत कराया गया कि इस शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है।

(xx) Breaking of boulders shall be undertaken outside the forest boundaries.

प्रभागीय लौगिंग प्रवन्धक खनन, हल्द्वानी द्वारा अवगत कराया गया कि इस शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है।

Scanned by TapScanner

(xxi) The labourers engaged in collection work shall be provided free of cost, fuel wood/alternate source of energy to avoid any pressure on adjoining forests.

प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड द्वारा यह निर्देश दिये गये कि उपखनिज चुगान कार्य में लगे हुए श्रमिकों को कार्यदायी संस्था की तरफ से दी जाने वाली समस्त सामग्री एवं सुविधायें अत्यन्त पारदर्शी तरीके से एवं समयबद्धता को ध्यान में रखते हुए की जानी चाहिए। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि जो भी श्रमिक उक्त क्षेत्रों में कार्यरत हैं, उन्हें पीने हेतु शुद्ध जल उपलब्ध कराया जाये। प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि भविष्य में श्रमिकों को उपलब्ध कराये जाने वाली सामग्री को संबंधित प्रभाग के वनाधिकारियों तथा क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों एवं मीडिया कर्मियों की उपस्थिति में ही वितरित किया जाये। श्रमिकों को कोविड–19 के प्रति जागरूक किया जाय।

(xxii) The boundary of the forest land being diverted shall be demarcated on ground at the project cost, by erecting four feet high reinforced cement concrete pillars, each inscribed with its serial number, DGPS coordinates, forward and back bearing and distance from adjoining pillars etc.-

प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी द्वारा यह अवगत कराया गया कि चुगान क्षेत्र का सीमांकन पिलर्स के माध्यम से किया जा रहा है तथा इस शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है।

(xxiii) The forest land shall not be used for any purpose other than the specified in the proposal.

मुख्य वन संरक्षक, कुमांऊ द्वारा यह अवगत कराया गया कि प्रत्यावर्तित आरक्षित वन भूमि का उपयोग उसी कार्य हेतु किया जा रहा है जिस हेतु उसका हस्तान्तरण किया गया है।

(xxiv) User agency shall submit annual self-monitoring report, indicating status of compliance to the conditions stipulated in the approval, to the State Government and the concerned Regional Office of this Ministry;

क्षेत्रीय प्रबन्धक, कुमांऊ, उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा अवगत कराया गया कि वार्षिक self-monitoring report राज्य सरकार को तथा भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के देहरादून स्थित क्षेत्रीय कार्यालय को शीघ्र ही उपलब्ध करायी जा रही है। विगत वर्ष की self-monitoring report राज्य सरकार तथा भारत सरकार को उपलब्ध करायी जा चुकी है तथा समिति के सदस्यों को भी उसकी एक प्रति उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये।

(xxv) Any other condition that the Central Regional Office of this Ministry, Lucknow and the State Government of Uttarakhand may stipulate, from time to time, in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife and.

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा कोई अन्य शर्त अधिरोपित नहीं की गयी है। प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड द्वारा यह अपेक्षा की गयी कि कार्यदायी संस्था उत्तराखण्ड वन विकास निगम, भारत सरकार द्वारा

11...

Scanned by TapScanner

11(6)

कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड, देहरादून

वन मुख्यालय, 85-राजपुर रोड, देहरादून

पत्रांक 483 / 11-2(6) (WTFP) / तद्दिनांकित, दिनांक, 19-03-2021.

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1— प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2— प्रमुख वन संरक्षक (वन्य जीव)/ मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, चन्द्रबनी, देहरादून।
3— प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, देहरादून।
4— निदेशक वन्य जीव संस्थान, देहरादून।
5— अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, देहरादून।
6— क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून।
7— मुख्य वन संरक्षक (कुमाऊं), उत्तराखण्ड, नैनीताल।
8— वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।
9— प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी।
10— प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर।
11— प्रभागीय वनाधिकारी, हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी।
12— डब्ल्यू.डब्ल्यू.एफ इंडिया।
13— डब्ल्यू.टी.आई. इंडिया।
14— संरक्षार संस्था।
15— आई.यू.सी.एन. इंडिया।
16— गार्ड फाइल।

संलग्न— बैठक की उपस्थिति।

(राजीव भरतरी)
प्रमुख वन संरक्षक (HoFF),
उत्तराखण्ड, देहरादून।

Scanned by TapScanner

11(6)

"उत्तराखण्ड में गौला, कोसी, दाबका व शारदा से उपखनिज के चुगान स्वीकृति सम्बन्धी भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा आरोपित शर्तों के अनुपालन" की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक में कुमाऊं स्थित अधिकारीगणों की उपस्थिति

दिनांक 20.02.2021

स्थान–कार्यालय वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष, हल्द्वानी

क्र०सं०	नाम व पदनाम	ई–मेल	हस्ताक्षर
1	श्री राजीव भरतरी, प्रमुख वन संरक्षक (HoFF) उत्तराखण्ड, देहरादून		[signature]
2	डा० विनेक पाण्डेय, मुख्य वन संरक्षक / महाप्रबन्धक / उ०व०वि०नि०		[signature]
3	डॉ तेजस्विनी अरविन्द पाटिल CCF Kumaon		[signature]
4	जीवन चन्द्र जोशी, वन संरक्षक पश्चिमी वृत्त		[signature]
5	चन्द्र शेखर जोशी, DFO Ramnagar		[signature]
6	Tylee Malhotra S.[illegible]		[signature]
7	Dr Abhilasha, DFO Tarai Central		[signature]
8	Himanshu Bagri DFO Tarai West		[signature]
9	Kundan Kumar, DFO, Haldwani		[signature]
10	M.C. Joshi R.M. (W.) [illegible]		[signature]
11	Prakash Arya DLM East Hld.		[signature]
12	H. Pal D.L.M Sharda		[signature]
13	Y K Srivastava D.LM Gaula Hld		[signature]
14	D.C. Bisht D.L.M. [illegible]	Ramnagar	[signature]
15	Krishan Kumar Statical	Officer	[signature]
10	[illegible] कुमार उपाध्याय प्र० लौ० [illegible] (हल्द्वानी)		[signature]

Scanned by TapScanner

11(6)

'प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड' की अध्यक्षता में उत्तराखण्ड में गौला, कोसी, दाबका, शारदा एवं नन्धौर नदियों से उपखनिजों के चुगान हेतु 'भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली' द्वारा प्रदान की गयी स्वीकृति (Forest Clearance) में अधिरोपित शर्तो के अनुपालन की समीक्षा हेतु गठित 'मॉनिटरिंग' समिति की दिनांक 23.06.2020 को 'वीडियो कान्फ्रेन्सिंग' के माध्यम से आयोजित बैठक का कार्यवृत्त

बैठक में उपस्थित समिति के सदस्यों एवं अन्य अधिकारियों का विवरण निम्न है :–

'वीडियो कान्फ्रेन्सिंग' – वन मुख्यालय, देहरादून :–

1. श्री मोनिष मल्लिक, प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, देहरादून।
2. श्री राजीव भरतरी, प्रमुख वन संरक्षक (वन्यजीव)/मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. श्री कपिल लाल, अपर प्रमुख वन संरक्षक, प्रशासन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. श्री उमेश कुमार त्रिपाठी, क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम।
5. श्री अनिल कुमार सिंह, WWF India।

'वीडियो कान्फ्रेन्सिंग' – नैनीताल 'जू' :–

6. डा0 विवेक पाण्डे, मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊँ, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
7. श्री नीतीश मणि त्रिपाठी, प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी।
8. श्री जी0सी0 पन्त, क्षेत्रीय प्रबन्धक (कुमाऊँ क्षेत्र), उत्तराखण्ड वन विकास निगम, हल्द्वानी।
9. श्री हिमांशु बागरी, प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर।
10. श्री कुन्दन कुमार, प्रभागीय वनाधिकारी, हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी।
11. श्री जे0 पी0 भट्ट, प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक, खनन हल्द्वानी।
12. श्री वाई0 के0 श्रीवास्तव, प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक, खनन लालकुआं।
13. श्री के0 के0 उपाध्याय, प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक, खनन नन्धौर।
14. श्री अनीश अहमद, प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक, खनन रामनगर।
15. श्री मेराज अनवर, WWF India।

बैठक के प्रारम्भ में **प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग** ने अध्यक्ष महोदय एवं अन्य उपस्थित प्रतिभागियों का स्वागत किया। उनके द्वारा अवगत कराया कि **गौला, कोसी, दाबका, शारदा** व **नन्धौर** नदियों में 10 वर्षों के लिए उप खनिज चुगान हेतु अनुमति **भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन** मंत्रालय, **नई दिल्ली** के निम्नलिखित आदेशों से कतिपय शर्तो के अधीन प्राप्त हुई है जिनके क्रम में **'मॉनिटरिंग' समिति** द्वारा अधिरोपित शर्तो के अनुपालन की स्थिति की समीक्षा की जानी है :–

नदी का नाम	'वन (संरक्षण) अधिनियम' के अन्तर्गत प्राप्त अनुमति का आदेश संख्या तथा दिनांक
गौला	F. No. 8-61/1999-FC, 23rd January 2013
नन्धौर	F. No. 8-34/1916-FC, 6th September 2017
शारदा	F. No. 8-61/1999-FC (pt-III), 11th February 2013
कोसी	F. No. 8-61/1999-FC (pt-I), 15th February 2013
दाबका	F. No. 8-61/1999-FC (pt-II), 15th February 2013

Scanned by TapScanner

अग्रेत्तर विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया :–

नदी का नाम	जनपद का नाम	प्रभाग का नाम	नदी का वह क्षेत्रफल जिसमें चुगान की अनुमति दी गयी है (हैक्टेयर में)
गौला	नैनीताल	तराई पूर्वी वन प्रभाग	1497
नन्धौर	नैनीताल ऊधमसिंह नगर	तराई पूर्वी वन प्रभाग	468
शारदा	चम्पावत	हल्द्वानी वन प्रभाग	384.69
कोसी	चम्पावत	तराई पश्चिमी वन प्रभाग	254
दाबका	चम्पावत	तराई पश्चिमी वन प्रभाग	223

उपरोक्त नदियों से उप खनिज चुगान संबंधी विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया :–

नदी का नाम	भारत सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमति के अनुसार उप खनिज चुगान की अधिकतम मात्रा (लाख घन मीटर में)	CSWCRTI (IISWC) द्वारा सर्वे उपरान्त चुगान सत्र 2019–20 हेतु अनुमानित मात्रा (लाख घन मीटर में)	दि0 21.06.2020 तक उप खनिज चुगान की मात्रा (लाख घन मीटर में)
गौला	54.25	30.66	24.86
नन्धौर	20.30	6.94	6.89
शारदा	CSWCRTI द्वारा प्रतिवर्ष अनुमानित मात्रा	4.44	2.78
कोसी	Recommended संस्था द्वारा प्रतिवर्ष अनुमानित मात्रा	4.57	2.97
दाबका	CSWCRTI द्वारा प्रतिवर्ष अनुमानित मात्रा	0.77	0.77 (दि. 14.06.2020 को उप खनिज चुगान इस चुगान सत्र में बंद कर दिया गया)

समिति पांचों नदियों की चुगान अनुमति के सापेक्ष अधिरोपित शर्तों से अवगत हुई। अधिरोपित शर्तों के अनुपालन का मुख्यतः दायित्व कार्यदायी संस्था अर्थात उत्तराखण्ड वन विकास निगम का है। पांचों नदियों में भारत सरकार द्वारा चुगान की जो अनुमति प्रदत्त की गयी है, उनमें से अधिकतर शर्तें एक समान हैं। अतः ऐसी स्थिति में सर्वप्रथम सबसे बड़ी नदी गौला की शर्तों के संदर्भ में सभी हेतु अनुपालन की समीक्षा की गयी। तत्पश्चात अन्य नदियों के लिए विहित विशिष्ट शर्तों के अनुपालन की समीक्षा की गयी।

Forest Clearance में अधिरोपित शर्तों की शर्तवार व नदीवार समीक्षा का विवरण अग्रेत्तर दिया गया है :–

Scanned by TapScanner

11(6)

गौला नदी :—

(i) Legal status of the diverted forest land shall remain unchanged – नदी में चुगान हेतु हस्तान्तरित वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उक्त भूमि ज्यों–की–त्यों आरक्षित वन क्षेत्र बनी हुई है। अतः इस बिन्दु का अनुपालन हो रहा है।

(ii) Compensatory afforestation over degraded forest land equal in extent to the forest land being diverted shall be raised and maintained by the state forest department from funds realised from the user agency – प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग ने यह अवगत कराया कि गौला नदी के वन भूमि हस्तान्तरण के सापेक्ष प्रतिवर्ष 150 है0 क्षतिपूरक वृक्षारोपण किये जाने का लक्ष्य तराई पूर्वी वन प्रभाग को प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार 10 वर्षों में कुल 1500 है0 क्षतिपूरक वृक्षारोपण कर लिया जायेगा। उक्त वृक्षारोपण उपर्युक्त भूमि की उपलब्धता के आधार पर किया जा रहा है। *इस सम्बन्ध में प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड ने यह निर्देश दिये कि वर्ष 2013 में अनुमति प्राप्त होने के पश्चात अब तक किस नदी के सापेक्ष कितना क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया गया है तथा आगामी वर्षों में अवशेष क्षतिपूरक वृक्षारोपण को सम्पादित किये जाने की क्या योजना है – उससे सम्बन्धित विवरण प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी शीघ्र उपलब्ध करायेंगे।*

(iii) The state government shall realise from the user agency the additional amount of NPV, if so determined, as per the final decision fo the Hon'ble Supreme Court of India and transfer the same to the ad-hoc CAMPA – समिति के संज्ञान में यह आया कि गौला तथा अन्य नदियों में उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा NPV जमा नहीं किया गया है। इस बिन्दु पर उत्तराखण्ड वन विकास निगम की ओर से बताया गया कि निगम पर NPV की देयता मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेशों के क्रम में नहीं बनती है तथा भारत सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमति में भी इस बात का उल्लेख नहीं है। इसके विपरीत समिति के संज्ञान में यह आया कि हरिद्वार में नदियों में चुगान हेतु उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा NPV जमा की गयी है। *उक्त के क्रम में प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड ने यह निर्देश दिये कि उत्तराखण्ड वन विकास निगम पर NPV की देयता अन्य नदियों (गौला, कोसी, दाबका, शारदा, नन्धौर इत्यादि) हेतु बनती है या नहीं, इसके निर्धारण हेतु आवश्यक पत्र प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड की ओर से उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित कर दिया जाये, जिसकी प्रति नोडल अधिकारी को भी कर दी जाये, ताकि इस बात पर स्थिति स्पष्ट करायी जा सके कि उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा NPV जमा की जानी है अथवा नहीं? पत्र का आलेख, आवश्यक विवरण के साथ प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग शीघ्र प्रस्तुत करेंगे।*

(iv) The user agency shall obtain the Environment Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if required - क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, रामनगर ने यह अवगत कराया कि इस शर्त का अनुपालन कर दिया गया है। प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग द्वारा यह अवगत कराया गया कि कुमाऊँ की चार नदियों गौला, शारदा, कोसी एवं दाबका का Environment Clearance वर्ष 2021 में समाप्त होने वाला है और यदि Environment Clearance को समय रहते नवीनीकृत नहीं किया जाता है तो ऐसी स्थिति में चुगान सत्र 2020–21 के मध्य में ही नदियों से चुगान बन्द करना आवश्यक हो जायेगा। *प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड ने उत्तराखण्ड वन विकास निगम*

Scanned by TapScanner

(कार्यदायी संस्था) को तत्काल Environment Clearance के नवीनीकरण सम्बन्धी कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु निर्देशित किया ताकि भविष्य में चुगान के कार्य में बाधा न पड़े।

(v) The State Government and the user agency shall work with local residents of *Bindu Khatta* to give safe and uninterrupted passage to the wild animals passing through the Gola corridor, expedite payment of compensation in case of any damage to property etc. and generally increase awareness of the methods of co-existence of man and wildlife - इस शर्त का अनुपालन किया जा रहा है। **मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाओं में मुआवजा देने की कार्यवाही त्वरित रूप से की जा रही है।**

(vi) The State Government shall not allow any new facility/structure within the Gola corridor to ensure its restoration in future. The State Government shall also ensure that the boundary of the ITBP battalion-headquarters be shifted towards south so as to ensure that it is located entirely on southern side of the Gola corridor and that the corridor is maintained free of fresh obstructions from the Highway/Railway line upto the *Bindu Khatta* settlement - **मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊँ** द्वारा यह अवगत कराया गया कि उक्त शर्त का अनुपालन सुनिश्चित कर लिया गया है तथा ITBP battalion- headquarters को दक्षिण की ओर shift कर दिया गया है। **समिति इस संबंध में संतुष्ट हुई।**

(vii) To eliminate disturbance from collection of minor minerals on movement of wild animals along the Gola corridor, collection of minor minerals in a 2.50 km long stretch of the river bed located on the Gola corridor shall be prohibited. However, in case it is observed that non-collection of minor-minerals from the corridor results in major floods in adjoining areas, the user agency, under strict supervision of the State Forest Department and representative of the Chief Wildlife Warden, may undertake periodic accelerated collection (during the period having least frequency of wildlife movement) of minor minerals from the said stretch of the river bed, to maintatin river geometry - **क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, कुमाऊँ** द्वारा यह अवगत कराया गया कि प्रश्नगत 2.50 किमी0 क्षेत्र में विगत वर्ष बाये किनारे पर बड़ी मात्रा में एकत्रित आर0बी0एम0 को निकटवर्ती क्षेत्रों में आपदा के दृष्टिगत जिलाधिकारी, नैनीताल द्वारा आपदा अधिनियम के अधीन जारी आदेश के क्रम में 'चैनेलाईज' करा दिया गया है तथा उक्त 'चैनलाईजेशन' के फलस्वरूप निकले हुए आर0बी0एम0 को चैनल के दोनों तरफ एकत्रित कर रखा गया है। मौके पर उक्त आर0बी0एम0 पड़ा हुआ है, जिसका आगामी वर्षाकाल में नीचे के क्षेत्रों में बह जाने की सम्भावना है। *उक्त के क्रम में **प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड** द्वारा यह निर्देश दिया गया कि इस बिन्दु पर विचार करने हेतु पूर्व में बनायी गयी **समिति** के अध्यक्ष को **प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड** की ओर से पत्र प्रेषित कर, प्रश्नगत क्षेत्र का निरीक्षण अगले चुगान सत्र से पूर्व करने हेतु निर्देशित किया जाये। **समिति** समुचित विचार कर गौला के किनारे–किनारे एकत्रित किये गये उपखनिज की निकासी किये जाने पर विचार कर संस्तुति करेगी। यदि उक्त एकत्रित आर0बी0एम0 को उक्त क्षेत्र से हटाया जाना समिति आवश्यक समझे तो ऐसी स्थिति में वांछित प्रयोजन हेतु मशीनों (जे0सी0बी0 इत्यादि) का प्रयोग किये जाने पर भी **समिति** अपना मन्तव्य देगी।*

(viii) To restore the functionality and utility of the migratory corridor linking Corbet Tiger Reserve with the Pawalgarh Conservation Reserve, the State Government may explore feasibility to relocate the settlements from the Sundearkhal village by using State CAMPA funds – प्राप्त

Scanned by TapScanner

11(6)

जानकारी के अनुसार सुन्दरखाल गाँव को विस्थापित किये जाने का प्रस्ताव शासन स्तर पर विचाराधीन है। *शासन को इस संबंध में अनुस्मारक प्रेषित किया जाये।*

(ix) The State Government shall constitute a committee under Chairmanship of the Principal Chief Conservator of Forests, Government of Uttarakhand and having the representative of the Ministry of Environment & Forests, Wildlife Institute, Dehradun and NGOs such as Sanskara, WWF-India, WTI, IUCN etc. as its members to review annually the status of compliance of the stipulated conditions and issue appropriate direction to the user agency in case of any deviation as well as any hazard due to non-removal of minor minerals from the protected corridor. The collection of minor minerals after 31st day of January in a year shall be allowed only after receipt of certificate from the Monitoring Committee that the conditions stipulated in the approval accorded under the **Forest (Conservation) Act, 1980** and the instructions issued by the Monitoring Committee have satisfactorily been complied in collection of the minor minerals during the previous calendar year - इस शर्त के अनुपालन में ही इस 'मॉनिटरिंग कमेटी' का राज्य सरकार द्वारा गठन किया गया है तथा पूर्व की भाँति समिति की यह वार्षिक बैठक सम्पन्न की जा रही है।

(x) To ensure extraction of minor minerals in a sustainable manner the user agency shall formulate a transparent and unbiased procedure for engagement of labourers for extraction of the minor minerals from the diverted forest land - **क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, कुमाऊँ** द्वारा यह अवगत कराया गया है कि नदियों से चुगान हेतु 'रजिस्टर्ड' वाहनों के 'रजिस्ट्रेशन' की प्रक्रिया तथा चुगान की प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से एवं बिना किसी भेदभाव के सम्पन्न की जाती है। *प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड द्वारा यह निर्देश दिये गये कि श्रमिकों के पारदर्शी एवं unbiased engagement हेतु वन विकास निगम के स्तर से कोई procedure formulate नहीं किया गया है। अतः* ***उत्तराखण्ड वन विकास निगम के प्रबन्ध निदेशक*** *इस हेतु एक स्थाई आदेश निर्गत करें।*

(xi) Fifty percent of the net profit earned by the user agency from the collection of minor minerals shall be deposited to a Special Purpose Vehicle (SPV) to be constituted by the Sate Government under the Chairmanship of the Chief Wildlife Warden, Government of Uttarakhand. The amount to be deposited in the SPV shall be used exclusively for river training activities and management & protection of forest & wildlife in vicinity of forest land diverted for collection of minor minerals - इस शर्त के क्रम में वन विभाग का यह मत है कि कार्यदायी संस्था द्वारा अपने Net Profit के 50 प्रतिशत को Special Purpose Vehicle (SPV - *गौला कार्पस*) में जमा नहीं किया जा रहा है। Net Profit का calculation कार्यदायी संस्था (वन विकास निगम) की balance-sheet के आधार पर होना चाहिए। इस क्रम में **क्षेत्रीय प्रबन्धक, कुमाऊँ, उत्तराखण्ड वन विकास निगम** का यह कथन था कि *गौला कार्पस* में जितनी धनराशि जमा की जानी है उतनी ही जमा की जा रही है। उल्लेखनीय है कि **प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड** ने विगत वर्ष इस 'मॉनीटरिंग कमेटी' की बैठक दिनांक 25.04.2019 में इस संबंध में यथोचित निर्देश निर्गत किए गये थे। उक्त बैठक का कार्यवृत्त **प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड** के पत्रांक पी0ओ0 / 1489 दिनांक 27.04.2019 द्वारा जारी किया गया था। कार्यवृत्त के बिन्दु सं0 (xi) के अनुसार – *"उत्तराखण्ड वन विकास निगम उन नदियों (जैसे कि कोसी, दाबका, नन्धौर इत्यादि) में गौला नदी की भाँति लाभांश के रूप में एकत्रित धनराशि का 100 प्रतिशत कार्पस निधि Special Purpose Vehicle (SPV) में जमा कराया जाना सुनिश्चित करें। उक्त नदियों की विगत वर्षो की 50 प्रतिशत धनराशि जो*

Scanned by TapScanner

11(6)

कार्यदायी संस्था के पास है, उक्त धनराशि को भी शीघ्र सम्बन्धित कार्पस निधियों में जमा कराया जाना सुनिश्चित करें।'' 'मॉनीटरिंग कमेटी' के उक्त निर्देशों के पश्चात भी उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा गौला, दाबका एवं नन्धौर नदी के Special Purpose Vehicle (SPV) में लाभांश की 50 प्रतिशत धनराशि को ही जमा किया जा रहा है। **क्षेत्रीय प्रबन्धक, कुमांऊ, उत्तराखण्ड वन विकास निगम** द्वारा यह अवगत कराया गया कि **प्रबन्ध निदेशक,** उत्तराखण्ड वन विकास निगम ने अपने पत्रांक उ–5027 / एस0पी0वी0 दिनांक 27.11.2019 द्वारा **प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड** से Special Purpose Vehicle (SPV) के उक्त आदेश को संशोधित करने का अनुरोध किया है। **प्रभागीय वनाधिकारी,** तराई पूर्वी वन प्रभाग द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि लाभांश मद की सम्पूर्ण धनराशि न जमा किये जाने के सम्बन्ध में महालेखाकार, उत्तराखण्ड द्वारा प्रभाग की लेखा परीक्षा वर्ष 2018–19 में ऑडिट आपत्ति भी लगायी गयी है।

*उपरोक्त के क्रम में **प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड** ने Special Purpose Vehicle (SPV) में जमा की जाने वाली धनराशि के निर्धारण हेतु पृथक से एक बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया। उनके द्वारा यह भी निर्देश दिया गया कि **मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊँ** उक्त के सम्बन्ध में उन्हें पत्र प्रेषित कर सम्पूर्ण स्थिति व प्रकरण में अपने मत से शीघ्र अवगत करायें।*

(xii) The total quantity of minor minerals extracted during a year shall not be more than 54.25 lakh cubic meter - इस शर्त का अनुपालन किया जा रहा है। किसी भी चुगान सत्र में 54.25 लाख घ0मी0 से अधिक उपखिनज के चुगान की अनुमति नहीं दी जाती है।

(xiii) Extraction of minor minerals shall be restricted to the middle half of the width of river bed after leaving intact one fourth of width of the river bed along its each bank - **क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम,** कुमाऊँ द्वारा यह अवगत कराया गया कि नदी के मध्य के 50 प्रतिशत क्षेत्र को सीमांकित करने के पश्चात ही चुगान कार्य शुरू किया जाता है। अतः इस शर्त का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है। **समिति इस संबंध में संतुष्ट हुई।**

(xiv) To ensure maintenance of river geometry, collection of minor minerals during a working season shall start from centre of the river width and shall gradually extend to the boundary of the permissible area. The maximum permissible depth for collection of minor minerals at centre of the river width shall be limited to 3 meters and it shall gradually be reduced till it reaches boundary of the permissible zone - **प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक खनन, लालकुआं एवं हल्द्वानी** द्वारा अवगत कराया गया कि इस शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है। **समिति इस संबंध में संतुष्ट हुई।**

(xv) To regulate and maintain record of the quantity of minor minerals extracted during a season, the State Forest Department shall set up adequate number of check posts during the collection season - इस शर्त के अनुपालन के फलस्वरूप आवश्यकतानुसार चैक पोस्ट की स्थापना की गयी है। **समिति इस संबंध में संतुष्ट हुई।**

(xvi) Extraction of minor mineral shall be restricted from 1st October to 31st May of the subsequent year - प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग द्वारा यह अवगत कराया गया कि यद्यपि चुगान सत्र 1, अक्टूबर से 31, मई तक होता है, परन्तु इस चुगान सत्र में

11(6)

कोविड–19 महामारी तथा उसके चलते 'लॉकडाउन' के कारण **भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली** ने अपने पत्रांक एफ0सी0–17/9/2020–एफ0सी0 दिनांक 04.06.2020 द्वारा इस चुगान सत्र को 31, मई 2020 की बजाय 30, जून 2020 तक बढ़ाने की अनुमति प्रदान की है। **भारत सरकार** द्वारा उक्त अनुमति के क्रम में **औद्योगिक विकास (खनन), अनुभाग–1, उत्तराखण्ड सरकार** द्वारा अपनी पत्र संख्या 650/VII-A-1/2020/22ख/13 दिनांक 05.06.2020 द्वारा गौला, कोसी, दाबका, नन्धौर एवं शारदा नदी से अवशेष उपखनिज चुगान एवं निकासी की अनुमति की समयावधि दिनांक 30.06.2020 तक विस्तारित की है। **भारत सरकार** एवं **उत्तराखण्ड सरकार** के उपरोक्त पत्रों के क्रम में गौला, कोसी, दाबका, नन्धौर एवं शारदा नदी में इस चुगान सत्र में माह जून में भी चुगान किया गया/जा रहा है।

(xvii) Minor minerals shall be collected manually by using hand tools. Use of explosive and heavy machineries for breaking/collection of minor minerals shall be strictly prohibited - **प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक खनन**, लालकुआं एवं **हल्द्वानी** द्वारा अवगत कराया गया कि इस शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है। **समिति** इस संबंध में संतुष्ट हुई।

(xviii) Collection time shall be from sun-rise to sun-set - **प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी** द्वारा अवगत कराया गया कि इस शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है। **समिति** इस संबंध में संतुष्ट हुई।

(xix) No labour camp shall be set up in the forest area for the labourers engaged in collection of the minor minerals - **प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक खनन**, लालकुआं एवं **हल्द्वानी** द्वारा अवगत कराया गया कि इस शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है। **समिति** इस संबंध में संतुष्ट हुई।

(xx) Breaking of boulders shall be undertaken outside the forest boundaries - **प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक खनन**, लालकुआं एवं **हल्द्वानी** द्वारा अवगत कराया गया कि इस शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है। **समिति** इस संबंध में संतुष्ट हुई।

(xxi) The labourers engaged in collection work shall be provided free of cost, fuel wood/alternate source of energy to avoid any pressure on adjoining forests - **प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड** द्वारा यह निर्देश दिये गये कि *उपखनिज चुगान कार्य में लगे हुए श्रमिकों को कार्यदायी संस्था की तरफ से दी जाने वाली समस्त सामग्री एवं सुविधायें अत्यन्त पारदर्शी तरीके से एवं समयबद्धता को ध्यान में रखते हुए अनुमन्य की जानी चाहिएं। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि जो भी श्रमिक उक्त क्षेत्रों में कार्यरत हैं, उन्हें पीने हेतु शुद्ध जल उपलब्ध कराया जाये।* ***प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम*** *द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि भविष्य में श्रमिकों को उपलब्ध कराये जाने वाली सामग्री को संबंधित प्रभाग के वनाधिकारियों तथा क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों एवं मीडिया कर्मियों की उपस्थिति में ही वितरित किया जाये। श्रमिकों को* ***कोविड–19*** *के प्रति जागरूक करते हुए* ***कोविड–19*** *से बचने के लिए उपयुक्त सामग्री भी* ***उत्तराखण्ड वन विकास निगम*** *के स्तर से उपलब्ध करायी जाये।*

(xxii) The boundary of the forest land being diverted shall be demarcated on ground at the project cost, by erecting four feet high reinforced cement concrete pillars, each inscribed with its serial number, DGPS coordinates, forward and back bearing and distance from

Scanned by TapScanner

11/(6)

adjoining pillars etc - **प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी** द्वारा यह अवगत कराया गया कि चुगान क्षेत्र का सीमांकन 'पिलर्स' के माध्यम से कर इस शर्त का अनुपालन सुनिश्तिच किया जा रहा है। समिति इस संबंध में संतुष्ट हुई।

(xxiii) The forest land shall not be used for any purpose other than the specified in the proposal - **मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊँ** द्वारा यह अवगत कराया गया कि प्रत्यावर्तित आरक्षित वन भूमि का उपयोग उसी कार्य हेतु किया जा रहा है जिस हेतु उसका हस्तान्तरण किया गया है। समिति इस संबंध में संतुष्ट हुई।

(xxiv) User agency shall submit annual self-monitoring report, indicating status of compliance to the conditions stipulated in the approval, to the State Government and the concerned Regional Office of this Ministry - **क्षेत्रीय प्रबन्धक, कुमांऊ, उत्तराखण्ड वन विकास निगम** द्वारा अवगत कराया गया कि वार्षिक self-monitoring report राज्य सरकार को तथा भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के देहरादून स्थित क्षेत्रीय कार्यालय को उपलब्ध करायी जा रही है। *उक्त की एक प्रति वन विभाग को भी शीघ्र उपलब्ध करा दी जायेगी।*

(xxv) Any other condition that the Central Regional Office of this Ministry, Lucknow and the State Government of Uttarakhand may stipulate, from time-to-time, in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife - **भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय** के **क्षेत्रीय कार्यालय** द्वारा कोई अन्य शर्त अधिरोपित नहीं की गयी है। *मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड द्वारां यह अपेक्षा की गयी कि उत्तराखण्ड वन विकास निगम, भारत सरकार द्वारा जारी 'Sustainable Sand Mining Guidelines" का अध्ययन कर ले तथा उसका भी अनुपालन सुनिश्चित करे।*

(xxvi) The User Agency and the State Government shall ensure compliance to provisions of the all Acts, Rules, Regulations and Guidelines for the time being in force as applicable to the project - **क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, कुमाऊँ एवं रामनगर** द्वारा अवगत कराया गया कि इस शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है। समिति इस संबंध में संतुष्ट हुई।

<u>नन्धौर नदी :–</u>

प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग द्वारा **भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली** की शर्त सं0 (ii) की तरफ ध्यान आकृष्ट किया गया जिसके अनुसार प्रावधान है कि – 25% of revenue realised from disposal of material from river beds shall be spent on river training and treatment of catchment area. उक्त शर्त का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है। प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि कार्यदायी संस्था (उत्तराखण्ड वन विकास निगम) द्वारा चुगान सत्र 2019–20 में बिना वन विभाग की सहमति के रिवर ट्रेनिंग मद के सापेक्ष वसूली स्वतः ही बन्द कर दी है। उक्त के फलस्वरूप भारत सरकार द्वारा अधिरोपित शर्त का अनुपालन सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है। ***प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड** ने उक्त विषय पर चर्चा हेतु पृथक से एक बैठक आयोजित करने के निर्देश निर्गत किए।*

Scanned by TapScanner

11(6)

सी एवं दाबका नदी :–

भारत सरकार द्वारा कोसी एवं दाबका नदी से उपखनिज चुगान हेतु प्रदत्त अनुमति की अधिकतर शर्तें गौला नदी की अनुमति के समान ही हैं। बिन्दु संख्या–4 के अनुसार अधिरोपित शर्त निम्नानुसार है :–

No collection of minor minerals shall be permitted from the portion of the Dabka river located on northern side of the Ramnagar- Haldwani Highway.

(xxvii) प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पश्चिमी वन प्रभाग द्वारा यह अवगत कराया गया कि भारत सरकार द्वारा अधिरोपित उक्त शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है तथा गौला पुल के उत्तरी भाग से उपखनिज का चुगान नहीं किया जा रहा है। समिति इस संबंध में संतुष्ट हुई।

शारदा नदी :–

भारत सरकार द्वारा कोसी एवं दाबका नदी से उपखनिज चुगान हेतु प्रदत्त अनुमति की अधिकतर शर्तें गौला नदी की अनुमति के समान हैं। बिन्दु संख्या–4 एवं 9 में अधिरोपित शर्त निम्नानुसार है :–

4- No collection of minor minerals shall be permitted from the portion of the Sharda river located on the upstream of the Sharda Barrage.

9- The State Government shall through the Central Soil & Water Conservation, Dehradun assess the quantity of minor minerals that may be sustainably be collected from the said portion of the Sharda river and intimate the same to MoEFCC.

(xxviii) क्षेत्रीय प्रबन्धक, कुमांऊ, उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा यह अवगत कराया गया कि शारदा नदी से उपखनिज चुगान में भारत सरकार द्वारा अधिरोपित उक्त शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है तथा Indian Institute of Soil and Water Conservation, Dehradun द्वारा आकलित मात्रा के अनुसार ही उपखनिज का चुगान किया जा रहा है तथा इस संस्थान से प्राप्त रिपोर्ट को MoEFCC भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय को उपलब्ध कराया जा रहा है। समिति इस संबंध में संतुष्ट हुई।

अध्यक्ष के धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त की गयी!

06/08/2020

(जय राज)
प्रमुख वन संरक्षक (HoFF),
उत्तराखण्ड।

Scanned by TapScanner

11(6)

कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड।

दू0सं0 0135–2746934, 2741481, फैक्स–2741030, 2741462 ईमेल – pccfuk@gmail.com

पत्र संख्या– P.O./102 देहरादून, दिनांक, 06, अगस्त, 2020।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2– प्रमुख वन संरक्षक (वन्य जीव) / मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, चन्द्रवनी, देहरादून।
3– प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, देहरादून।
4– निदेशक वन्य जीव संस्थान, देहरादून।
5– अपर प्रमुख वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, देहरादून।
6– क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून।
7– मुख्य वन संरक्षक (कुमांऊ), उत्तराखण्ड, नैनीताल।
8– वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।
9– प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी (कृपया *italics* द्वारा निर्दिष्ट बिन्दुओं पर यथोचित कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें)।
10– प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर।
11– प्रभागीय वनाधिकारी, हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी।
12– डब्ल्यू.डब्ल्यू.एफ., इंडिया।
13– डब्ल्यू.टी.आई., इंडिया।
14– संस्कार संस्था।
15– आई.यू.सी.एन., इंडिया।

06/08/2020
(जय राज)
प्रमुख वन संरक्षक (HoFF),
उत्तराखण्ड।

Scanned by TapScanner

11(6)

उत्तराखण्ड में गौला, कोसी, दाबका, शारदा एवं नन्धौर नदियों से उपखनिज के चुगान स्वीकृति सम्बन्धी भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिरोपित शर्तो के अनुपालन की समीक्षा हेतु प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में गठित समिति की दिनांक 25.04.2019 को मंथन सभागार, वन मुख्यालय, देहरादून में आयोजित बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक की उपस्थिति–

1. श्रीमती रंजना काला, प्रमुख वन संरक्षक, वन्यजीव/मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड।
2. श्री मोनीष मल्लिक, प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, देहरादून।
3. श्री डी0जे0के0 शर्मा, अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, देहरादून।
4. श्री के0एम0 राव, अपर प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, देहरादून।
5. डा0 कपिल जोशी, अपर प्रमुख वन संरक्षक, प्रशासन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. डा0 विवेक पाण्डे, मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊँ, नैनीताल।
7. डा0 पराग मधुकर धकाते, वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, हल्द्वानी।
8. श्री0 जी0सी0 पन्त, क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, रामनगर।
9. श्री एम0पी0एस0 रावत, क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, कुमाऊँ।
10. श्री नीतीश मणि त्रिपाठी, प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी एवं हल्द्वानी वन प्रभाग।
11. श्री हिमांशु बागडी, प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पश्चिमी वन प्रभाग।
12. श्री प्रकाश आर्य, प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक, पूर्वी हल्द्वानी प्रभाग।
13. श्री प्रेम सिंह बोरा, प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक, खनन प्रभाग, नन्धौर।
14. श्री एस0 सूरीन, प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक (मुख्यालय) उत्तराखण्ड वन विकास निगम, देहरादून।
15. श्री अनिल कुमार सिंह, टीम लीडर WWF, तराई आर्क लैण्डस्केप।
16. श्री दिनेश चन्द्र पाण्डे, प्रतिनिधि WTI
17. श्री मेराज अनवर, प्रतिनिधि (ALC) WWF India

बैठक प्रारम्भ करते हुए प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग ने बैठक की अध्यक्षता कर रहे प्रमुख वन संरक्षक (HoFF) उत्तराखण्ड एवं अन्य उपस्थित प्रतिभागियों का स्वागत किया। तत्पश्चात प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग ने यह अवगत कराया कि गौला, कोसी, दाबका, शारदा, नन्धौर नदियों में 10 वर्षो के लिये उप खनिज चुगान हेतु अनुमति भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के निम्नलिखित आदेशों से कतिपय शर्तो के अधीन प्राप्त हुई है।

नदी का नाम	वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त अनुमति की आदेश संख्या तथा अनुमति की प्राप्ति का दिनांक
गौला	F. No.8-61/1999-FC, 23rd January 2013
नन्धौर	F. No.8-34/2016-FC, 6th September 2017
शारदा	F. No.8-61/1999-FC (pt-III), 11th February 2013
कोसी	F. No.8-61/1999-FC (pt-I), 15th February 2013
दाबका	F. No.8-61/1999-FC (pt-II), 15th February 2013

Scanned by TapScanner

11(6)

उक्त मॉनिटरिंग समिति द्वारा भारत सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमति में अधिरोपित शर्तों के अनुपालन की समीक्षा की जानी है। प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग द्वारा समिति के सदस्यों को निम्नलिखित तथ्यों से अवगत कराया।

नदी का नाम	जनपद का नाम	प्रभाग का नाम	नदी का वह क्षेत्रफल जिसमें चुगान की अनुमति प्राप्त है
गौला	नैनीताल	तराई पूर्वी वन प्रभाग	1497
नन्धौर	नैनीताल एवं उधमसिंहनगर	तराई पूर्वी वन प्रभाग	468
शारदा	चम्पावत	हल्द्वानी वन प्रभाग	384.69
कोसी	नैनीताल	तराई पश्चिमी वन प्रभाग	254
दाबका	नैनीताल	तराई पश्चिमी वन प्रभाग	223

उपरोक्त नदियों से उप खनिज चुगान की वस्तुस्थिति निम्नानुसार है:–

नदी का नाम	भारत सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमति के अनुसार उप खनिज चुगान की अधिकतम मात्रा (लाख घन मीटर में)	CSWCRTI (IISWC) द्वारा सर्वे उपरान्त चुगान सत्र 2018–19 हेतु अनुमानित मात्रा (लाख घन मीटर में)	दि0 24.04.2019 तक उप खनिज चुगान की मात्रा (लाख घन मीटर में)
गौला	54.25	34.55	32.179
नन्धौर	20.30	11.017	7.00
शारदा	CSWCRTI द्वारा प्रतिवर्ष अनुमानित मात्रा	4.50	3.00
कोसी	Recommended संस्था द्वारा प्रतिवर्ष अनुमानित मात्रा	6.27	3.50
दाबका	CSWCRTI द्वारा प्रतिवर्ष अनुमानित मात्रा	0.51	0.50 (दि. 12.03.2019 को उप खनिज चुगान इस चुगान सत्र में बंद कर दिया गया)

तत्पश्चात उत्तराखण्ड वन विकास निगम के प्रतिनिधि के रूप में प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक, नन्धौर खनन द्वारा उक्त पांचों नदियों की चुगान अनुमति में अधिरोपित शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या का प्रस्तुतीकरण निम्नानुसार किया गया:–

Scanned by TapScanner

11(6)

गौला नदी–

(i) Legal status of the diverted forest land shall remain unchanged. - नदी की हस्तान्तरित वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उक्त भूमि आज भी आरक्षित वन क्षेत्र है।

(ii) Compensatory afforestation over degraded forest land equal in extent to the forest land being diverted shall be raised and maintained by the state forest department from funds realised from the user agency. – प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग ने यह अवगत कराय कि प्रतिवर्ष 150 है0 क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया जा रहा है। इस प्रकार 10 वर्षों में कुल 1500 है0 क्षतिपूरक वृक्षारोपण कर लिया जायेगा। इस सम्बन्ध में प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड ने यह निर्देश दिये कि वर्ष 2013 में अनुमति प्राप्त होने के पश्चात अब तक किये गये क्षतिपूरक वृक्षारोपण का स्थलीय विवरण तथा उसकी सफलता प्रतिशत से प्रमुख वन संरक्षक (HoFF) महोदय को अवगत कराया जाय।

(iii) The state government shall realise from the user agency the additional amount of NPV, if so determined, as per the final decision fo the Hon'ble Supreme Court of India and transfer the same of the ad-hoc CAMPA. – समिति के संज्ञान में यह आया कि गौला तथा अन्य नदियों में उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा NPV जमा नहीं किया गया है। इस बिन्दु पर उत्तराखण्ड वन विकास निगम का यह मत है कि उत्तराखण्ड वन विकास निगम पर NPV की देयता मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेशों के क्रम में नहीं बनती है तथा भारत सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमति में भी इस बात का उल्लेख नहीं है। समिति के संज्ञान में यह आया कि हरिद्वार की नदियों में चुगान हेतु उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा NPV जमा की गयी है। उक्त के क्रम में प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड ने यह निर्देश दिये कि उत्तराखण्ड वन विकास निगम पर NPV की देयता अन्य नदियों (गौला, कोसी, दाबका, शारदा, नन्धौर इत्यादि) हेतु बनती है या नहीं, इसके निर्धारण हेतु एक समिति गठित की जाती है, जिसके सदस्य निम्नलिखित होंगे:–

1. श्री डी0जे0के0 शर्मा, अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, देहरादून – अध्यक्ष
2. श्री के0एम0 राव, अपर प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, देहरादून।
3. डा0 विवेक पाण्डे, मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊँ, नैनीताल।
4. डा0 पराग मधुकर धकाते, वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, हल्द्वानी।
5. श्री नीतीश मणि त्रिपाठी, प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी एवं हल्द्वानी वन प्रभाग।
6. श्री आकाश वर्मा, प्रभागीय वनाधिकारी, हरिद्वार वन प्रभाग।

उक्त समिति 15 दिनों में NPV की देयता के संबंध में रिपोर्ट प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड के समक्ष प्रस्तुत करेगी।

(iv) The user agency shall obtain the Environment Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if required; - क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, कुमाऊँ ने यह अवगत कराया कि इस शर्त का अनुपालन कर दिया गया है। इस क्रम में प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड द्वारा यह निर्देश दिये गये कि गौला नदी में चुगान हेतु प्रदत्त Environment Clearance की शर्तो की समीक्षा भी अगली बैठक में की जायेगी। इसके साथ ही उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि अगली बैठक में सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड,

Scanned by TapScanner

11/6)

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भी विशेष आमंत्री के रूप में बैठक में प्रतिभाग हेतु आमंत्रित किया जाये। इसके साथ ही प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड ने कार्यदायी संस्था वन विकास निगम को अभी से Environment Clearance सम्बन्धी कार्यवाही शुरू करने हेतु निर्देशित किया क्योंकि गौला नदी चुगान हेतु Environment Clearance वर्ष 2021 में समाप्त होने वाला है। जबकि Forest Clearance 2023 तक वैध है। वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त द्वारा यह अवगत कराया गया कि नन्धौर नदी में चुगान हेतु प्राप्त Environment Clearance में अधिरोपित शर्तों के अनुसार बनाये गये Species Conservation Plan के सापेक्ष अभी तक उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा कोई भी धनराशि जमा नहीं करायी गयी है। उक्त के क्रम में उत्तराखण्ड वन विकास निगम ने यह सहमति व्यक्त की कि Species Conservation Plan के अनुपालन हेतु रू0 2 करोड़ की धनराशि अगले 15 दिवसों में संबंधित प्रभाग को उपलब्ध करा दी जायेगी। प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड ने यह निर्देश दिये कि Species Conservation Plan के अनुपालन हेतु प्राप्त धनराशि को प्रभाग के गौला कार्पस एस0पी0वी0 (वन जमा) में जमा किया जाये तथा धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व उक्त प्लान को प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाये तथा प्रस्तावित गतिविधियों को प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड से Approve कराने के बाद ही उक्त धनराशि को व्यय किया जायेगा। WTI के प्रतिनिधि द्वारा यह अवगत कराया गया कि उप खनिज चुगान में लगे हुए वाहनों द्वारा प्रत्येक 03 माह में नवीन प्रदूषण प्रमाण–पत्र नहीं लिया जाता है, जिस पर उत्तराखण्ड वन विकास निगम को यह निर्देशित किया गया कि यह सुनिश्चित किया जाये कि चुगान में लगे हुए वाहनों की प्रत्येक 03 माह में प्रदूषण से संबंधित जांच हो और जो वाहन प्रदूषण के मानकों के अनुरूप हैं, केवल उन्हें ही उप खनिज चुगान की अनुमति दी जाये।

(v) The State Government and the user agency shall work with local residents of Bindu Khatta to give safe and uninterrupted passage to the wild animals passing through the Gola corridor, expedite payment of compensation in case of any damage to property etc. and generally increase awareness of the methods of co-existence of man and wildlife; - उक्त शर्त के अनुपालन हेतु उत्तराखण्ड वन विकास निगम (user agency) द्वारा कृत कार्यवाही से समिति के सदस्य सहमत नहीं थे, जिसके क्रम में समिति द्वारा यह निर्देश दिये गये कि उत्तराखण्ड वन विकास निगम के क्षेत्रीय प्रबन्धक यह सुनिश्चित करेंगे कि बिन्दुखत्ता में निवासरत लोगों को जागरूक किया जाय तथा उनके साथ बैठके कर उन्हें वन्यजीवों के आवागमन को सुगम बनाने हेतु प्रयास किये जायें। उक्त प्रयास में संबंधित प्रभाग के अधिकारियों का भी सहयोग लिया जाय। इसके साथ ही मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाओं में मुआवजा देने की कार्यवाही त्वरित रूप से की जाये।

(vi) The State Government shall not allow any new facility/ structure within the Gola corridor to ensure its restoration in future. The State Government shall also ensure that the boundary of the ITBP battalion headquarters be shifted towards south so as to ensure that it is located entirely on southern side of the Gola corridor and that the corridor is maintained free of fresh obstructions from the Highway/ Railway line upto the Bindu Katha settlement; - वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त द्वारा यह अवगत कराया गया कि उक्त शर्त का अनुपालन सुनिश्चित कर लिया गया है तथा ITBP battalion headquarters को दक्षिण की तरफ Shift कर दिया गया है। बैठक में उपस्थित WTI के प्रतिनिधि द्वारा यह अवगत कराया गया कि राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण में लालकुआं के निकट कॉरिडोर क्षेत्र में वन्यजीवों के

Scanned by TapScanner

आवागमन हेतु अन्डरपास बनाया जाना आवश्यक है, जिसके क्रम में वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त द्वारा यह भी अवगत कराया कि लालकुआं के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग में अन्डरपास बनाये जाने हेतु वन विभाग तथा राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों के साथ कई दौर की वार्ता हो चुकी है तथा राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित अधिकारियों द्वारा अन्डरपास शीघ्र बनाये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी है।

(vii) To eliminate disturbance from collection of minor minerals on movement of wild animals along the gola corridor, collection of minor minerals in a 2.50 km long stretch of the river bed located on the gola corridor shall be prohibited. However, in case it is observed that non-collection of minor mineral from the corridor results in major floods in adjoining areas, the user agency, under strict supervision of the StateForest Department and representative of the Chief Wildlife Warden, may undertake periodic accelerated collection (during the period having least frequency of wildlife movement)of minor minerals from said stretch of the river bed, to maintatin river geometry; - क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, कुमाऊँ द्वारा यह अवगत कराया गया कि प्रश्नगत 2.50 km क्षेत्र में विगत वर्ष बाये किनारे पर बड़ी मात्रा में एकत्रित आर0बी0एम0 को निकटवर्ती क्षेत्रों में आपदा के दृष्टिगत जिलाधिकारी, नैनीताल द्वारा आपदा अधिनियम के अधीन जारी आदेश के क्रम में चैनलाईज करा दिया गया है तथा उक्त चैनलाईजेशन के फलस्वरूप निकले हुए आर0बी0एम0 को चैनल के दोनों तरफ एकत्रित कर दिया गया है। मौके पर उक्त आर0बी0एम0 पड़ा हुआ है, जिसका आगामी वर्षाकाल में बह कर नीचे के क्षेत्रों में बह जाने की सम्भावना है। उक्त के क्रम में प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड द्वारा यह निर्देश दिया गया कि मॉनिटरिंग कमेटी की एक सब कमेटी बनायी जाये जो कि प्रश्नगत क्षेत्र का निरीक्षण अगले 01 सप्ताह के अन्तर्गत करे तथा अपनी रिपोर्ट निम्नलिखित बिन्दुओं पर प्रस्तुत करेगी। कमेटी का यह मेन्डेट होगा कि वह देख ले कि उक्त कॉरिडोर क्षेत्र में चैनल बनाये जाने के पश्चात जो आर0बी0एम0 एकत्रित हुआ है, उसकी वजह से वन्यजीवों के आवागमन पर कोई दुष्प्रभाव तो नहीं पड़ रहा है। साथ ही इस बात की भी समीक्षा कर ले कि उक्त आर0बी0एम0 के निचले क्षेत्रों में बह जाने के कारण आबादी क्षेत्रों में आपदा आने की सम्भावना तो नहीं है। यदि उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत उक्त एकत्रित आर0बी0एम0 को उक्त क्षेत्र से हटाया जाना आवश्यक हो तो ऐसी स्थिति में मशीनों (जे0सी0बी0 इत्यादि) का प्रयोग किया जा सकता है अथवा नहीं। उक्त के साथ ही सब कमेटी गौला नदी में वर्तमान की स्थिति में उप खनिज की उपलब्धता के संबंध में CSWCRTI (IISWC) द्वारा प्रस्तुत सर्वे रिपोर्ट का आंकलन करेगी तथा गौला नदी में उपलब्ध उप खनिज की मात्रा का आंकलन तथा गौला नदी में उपलब्ध उप खनिज के सापेक्ष कब तक (अथवा किस मात्रा तक) चुगान की प्रक्रिया जारी रखी जा सकती है। इस संबंध में भी स्पष्ट रिपोर्ट 01 सप्ताह के अन्तर्गत प्रस्तुत करेगी। उक्त सब कमेटी के निम्नलिखित सदस्य होंगे:—

1- श्री मोनीष मल्लिक, प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, देहरादून — अध्यक्ष
2- निदेशक, भारतीय वन्यजीव संस्थान के प्रतिनिधि (विशेष आमंत्री)।
3- श्री रंजन मिश्रा, मुख्य वन संरक्षक, प्रशासन एवं वन्यजीव संरक्षण और आसूचना, उत्तराखण्ड। प्रमुख वन संरक्षक, वन्यजीव / मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड के प्रतिनिधि के रूप में।
4- डा0 विवेक पाण्डे, मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊँ, नैनीताल।
5- निदेशक, IISWC के प्रतिनिधि (विशेष आमंत्री)।
6- डा0 पराग मधुकर धकाते, वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, हल्द्वानी।

Scanned by TapScanner

11(6)

7- जिलाधिकारी, नैनीताल के प्रतिनिधि (विशेष आमंत्री)।
8- श्री नीतीश मणि त्रिपाठी, प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी एवं हल्द्वानी वन प्रभाग।
9- श्री अनिल कुमार सिंह, टीम लीडर WWF, India, तराई आर्क लैण्डस्केप।

(viii) To restore the functionality and utility of the migratory corridor linking Corbet Tiger Reserve with the Pawalgarh Conservation Reserve, the State Government may explore feasibility to relocate the settlements from the Sunderkhal village by using State CAMPA funds; - इस बिन्दु के संबंध में विगत वर्ष की बैठक में निदेशक, कार्बेट टाईगर रिजर्व द्वारा यह अवगत कराया गया था कि सुन्दरखाल गांव को विस्थापित किये जाने का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया है।

(ix) The State Government shall constitute a committee under Chairmanship of the Principal Chief Conservator of Forest, Government of Uttarakhand and having the representative of the Ministry of Environment & Forests, Wildlife Institute, Dehradun and NGOs such as Sanskara, WWF-India, WTI, IUCN etc. as its members to review annually the status of compliance of the stipulated conditions and issue appropriate direction to the user agency in case of any deviation as well as any hazard due to non-removal of minor minerals from the protected corridor. The collection of minor minerals after 31st day of January in a year shall be allowed only after receipt of certificate from the Monitoring Committee that the conditions stipulated int eh approval accorded under the Forest (Conservation) Act, 1980 and the instructions issued by the Monitoring Committee have satisfactorily been complied in collection of the minor minerals during the previous calendar year;- इस शर्त के अनुपालन हेतु मॉनिटरिंग कमेटी राज्य सरकार द्वारा गठित कर दी गयी है तथा आज उक्त समिति की वार्षिक बैठक सम्पन्न की जा रही है।

(x) To ensure extraction of minor minerals in a sustainable manner the user agency shall formulate a transparent and unbiased procedure for engagement of labourers for extraction of the minor minerals from the diverted forest land; ;- उक्त बिन्दु के अनुपालन के संबंध में क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, कुमाऊँ एवं रामनगर द्वारा यग अवगत कराया गया है कि नदियों से चुगान हेतु रजिस्टर्ड वाहनों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया तथा चुगान की प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से एवं बिना किसी भेद भाव के सम्पन्न की जाती है।

(xi) Fifty percent of the net profit earned by the user agency from the collection of minor minerals shall be deposited to a Special purpose Vehicle (SPV) to be constituted by the Sate Government under the Chairmanship of the Chief Wildlife Warden, Government of Uttarakhand. The amount to be deposited in the SPV shall be used exclusively for river training activities and management & protection of forest & wildlife in vicinity of forest land diverted for collection of minor minerals. ;- इस शर्त के क्रम में वन विभाग का यह मत है कि कार्यदायी संस्था द्वारा अपने Net Profit के 50 प्रतिशत को Special purpose Vehicle (SPV) गौला कार्पस में जमा नहीं किया जा रहा है, जबकि Net Profit का calculation कार्यदायी संस्था की balance sheet के आधार पर होना चाहिए। इस क्रम में क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, कुमाऊँ द्वारा यह अवगत कराया गया कि गौला नदी में लाभांश के रूप में चुगान के फलस्वरूप अर्जित रायल्टी की दरों के 10 प्रतिशत (वर्तमान में 85 पैसे प्रति कुन्तल) की धनराशि गौला कार्पस में जमा की जा रही है। क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, रामनगर द्वारा यह अवगत कराया गया कि लाभांश के रूप में अर्जित धनराशि का 50 प्रतिशत ही कोसी, दाबका कार्पस निधि में जमा किया जा रहा है। उक्त के क्रम में प्रमुख वन संरक्षक (HoFF)

Scanned by TapScanner

11(6)

उत्तराखण्ड महोदय द्वारा यह निर्देश दिये गये कि, चूंकि कार्यदायी संस्था (उत्तराखण्ड वन विकास निगम) द्वारा अपने Net Profit के 50 प्रतिशत को संबंधित नदियों के Special purpose Vehicle (SPV) कार्पस में जमा नहीं किया जा रहा है। अतः जब तक राज्य सरकार अथवा भारत सरकार से उक्त बिन्दु पर अन्तिम निर्णय नहीं ले लिया जाता है तब तक उत्तराखण्ड वन विकास निगम उन नदियों (जैसे कि शारदा नदी) को छोड़ते हुए जिनके लिये राज्य सरकार के स्तर से लाभांश की 50 प्रतिशत धनराशि (SPV) कार्पस में जमा करने के specific निर्देश निर्गत किये गये हैं, शेष समस्त नदियों (जैसे कि कोसी, दाबका, नन्धौर इत्यादि) में गौला नदी की भांति लाभांश के रूप में अर्जित धनराशि का 100 प्रतिशत कार्पस निधि (Special purpose Vehicle) में जमा कराया जाना सुनिश्चित करें। उक्त नदियों की विगत वर्षों की 50 प्रतिशत धनराशि जो कार्यदायी संस्था के पास है, उक्त धनराशि को भी शीघ्रतिशीघ्र संबंधित कार्पस निधियों में जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(xii) The total quantity of minor minerals extracted during a year shall not be more than 54.25 lakh cubic meter.- इस शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है। किसी भी चुगान सत्र में 54.25 लाख घ0मी0 से अधिक उपखिनज के चुगान की अनुमति नहीं दी जाती है। क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, रामनगर ने यह अवगत कराया कि चूंकि प्रतिवर्ष वर्षा की मात्रा अलग–अलग होती है तथा नदी में वर्षा के जल के साथ बहकर आने वाले उपखनिज की मात्रा भी अलग–अलग होती है इसलिए प्रत्येक वर्ष नदी में उपखनिज की मात्रा का आंकलन किया जाना अत्यंत आवश्यक है तथा उस आंकलित मात्रा के अनुसार ही उपखनिज के चुगान की कार्यवाही सम्बन्धित चुगान सत्र में की जानी चाहिए। मुख्य वन संरक्षक, कुमांऊ ने भी नदी से उपखनिज को sustainably चुगान करने की बात कही गयी।

(xiii) Extraction of minor minerals shall be restricted to the middle half of the width of river bed after leaving intact one fourth of width of the river bed along its each bank.- क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, कुमाऊँ एवं रामनगर द्वारा यह अवगत कराया गया कि नदी के मध्य के 50 प्रतिशत क्षेत्र को सीमांकित करने के पश्चात ही चुगान कार्य शुरू किया जाता है। अतः इस शर्त का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है।

(xiv) To ensure maintenance of river geometry, collection of minor minerals during a working season shall start from centre of the river width and shall gradually extend to the boundary of the permissible area. The maximum permissible depth for collection of minor minerals at centre of the river width shall be limited to 3 meter and it shall gradually be reduced till it reaches boundary of the permissible zone.- प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक खनन, नन्धौर द्वारा यह अवगत कराया गया कि इस शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है।

(xv) To regulate and maintain record of the quantity of minor minerals extracted during a season, the State Forest Department shall set up adequate number of check posts during the collection season.- इस शर्त के अनुपालन के फलस्वरूप आवश्यकतानुसार चैक पोस्ट की स्थापना की गयी है।

(xvi) Extraction of minor mineral shall be restricted from 1st October to 31st May of the subsequent year.- मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊँ द्वारा यह अवगत कराया गया कि उक्त शर्त का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है।

(xvii) Minor minerals shall be collected manually by using hand tools. Use of explosive and heavy machineries for breaking/collection of minor minerals shall be strictly prohibited.-

Scanned by TapScanner

11(6)

क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, कुमाऊँ एवं रामनगर द्वारा यह अवगत कराया गया कि इस शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है।

(xviii) Collection time shall be from sun-rise to sun-set. वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त द्वारा अवगत कराया गया कि इस शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है।

(xix) No labour camp shall be set up in the forest area for the labourers engaged in collection of the minor minerals. क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, कुमाऊँ एवं रामनगर द्वारा यह अवगत कराया गया कि द्वारा अवगत कराया गया कि इस शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है।

(xx) Breaking of boulders shall be undertaken outside the forest boundaries. प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक खनन, नन्धौर द्वारा अवगत कराया गया कि इस शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है।

(xxi) The labourers engaged in collection work shall be provided free of cost, fuel wood/alternate source of energy to avoid any pressure on adjoining forests. प्रमुख वन संरक्षक (HoFF) उत्तराखण्ड द्वारा यह निर्देश दिये गये कि उप खनिज चुगान कार्य में लगे हुए श्रमिकों को कार्यदायी संस्था की तरफ से दी जाने वाली समस्त सामग्री एवं सुविधायें अत्यन्त पारदर्शी तरीके से एवं समयबद्धता को ध्यान में रखते हुए की जानी चाहिए। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि जो भी श्रमिक उक्त क्षेत्रों में कार्यरत हैं, उन्हें पीने हेतु शुद्ध जल उपलब्ध कराया जाये। प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि भविष्य में श्रमिकों को उपलब्ध कराये जाने वाली सामग्री को संबंधित प्रभाग के वनाधिकारियों तथा क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों एवं मीडिया कर्मियों की उपस्थिति में ही वितरित किया जाये।

(xxii) The boundary of the forest land being diverted shall be demarcated on ground at the project cost, by erecting four feet high reinforced cement concrete pillars, each inscribed with its serial number, DGPS coordinates, forward and back bearing and distance from adjoining pillars etc.- प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पश्चिमी द्वारा यह अवगत कराया गया कि चुगान क्षेत्र का सीमांकन पिलर्स के माध्यम से किया जा रहा है तथा इस शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है।

(xxiii) The forest land shall not be used for any purpose other than the specified in the proposal. मुख्य वन संरक्षक, कुमांऊ द्वारा यह अवगत कराया गया कि प्रत्यावर्तित आरक्षित वन भूमि का उपयोग उसी कार्य हेतु किया जा रहा है जिस हेतु उसका हस्तान्तरण किया गया है।

(xxiv) User agency shall submit annual self-monitoring report, indicating status of compliance to the conditions stipulated in the approval, to the State Government and the concerned Regional Office of this Ministry; इस शर्त का अनुपालन कार्यदायी संस्था से अभी भी अपेक्षित है। प्रमुख वन संरक्षक (HoFF) उत्तराखण्ड द्वारा यह निर्देश दिये गये कि इस चुगान सत्र की समाप्ति के बाद 01 सप्ताह के अन्तर्गत उत्तराखण्ड वन विकास निगम वार्षिक self-monitoring report राज्य सरकार को तथा भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के देहरादून स्थित क्षेत्रीय कार्यालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें तथा इसकी एक प्रति कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड को भी उपलब्ध करायी जाये।

(xxv) Any other condition that the Central Regional Office of this Ministry, Lucknow and the State Government of Uttarakhand may stipulate, from time to time, in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife and. भारत सरकार पर्यावरण,

Scanned by TapScanner

11 (6)

वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा कोई अन्य शर्त अधिरोपित नहीं की गयी है।

(xxvi) The User Agency and the State Government shall ensure compliance to provisions of the all Acts Rules, Regulations and Guidelines for the time being in force as applicable to the project. क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, कुमाऊँ एवं रामनगर द्वारा अवगत कराया गया कि इस शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है।

नन्धौर नदी–

प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक, नन्धौर खनन द्वारा भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की शर्त सं० (ii) की तरफ समिति का ध्यान आकृष्ट किया गया जिसके अनुसार "(ii) 25% of revenue realised from disposal of material from river beds shall be spent on river training and treatment of catchment area." उक्त शर्त का अनुपालन सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है। अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड द्वारा यह निर्देशित किया गया कि संबंधित प्रभाग की नन्धौर नदी की catchment area treatment हेतु बजट की कोई मांग हो तो, इस हेतु प्रस्ताव तैयार कर इस बिन्दु का उल्लेख करते हुए उत्तराखण्ड शासन से बजट की मांग की जा सकती है।

कोसी, दाबका एवं शारदा नदी–

प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड ने यह निर्देश दिये कि चूंकि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिरोपित शर्तों में से अधिकांश शर्तें एक समान हैं। अतः जिस प्रकार के निर्देश अनुपालन हेतु गौला नदी के संदर्भ में दिये गये हैं, उक्त समस्त निर्देश कोसी दाबका एवं शारदा नदियों के लिए भी प्रभावी होंगे। इसके साथ ही प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड ने प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम से यह भी अपेक्षा की कि इस बात का परीक्षण कर लिया जाये कि आरक्षित वन क्षेत्र में बहने वाली किसी अन्य नदी में से भी अगर वन एवं वन्यजीवों की सुरक्षा अथवा आपदा के दृष्टिगत चुगान किया जाना आवश्यक हो, तो ऐसी नदियों के संबंध में वन भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही प्रस्तावित की जाय, जिससे कि जहां एक तरफ वन एवं वन्यजीवों की सुरक्षा एवं निकटवर्ती आबादी क्षेत्रों की सुरक्षा की जा सके वहीं दूसरी तरफ राज्य को राजस्व की प्राप्ति भी हो सके। वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त ने बैठक में उपस्थित समस्त सदस्यों को इस अतिमहत्वपूर्ण बैठक में प्रतिभाग करने हेतु धन्यवाद ज्ञापित कर बैठक समाप्त की गयी।

(जय राज)
प्रमुख वन संरक्षक (HoFF),
उत्तराखण्ड, देहरादून।

Scanned by TapScanner

11/6)

कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड, देहरादून

वन मुख्यालय, 85–राजपुर रोड, देहरादून

पत्रांक– P.01/1489 / देहरादून, दिनांक, 27- 2019.

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– प्रमुख वन संरक्षक (वन्य जीव)/मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, देहरादून।
3– अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, देहरादून।
4– मुख्य वन सरक्षक (कुमाऊँ), उत्तराखण्ड, नैनीताल।
5– वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।
6– पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार।
7– निदेशक वन्य जीव संस्थान, देहरादून।
8– डब्ल्यू.डब्ल्यू.एफ इंडिया।
9– डब्ल्यू.टी.आई. इंडिया।
10– संस्कार संस्था।
11– आई.यू.सी.एन. इंडिया।
12– प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर।
13– प्रभागीय वनाधिकारी, हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी।
14– प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी।

<u>संलग्न– बैठक की उपस्थिति।</u>

27/04/19

(जय राज)
प्रमुख वन संरक्षक (HoFF),
उत्तराखण्ड, देहरादून।

Scanned by TapScanner

11(6)

प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में गौला, नन्धौर/कैलाश, कोसी, दाबका व शारदा से उप खनिज के चुगान संबंधी भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा अधिरोपित शर्तों के अनुपालन की समीक्षा के संबंध में दिनांक 25.04.2019 को आयोजित बैठक में उपस्थित अधिकारियों की सूची

क्रम संख्या	अधिकारी का नाम	पदनाम	मोबाईल नम्बर	हस्ताक्षर
1-	श्री जय राज	प्रमुख वन संरक्षक (HoFF) उत्तराखण्ड	9412053604	
2	रंजना काला	प्र.व.स वन्यजीव/CWLW	9458192115	[signature]
3	मोनीष मल्लिक	प्रबन्ध निदेशक उत्तराखण्ड वन विकास निगम	9458192113	[signature]
4.	डी० जे० के० शर्मा	APCCF/Nodal	9837007573	[signature]
5.	के० एम० राव	AHD/UKFDC	9456331971	[signature]
6-	डा० कपिल जोशी	APCCF (adm)	9412085207	[signature]
7.	S/D पराग मधुकर धकाते	C.F. Western Haldwani	9997105767	पराग धकाते [signature]
8.	जी०सी०पन्त	Regional Manager Western Region	9568003211	[signature]
9.	एम०पी०एस०रावत	Regional Manager U.K. Forest Corporation	9568003205	[signature]
10	S/D विवेक पाण्डे	C.C.F (Kumaun) Nainital	9412087818	[signature]
11.	नितीशमणि त्रिपाठी	Nitish Mani Tripathi DFO, Tarai East	7830811111	[signature]

[signature]

Scanned by TapScanner

11/6)

क्रम संख्या	अधिकारी का नाम	पदनाम	मोबाईल नम्बर	हस्ताक्षर
12	प्रकाश आर्य	[illegible]	9410196337	[illegible]
13	प्रेम सिंह [illegible]	[illegible]	9568003243	[illegible]
14	हिमांशु बागरी	DFO, Terai West	8050888515	[illegible]
15	MERAJ ANWAR ALC, WWF		9458313883	[illegible]
16	ANIL KUMAR SINGH	Team Leader - WWF TAL	9760111709	AKSingh
17	Dinesh Pandey	Wildlife Trust of India	9412999724	[illegible]
18	Sanjay Sohin	DLM (HQ) U.K.F.D. Corporation Dehradun.	7088051444	[illegible]

Scanned by TapScanner

11(6)

उत्तराखण्ड में गौला, कोसी, दाबका, शारदा एवं नन्धौर नदियों से उपखनिज के चुगान स्वीकृति सम्बन्धी भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिरोपित शर्तो के अनुपालन की समीक्षा हेतु प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में गठित समिति की दिनांक 29.05.2018 को शताब्दी समागार वानिकी प्रशिक्षण अकादमी, हल्द्वानी में आयोजित बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक की उपस्थिति–

1. डा0 कपिल जोशी, मुख्य वन संरक्षक, कुमांऊ।
2. डा0 पराग मधुकर धकाते, वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त/निदेशक कार्बेट टाईगर रिजर्व।
3. श्री0 जी0सी0 पन्त, क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, रामनगर।
4. श्री डी0के0 सिंह, प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पश्चिमी।
5. डा0 चन्द्रशेखर सनवाल, प्रभागीय वनाधिकारी, हल्द्वानी।
6. श्री नीतीश मणि त्रिपाठी, प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी।
7. श्रीमती कल्याणी, प्रभागीय वनाधिकारी, तराई केन्द्रीय।
8. श्री एन0 के0 वार्ष्णेय, प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक, खनन प्रभाग, लालकुआं।
9. श्री के0एस0 रावत, प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक, खनन प्रभाग, हल्द्वानी।
10. श्री प्रेम सिंह बोरा, प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक, खनन प्रभाग, नन्धौर।
11. श्री हरीश पाल, प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक, खनन प्रभाग, शारदा।
12. श्री अनीश अहमद, प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक, खनन प्रभाग, रामनगर।
13. श्री मेराज अनवर, प्रतिनिधि WWF India
14. श्री दिनेश चन्द्र पाण्डे, प्रतिनिधि WTI
15. श्री प्रकाश चन्द्र आर्या, उप प्रभागीय वनाधिकारी, सितारगंज।
16. श्री गजेन्द्र कैन्तुरा, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, रामनगर।

प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड ने बैठक में उत्तराखण्ड वन विकास निगम के वरिष्ठ अधिकारियों की अनुपस्थिति पर अप्रसन्नता व्यक्त की गयी तथा यह अपेक्षा की गयी कि भविष्य की बैठकों में यदि किसी कारणवश प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम न आ सकें तो उनके बाद जो सबसे वरिष्ठ अधिकारी उत्तराखण्ड वन विकास निगम में कार्यरत हों वह बैठक में प्रतिभाग करें। इसके अतिरिक्त अन्य जो भी सदस्यगण इस बैठक में प्रतिभाग नहीं कर रहे हैं वह भी भविष्य में आयोजित होने वाली बैठकों में प्रतिभाग करें।

गौला नदी– प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी द्वारा यह अवगत कराया गया कि गौला नदी में चुगान की अनुमति भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक सं. एफ. नं. 8–61/1999–एफ.सी. दि. 23.01.2013 से 10 वर्षो हेतु प्राप्त हुई है।

(i) Legal status of the diverted forest land shall remain unchanged.- इस शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है।

(ii) Compensatory afforestation over degraded forest land equal in extent to the forest land being diverted shall be raised and maintained by the state forest department from funds realised from the user agency. – प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग ने यह अवगत कराया कि प्रतिवर्ष 150 है0 क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया जा रहा है। इस प्रकार 10 वर्षो

Scanned by TapScanner

11(6)

में कुल 1500 है० क्षतिपूरक वृक्षारोपण कर लिया जायेगा। इस सम्बन्ध में प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड ने यह निर्देश दिये कि अब तक किये गये क्षतिपूरक वृक्षारोपण का स्थलीय निरीक्षण वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त एवं क्षेत्रीय प्रबन्धक, कुमांऊ, उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा एक माह के अन्तर्गत कर लिया जाय तथा निरीक्षण आख्या उच्चाधिकारियों को प्रेषित की जाय। प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड ने यह भी निर्देश दिये कि उक्त क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्रों का अनुरक्षण न्यूनतम पांच वर्षों तक किया जाय।

(iii) The state government shall realise from the user agency the additional amount of NPV, if so determined, as per the final decision fo the Hon'ble Supreme Court of India and transfer the same of the ad-hoc CAMPA. – No additional amount of NPV has been imposed on the user agency.

(iv) The user agency shall obtain the Environment Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if required; .- क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, रामनगर ने यह अवगत कराया कि इस शर्त का अनुपालन कर दिया गया है। इस क्रम में प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड द्वारा यह निर्देश दिये गये कि गौला नदी में चुगान हेतु प्रदत्त Environment Clearance की शर्तों की समीक्षा अगली बैठक में की जायेगी। इसके साथ ही उन्होंने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भी उक्त शर्तों की अनुपालन की समीक्षा किये जाने के निर्देश निर्गत किये। इसके साथ ही उन्होंने मुख्य वन संरक्षक, कुमांऊ को यह निर्देशित किया कि वह भी अपने स्तर से Environment Clearance के अनुपालन की समीक्षा कर लें जिसमें वन विभाग से सम्बन्धित शर्तों की भी समीक्षा कर ली जाय। इसके साथ ही प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड ने कार्यदायी संस्था वन विकास निगम को अभी से Environment Clearance सम्बन्धी कार्यवाही शुरू करने हेतु निर्देशित किया क्योंकि गौला नदी चुगान हेतु Environment Clearance वर्ष 2021 में समाप्त होने वाला है। जबकि Forest Clearance 2023 तक वैध है।

(v) The State Government and the user agency shall work with local residents of Bindu Khatta to give safe and uninterrupted passage to the wild animals passing through the Gola corridor, expedite payment of compensation in case of any damage to property etc. and generally increase awareness of the methods of co-existence of man and wildlife; - इस शर्त का अनुपालन किया जा रहा है तथा मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाओं में मुआवजा देने की कार्यवाही त्वरित रूप से की जा रही है।

(vi) The State Government shall not allow any new facility/ structure within the Gola corridor to ensure its restoration in future. The State Government shall also ensure that the boundary of the ITBP battalion headquarters be shifted towards south so as to ensure that it is located entirely on southern side of the Gola corridor and that the corridor is maintained free of fresh obstructions from the Highway/ Railway line upto the Bindu Katha settlement; - वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त द्वारा यह अवगत कराया गया कि उक्त शर्त का अनुपालन सुनिश्चित कर लिया गया है तथा ITBP battalion headquarters को दक्षिण की तरफ Shift कर दिया गया है।

(vii) To eliminate disturbance from collection of minor minerals on movement of wild animals along the gola corridor, collection of minor minerals in a 2.50 km long stretch of the river bed located on the gola corridor shall be prohibited. However, in

Scanned by TapScanner

11(6).

case it is observed that non-collection of minor mineral from the corridor results in major floods in adjoining areas, the user agency, under strict supervision of the StateForest Department and representative of the Chief Wildlife Warden, may undertake periodic accelerated collection (during the period having least frequency of wildlife movement)of minor minerals from said stretch of the river bed, to maintain river geometry; - उक्त शर्त के क्रम में आज दिनांक 29.05.2018 को प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड, वन विभाग, वन निगम के अधिकारी, मा0 विधायक लालकुआं तथा अन्य जनप्रतिनिधियों द्वारा गौला कॉरीडोर का भ्रमण किया गया तथा स्थलीय निरीक्षण मध्ये यह पाया गया कि प्रश्नगत 2.50 km क्षेत्र के बाये किनारे पर बड़ी मात्रा में आर0बी0एम0 टापू के रूप में एकत्र हो गया है। इसके कारण नदी का दाया तट बाढ़ की जद में आ सकता है। इस टापू में नदी के प्रवाह को दाये किनारे को काटने से रोकने के लिए एक चैनल बनाना आवश्यक है। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी, नैनीताल द्वारा बनायी गयी समिति, प्रमुख वन संरक्षक वन्यजीव / मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक द्वारा, मुख्य वन संरक्षक, कुमांऊ की अध्यक्षता में बनायी गयी समिति द्वारा शर्त संख्या (vii) के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित कर दी जाय। इसके अतिरिक्त प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि उक्त वन्यजीव कॉरीडोर की उपयुक्तता आज भी है या नहीं इस सम्बन्ध में भारतीय वन्य जीव संस्थान, देहरादून से अध्ययन करा लिया जाय।

(viii) To restore the functionality and utility of the migratory corridor linking Corbet Tiger Reserve with the Pawalgarh Conservation Reserve, the State Government may explore feasibility to relocate the settlements from the Sundearkhal village by using State CAMPA funds; - निदेशक कार्बेट टाईगर रिजर्व द्वारा यह अवगत कराया गया कि सुन्दरखाल गांव को विस्थापित किये जाने का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया है।

(ix) The State Government shall constitute a committee under Chairmanship of the Principal Chief Conservator of Forest, Government of Uttarakhand and having the representative of the Ministry of Environment & Forests, Wildlife Institute, Dehradun and NGOs such as Sanskara, WWF-India, WTI, IUCN etc. as its members to review annually the status of compliance of the stipulated conditions and issue appropriate direction to the user agency in case of any deviation as well as any hazard due to non-removal of minor minerals from the protected corridor. The collection of minor minerals after 31st day of January in a year shall be allowed only after receipt of certificate from the Monitoring Committee that the conditions stipulated int eh approval accorded under the Forest (Conservation) Act, 1980 and the instructions issued by the Monitoring Committee have satisfactorily been complied in collection of the minor minerals during the previous calendar year;- इस शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है।

(x) To ensure extraction of minor minerals in a sustainable manner the user agency shall formulate a transparent and unbiased procedure for engagement of labourers for extraction of the minor minerals from the diverted forest land; ;- प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड द्वारा यह निर्देश दिये गये कि श्रमिकों के पारदर्शी एवं unbiased engagement हेतु वन विकास निगम के स्तर से कोई procedure formulate नहीं किया गया है। अतः उत्तराखण्ड वन विकास निगम के उच्च अधिकारी इस हेतु एक स्थाई आदेश निर्गत करें।

Scanned by TapScanner

11(6)

(xi) Fifty percent of the net profit earned by the user agency from the collection of minor minerals shall be deposited to a Special purpose Vehicle (SPV) to be constituted by the Sate Government under the Chairmanship of the Chief Wildlife Warden, Government of Uttarakhand. The amount to be deposited in the SPV shall be used exclusively for river training activities and management & protection of forest & wildlife in vicinity of forest land diverted for collection of minor minerals. :- इस शर्त के क्रम में वन विभाग का यह मत है कि कार्यदायी संस्था द्वारा अपने Net Profit के 50 प्रतिशत को Special purpose Vehicle (SPV) गौला कार्पस में जमा नहीं किया जा रहा है, जबकि Net Profit का calculation कार्यदायी संस्था की balance sheet के आधार पर होना चाहिए। इस क्रम में क्षेत्रीय प्रबन्धक वन विकास निगम, रामनगर का यह कथन था कि गौला कार्पस में जितनी धनराशि जमा की जानी है उतनी ही जमा की जा रही है। बैठक में इस बात का भी उल्लेख हुआ कि पिछले वर्ष मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में आयोजित गौला कार्पस की बैठक, जिसमें प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम भी उपस्थित थे, में भी इस विषय पर चर्चा हुयी थी तथा बैठक के कार्यवृत्त में भी इस बात का उल्लेख है परन्तु अभी तक अन्तिम निर्णय नहीं हो सका है। इस क्रम में प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड ने यह निर्देश दिये कि प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम के साथ प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड की एक बैठक आयोजित की जाय जिसमें कार्यदायी संस्था के चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट तथा वन विभाग की ओर से भी एक चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट/एक्सपर्ट को भी बुलाया जायेगा, ताकि इस बिन्दु पर अन्तिम निर्णय लिया जा सके।

(xii) The total quantity of minor minerals extracted during a year shall not be more than 54.25 lakh cubic meter.- इस शर्त अनुपालन किया जा रहा है। किसी भी चुगान सत्र में 54.25 लाख घ0मी0 से अधिक उपखिनज के चुगान की अनुमति नहीं दी जाती है। क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, रामनगर ने यह अवगत कराया कि चूंकि प्रतिवर्ष वर्षा की मात्रा अलग–अलग होती है तथा नदी में वर्षा के जल के साथ बहकर आने वाले उपखनिज की मात्रा भी अलग–अलग होती है इसलिए प्रत्येक वर्ष नदी में उपखनिज की मात्रा का आंकलन किया जाना अत्यंत आवश्यक है तथा उस आंकलित मात्रा के अनुसार ही उपखनिज के चुगान की कार्यवाही सम्बन्धित चुगान सत्र में की जानी चाहिए। मुख्य वन संरक्षक, कुमांऊ ने भी नदी से उपखनिज को sustainably चुगान करने के लिए हर वर्ष किसी उच्च संस्थान से सर्वे कराये जाने पर सहमति व्यक्त की। इस क्रम में यह निर्णय लिया गया कि कार्यदायी संस्था द्वारा प्रत्येक वर्ष में दो बार मानसून से पूर्व जून के आखिरी सप्ताह में तथा मानसून के पश्चात सितम्बर के आखिरी सप्ताह में नदी तल में चुगान हेतु उपलब्ध उपखनिज की मात्रा का आंकलन Indian Institute of Soil and Water Conservation कौलागढ़ रोड, देहरादून के माध्यम से कराया जाना सुनिश्चित कर लिया जाय। तथा इस सर्वे रिपोर्ट के आधार पर ही नदी तल से उपखनिज का चुगान किया जाय।

(xiii) Extraction of minor minerals shall be restricted to the middle half of the width of river bed after leaving intact one fourth of width of the river bed along its each bank - प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक खनन, लालकुआं एवं हल्द्वानी द्वारा अवगत कराया गया कि इस शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है।

(xiv) To ensure maintenance of river geometry, collection of minor minerals during a working season shall start from centre of the river width and shall gradually extend to

Scanned by TapScanner

the boundary of the permissible area. The maximum permissible depth for collection of minor minerals at centre of the river width shall be limited to 3 meter and it shall gradually be reduced till it reaches boundary of the permissible zone.- प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक खनन, लालकुआं एवं हल्द्वानी द्वारा अवगत कराया गया कि इस शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है।

(xv) To regulate and maintain record of the quantity of minor minerals extracted during a season, the State Forest Department shall set up adequate number of check posts during the collection season.- इस शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है।

(xvi) Extraction of minor mineral shall be restricted from 1st October to 31st May of the subsequent year.- प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी द्वारा यह अवगत कराया गया कि उक्त शर्त का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है।

(xvii) Minor minerals shall be collected manually by using hand tools. Use of explosive and heavy machineries for breaking/collection of minor minerals shall be strictly prohibited.- प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक खनन, लालकुआं एवं हल्द्वानी द्वारा अवगत कराया गया कि इस शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है।

(xviii) Collection time shall be from sun-rise to sun-set. वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त द्वारा अवगत कराया गया कि इस शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है।

(xix) No labour camp shall be set up in the forest area for the labourers engaged in collection of the minor minerals. प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक खनन, लालकुआं एवं हल्द्वानी द्वारा अवगत कराया गया कि इस शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है।

(xx) Breaking of boulders shall be undertaken outside the forest boundaries. प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक खनन, लालकुआं एवं हल्द्वानी द्वारा अवगत कराया गया कि इस शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है।

(xxi) The labourers engaged in collection work shall be provided free of cost, fuel wood/alternate source of energy to avoid any pressure on adjoining forests. प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक खनन, लालकुआं एवं हल्द्वानी द्वारा अवगत कराया गया कि इस शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है।

(xxii) The boundary of the forest land being diverted shall be demarcated on ground at the project cost, by erecting four feet high reinforced cement concrete pillars, each inscribed with its serial number, DGPS coordinates, forward and back bearing and distance from adjoining pillars etc.- प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी द्वारा यह अवगत कराया गया कि चुगान क्षेत्र का सीमांकन पिलर्स के माध्यम से किया जा रहा है। प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी ने यह अवगत करांया कि सीमांकन तथा सुरक्षा मद में आवश्यक धनराशि चुगान शुरू होने से पूर्व प्राप्त न होने के कारण कठिनाईयां उत्पन्न हो रही हैं। इसलिए सीमांकन तथा सुरक्षा हेतु आवश्यक धनराशि चुगान सत्र शुरू होने से एक माह पूर्व निर्गत कर दिया जाना उचित होगा। क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, रामनगर द्वारा यह अवगत कराया गया कि वर्ष 2015 से मुख्य सचिव उत्तराखण्ड द्वारा यह निर्देश दिये गये हैं कि सीमांकन की धनराशि वन विकास निगम द्वारा सम्बन्धित प्रभाग को प्रभागीय

CamScanner
Scanned by TapScanner

11(6)

वनाधिकारी की मांग के अनुसार उपलब्ध करायी जायेगी। इसके क्रम में प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड द्वारा यह निर्देश दिये गये कि पिछले कुछ वर्षों से चली आ रही प्रक्रिया के अनुसार ही सीमांकन एवं सुरक्षा मद हेतु धनराशि वन विकास निगम के स्तर से ही निर्गत की जाय तथा इस हेतु सीमांकन की धनराशि की मांग सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी समय से प्रेषित करें जिससे कि प्रभाग को सीमांकन एवं सुरक्षा मद की धनराशि वन विकास निगम के स्तर से चुगान प्रारम्भ होने से पूर्व ही निर्गत कर दी जाय।

(xxiii) The forest land shall not be used for any purpose other than the specified in the proposal. मुख्य वन संरक्षक, कुमांऊ द्वारा यह अवगत कराया गया कि प्रत्यावर्तित आरक्षित वन भूमि का उपयोग उसी कार्य हेतु किया जा रहा है जिस हेतु उसका हस्तान्तरण किया गया है।

(xxiv) User agency shall submit annual self-monitoring report, indicating status of compliance to the conditions stipulated in the approval, to the State Government and the concerned Regional Office of this Ministry; इस शर्त का अनुपालन कार्यदायी संस्था से अभी भी अपेक्षित है। रिपोर्ट की एक प्रति वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त को भी प्रेषित की जाय।

(xxv) Any other condition that the Central Regional Office of this Ministry, Lucknow and the State Government of Uttarakhand may stipulate, from time to time, in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife and. भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा कोई अन्य शर्त अधिरोपित नहीं की गयी है।

(xxvi) The User Agency and the State Government shall ensure compliance to provisions of the all Acts Rules, Regulations and Guidelines for the time being in force as applicable to the project. प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक खनन, लालकुआं एवं हल्द्वानी द्वारा अवगत कराया गया कि इस शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है।

नन्धौर नदी–

प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग द्वारा यह अवगत कराया गया कि नन्धौर नदी के चुगान की अनुमति भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक सं. एफ. नं. 8–34/2016–एफ.सी. दि. 06.09.2017 से प्राप्त हुई है। तथा नन्धौर नदी में चुगान कार्यदायी संस्था को Environment Clearance देर से मिलने के कारण 02.04.2018 से उपखनिज चुगान प्रारम्भ हुआ है। प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग द्वारा समिति का भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की शर्त सं० (ii) की तरफ ध्यान आकृष्ट किया गया जिसके अनुसार "(ii) 25% of revenue realised from disposal of material from river beds shall be spent on river training and treatment of catchment area." उक्त शर्त का अनुपालन सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है। प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड द्वारा उत्तराखण्ड शासन से पत्राचार करने हेतु निर्देशित किया गया तथा इस विन्दु पर समिति की अगली बैठक में चर्चा करने हेतु निर्देशित किया।

Scanned by TapScanner

111(6)

कोसी एवं दाबका नदी–

प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पश्चिमी वन प्रभाग द्वारा यह अवगत कराया गया कि कोसी एवं दाबका नदी के चुगान की अनुमति भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक एफ. नं. 8–61/1999–एफ.सी. (pt-I) दि. 15.02.2013 तथा पत्रांक एफ. नं. 8–61/1999–एफ.सी. (pt-II) दि. 15.02.2013 से 10 वर्षो हेतु प्राप्त हुई है।

शारदा नदी–

प्रभागीय वनाधिकारी, हल्द्वानी वन प्रभाग द्वारा यह अवगत कराया गया कि शारदा नदी के चुगान की अनुमति भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक सं. एफ. नं. 8–61/1999–एफ.सी. (pt-III) दि. 11.02.2013 से प्राप्त हुई है।

प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड द्वारा कोसी, दाबका एवं शारदा नदी के विरूद्ध किये जाने वाले क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्रों के एक माह के अन्तर्गत स्थलीय निरीक्षण हेतु गौला की भाँति वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त तथा क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, कुमांऊ को निर्देशित किया। इसी प्रकार प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड ने यह निर्देश दिये कि चूकि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिरोपित शर्तो में से अधिकांश शर्ते एक समान हैं। अतः जिस प्रकार के निर्देश अनुपालन हेतु गौला नदी के संदर्भ में दिये गये हैं, उक्त समस्त निर्देश कोसी दाबका एवं शारदा नदियों के लिए भी प्रभावी होंगे।

(डी0के0 सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर
सदस्य सचिव–कोसी एवं दाबका

(डा0 चन्द्रशेखर सनवाल)
प्रभागीय वनाधिकारी
हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी
सदस्य सचिव–शारदा

(नीतीश मणि त्रिपाठी)
प्रभागीय वनाधिकारी
तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी
सदस्य सचिव–गौला एवं नन्धौर

अनुमोदित
01/06/18
(जय राज)
प्रमुख वन संरक्षक (HoFF),
उत्तराखण्ड, देहरादून।

Scanned by TapScanner

11(6)

प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड, देहरादून की अध्यक्षता में "गौला, कोसी–दाबका एवं शारदा से उपखनिज चुगान स्वीकृति सम्बन्धी भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा अधोरोपित शर्तों के अनुपालन की समीक्षा बैठक में उपस्थित अधिकारी एवं सदस्य

दिनांक 29.05.2018

स्थान–शताब्दी सभागार, वानिकी प्रशिक्षण अकादमी, हल्द्वानी।

क्र0सं0	नाम व पदनाम	हस्ताक्षर
1	डा. कपिल जोशी, मु.व.सं., कुमांऊ	
2	डा. पराग मधुकर धकाते व.स.प.नि.	
3	नीतीश मणि त्रिपाठी	
4	चन्द्रशेखर सनवाल	
5	डी० के० सिंह प्र० व० तराई पश्चिमी	
6	प्रकाश आर्य उ०प्र०व०अ० नन्धौर	
7	दिनेश चन्द्र पाण्डे W.T.I.	
8	प्रेम सिंह बोरा, UKFDC प्र०लौ०उ० रामनगर	
9	के० एस० रावत, प्र० लौ० प्र०, स्थल हल्द्वानी	
10	Harish Pal D.L.M Sharda	
11	N.K. Varshney D.L.M. Khanan Lalkuan	
12	Anees Ahmad D.L.M. Khanan Ramnagar	
13	MERAJ ANWAR, Ass. Coordinator WWF	
14	GAJENDRA KAINTURA - [illegible]	
15	[illegible] - DFO-TC	
16	G.C. Pant Regional Manager UTPBC Ramnagar	
17		
18		

Scanned with CamScanner

Scanned by TapScanner

11(6)

वन भूमि से बहने वाली गौला, कोसी, दाबका एवं शारदा नदियों से उपखनिज चुगान हेतु भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रदत्त स्वीकृतियों में अधिरोपित शर्तों के अनुपालन की समीक्षा हेतु प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में दिनांक 13.2.2017 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त।

उपस्थिति संलग्न है।

सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदय द्वारा उपस्थित सदस्यों का स्वागत करते हुए भारत सरकार की शर्तों के अनुपालन के सम्बन्ध में जानकारी चाही गई। प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग द्वारा अवगत कराया गया कि गौला, कोसी, दाबका एवं शारदा नदी में उत्तराखण्ड वन विकास निगम (प्रयोक्ता एजेन्सी) द्वारा वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत स्वीकृत शर्तों के अधीन उप खनिज चुगान किया जा रहा है। उप खनिज चुगान हेतु भारत सरकार द्वारा प्रदत्त स्वीकृति में प्रत्येक वर्ष समीक्षा हेतु अनुश्रवण समिति का गठन करने के निर्देश दिये गये हैं। तद्क्रम में आज की बैठक में भारत सरकार द्वारा अधिरोपित शर्तों के अनुपालन की समीक्षा की जानी है।

बैठक में अवगत कराया गया कि गौला नदी हेतु भारत सरकार द्वारा प्रदत्त स्वीकृति के अनुसार 1497 हैक्टेअर नदी तल से उपखनिज चुगान का कार्य वन विकास निगम द्वारा किया जा रहा है व भारत सरकार द्वारा लगायी गयी शर्तों के अनुसार गौला हाथी कारीडोर के संरक्षण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु नदी तल के चिन्हित 2.5 कि0मी0 क्षेत्र को चुगान हेतु प्रतिबन्धित किया गया है।

भारत सरकार द्वारा वन एवं वन्यजीवों की सुरक्षा हेतु SPV (कॉपर्स फण्ड) का गठन करने हेतु निर्देशित किया गया था व उक्त शर्त के अनुपालन में उत्तराखण्ड शासन द्वारा उक्त प्रयोजन हेतु कॉर्पस फण्ड का गठन कर दिया गया है व विभाग द्वारा भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार इस कॉपर्स फण्ड का उपयोग किया जा रहा है।

प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग द्वारा यह अवगत कराया गया कि भारत सरकार की शर्त के अनुसार उपखनिज चुगान से प्राप्त रिवर ट्रेनिंग, क्षतिपूरक वनीकरण मद की समस्त धनराशि की एडहोक कैम्पा की निधि में जमा किया जा रहा है। समय से कैम्पा निधि से धन प्राप्त न होने के कारण रिवर ट्रेनिंग, तथा सीमांकन का कार्य स–समय पूरा करने में कठिनाई हो रही है। प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड द्वारा बैठक में सुझाव दिया गया कि भारत सरकार को उक्त मदों में प्रेषित धनराशि का वन प्रभागवार विवरण तीन दिनों के अन्तर्गत प्रेषित किया जाय। उक्त धनराशि के उपयोग हेतु एक योजना भी तैयार कर ली जाय ताकि वर्षवार एक समयबद्ध तरीके से धनराशि का उपयोग किया जा सके। इसी प्रकार कैम्पा में सीमांकन, रिवर ट्रेनिंग कार्य व क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जमा धनराशि के सम्बन्ध में भी आवश्यक सूचना प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड कार्यालय को एक सप्ताह के अन्तर्गत प्रेषित कर दी जाय। सूचना प्राप्त होने के उपरान्त वांछित धनराशि अवमुक्त किये जाने की कार्यवाही की जाये। इस सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारियों द्वारा वांछित धनराशि का प्राक्कलन की प्रति प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड को तत्काल उपलब्ध कराई जाए।

भारत सरकार द्वारा जारी स्वीकृतियों में अधिरोपित विभिन्न शर्तो के अनुपालन की नदीवार विस्तृत समीक्षा की गई व जिन मामलों में वन विकास निगम द्वारा अग्रेत्तर कार्यवाही की जानी अपेक्षित है, उसे पूर्ण करने हेतु वन विकास निगम को बैठक में यथोचित निर्देश दिए गए।

Scanned by TapScanner

11(6)

इसके अतिरिक्त कतिपय महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर निम्न निर्णय लिए गए :

1– वन विकास निगम द्वारा प्रत्येक वर्ष खनन/चुगान सत्र प्रारम्भ होने से पूर्व दाबका एवं शारदा नदी की भॉति, गौला तथा कोसी नदी में भी वार्षिक खनन की मात्रा केन्द्रीय मृदा तथा जल संरक्षण प्रशिक्षण संस्थान (CSWCRTI), देहरादून के माध्यम से निर्धारित करायी जायेगी।

2– गोला, कोसी, दाबका एवं शारदा नदियों के कैचमेन्ट एरिया के भू–क्षरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों का प्राथमिकता के आधार पर का उपचार किया जाये।

3– गौला नदी में चुगान हेतु भारत सरकार द्वारा अधिरोपित शर्तों के बिन्दु सं0–6 के क्रम में आई0टी0बी0पी0 के भवनों/दीवार के शिफ्टिंग किये जाने के फलस्वरूप रिक्त भूमि व इसके समीपस्थ अवनत वन क्षेत्रों में वन्यजीवों के संरक्षण के दृष्टिगत सघनीकरण वृक्षारोपण किया जाय।

4– गौला नदी हेतु भारत सरकार द्वारा प्रदत्त स्वीकृति के बिन्दु सं0–8 के अनुपालन किये जाने पर वन विभाग, भारतीय वन्यजीव संस्थान व डब्लू.डब्लू.एफ. के प्रतिनिधियों के बीच वृहद विचार विमर्श हुआ व इस विषय पर सहमति बनी कि सुन्दरखाल क्षेत्र के निवासियों के पुनर्वास हेतु समस्त विकल्पों पर विचार किया जायेगा।

5– गौला नदी में चुगान हेतु भारत सरकार द्वारा प्रदत्त स्वीकृति के बिन्दु सं0–14 के अनुसार वन निगम द्वारा यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि नदियों से उप खनिज के दौहन के दौरान निर्धारित गहराई के मानको का पूर्ण अनुपालन हो।

6– वन विभाग व वन विकास निगम द्वारा भारत सरकार द्वारा अधिरोपित शर्तों के अनुपालन की समीक्षा हेतु प्रत्येक तीन माह में नदियों का स्थलीय निरीक्षण किया जायेगा।

7– भारत सरकार द्वारा अधिरोपित शर्त संख्या– 24 के अनुसार वन निगम (प्रयोकता अभिकरण) वार्षिक स्व–मूल्यांकन रिपोर्ट वन विभाग, उत्तराखण्ड सरकार तथा MoEFCC के क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून को प्रेषित करेंगे।

8– डब्ल्यू0डब्ल्यू0एफ0 के प्रतिनिधि को मुख्य वन संरक्षक कुमाऊं नैनीताल द्वारा यह अवगत कराया कि नैनीताल वन प्रभाग हेतु वन तथा वन्यजीव संघर्ष को न्यून करने हेतु तकनीकी तथा रेसक्यू संसाधन वन विभाग को उपलब्ध कराये जाएँ, जिस पर डब्ल्यू0डब्ल्यू0एफ0 के प्रतिनिधि द्वारा बैठक में सकारात्मक आश्वासन दिया गया। इस सम्बन्ध में मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड के माध्यम से डब्लू.डब्लू.एफ. को एक प्रस्ताव भेजा जाये।

9– निर्धारित गहराई से अधिक खनन किये जाने के मामले प्रकाश में आने अथवा नदी तल पर अनुमन्य 50 प्रतिशत क्षेत्र से बाहर खनन के मामले प्रकाश में आने पर वन विकास निगम द्वारा ऐसे स्थानों को चिन्हित कर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि नदी में निर्धारित मानक से अधिक गहराई तक खनन न किया जाय।

समिति की बैठक के अन्त में उपस्थित समस्त सदस्यों को धन्यवाद व्यक्त किया गया।

Scanned by TapScanner

11(6)

कार्यालय, प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून.

85—राजपुर रोड फोन—0135—2746934, फैक्स 0135—2741630 Mail Id. pccfuk@gmail.com

पत्र संख्या पी.ओ. / 868 दिनांक, देहरादून, फरवरी 13, 2017

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. प्रमुख वन संरक्षक (वन्य जीव)/मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड।
2. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम।
3. अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, देहरादून।
4. मुख्य वन संरक्षक (कुमांऊ), उत्तराखण्ड, नैनीताल।
5. वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।
6. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, क्षेत्रीय कार्यालय, एफ.आर.आई. कैम्पस, देहरादून।
7. प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी/हल्द्वानी/तराई पश्चिमी वन प्रभाग।
8. निदेशक वन्य जीव संस्थान (द्वारा नामित प्रतिनिधि), चन्द्रबनी, देहरादून।
9. डब्ल्यू.डब्ल्यू.एफ इंडिया (द्वारा नामित प्रतिनिधि) राजपुर रोड, देहरादून।
10. डब्ल्यू.टी.आई. इंडिया (द्वारा नामित प्रतिनिधि), नोएडा।
11. संस्कार संस्था (द्वारा नामित प्रतिनिधि), छोटी हल्द्वानी, कालाढूंगी (नैनीताल)।
12. आई.यू.सी.एन. इंडिया (द्वारा नामित प्रतिनिधि), नई दिल्ली।

(राजेन्द्र कुमार)
प्रमुख वन संरक्षक,
उत्तराखण्ड।

Scanned by TapScanner

11(6)

प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में दिनांक 13.02.2017 को मन्थन सभागार, देहरादून में गौला, कोसी, दाबका एवं शारदा नदी में उपखनिज चुगान हेतु दी गयी सशर्त अनुमति के अनुपालन में उत्तराखण्ड शासन के आदेश संख्या 14–1/X-3-13-08(14)/2008-TC दि. 29.01.2013 द्वारा गठित अनुश्रवण समिति की बैठक में उपस्थिति–

क्र0सं0	अधिकारी का नाम/पदनाम	मोबाइल नं0	हस्ताक्षर
1			
2	S.T.S. Lepcha	9412071394	[signature]
3			
4	J. S. Suhag APCCF	9568009213	[signature]
5	Dr. Rajendra Seth CCF KU, Nainital	9458192126	[signature]
6	Bhuwan Chandra CCF Shivalik	9458192131	[signature]
7	NITISH MANI TRIPATHI, DFO TE	7830811111	[signature]
8	BIVASH PANDAV, WII	9412057152	Bivash
9	aksingh@wwfindia ANIL KUMAR SINGH WWF India	9760111709	Anil Kumar Singh
10	DR. C. S. SANWAL DFO-Haldwani	7579009817	[signature]
11	SUBHASH CHANDRA DFO, Terai West, Ramnagar	9412933928	[signature]
12	Dhananjai Mohan, APCCF(WL)	9410393913	[signature]
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

D:\Umesh\Documents\Gola\Minutes of Gola Monitaring.doc

Scanned by TapScanner

संलग्नक – 11(7)

प्रेषक,

सुशांत पटनायक
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

संख्या– /X–3–10–11(14)/2009

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग–3

देहरादून: दिनांक:– 14 दिसम्बर, 2010

विषय:– भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा पश्चिमी वृत्त, नैनीताल के अन्तर्गत गौला नदी तल से उपखनिज चुगान हेतु जारी स्वीकृति की शर्तों के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या–क–639/9–2(3) दिनांक 14 सितम्बर, 2010 तथा प्रमुख वन संरक्षक (वन्य जीव)/मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या–530/12–1 दिनांक 13 सितम्बर, 2010 (जो आपको भी पृष्ठांकित है) का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र संख्या–F.No.8-61/1999-FC दिनांक 09 फरवरी, 2010 द्वारा प्रदत्त पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्त संख्या–16 में गौला नदी तल से उप–खनिजों के चुगान से प्राप्त आय (Earnings) को मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड के नियंत्रणाधीन कार्पस फण्ड में डालने का उल्लेख है। तत्क्रम में शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त "गौला नदी कार्पस निधि" का गठन निम्नलिखित शर्तों के अधीन किये जाने का निर्णय लिया गया है:–

(i) गौला नदी उप–खनिज के चुगान से उत्तराखण्ड वन विकास निगम को प्राप्त लाभांश के घटक को "गौला नदी कार्पस निधि" के रूप में गठित कर पूर्व में स्थापित व्यवस्था के अधीन वन जमा (Forest Deposit) में डाला जायेगा।

(ii) गौला नदी कार्पस निधि में जमा धनराशि का उपयोग प्रख्यापित गाईडलाईन्स/नियमावली के अनुसार मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में गठित निम्नलिखित समिति के अनुमोदनोपरान्त वार्षिक कार्य योजना के अनुसार एवं सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी की मांग के अनुरूप डी0सी0एल0 (DCL) वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त द्वारा जारी किया जायेगा:–

• मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड	–	अध्यक्ष
• प्रमुख वन संरक्षक, परियोजनाएं, उत्तराखण्ड	–	सदस्य
• अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन	–	सदस्य
• मुख्य वन संरक्षक, कुमाँऊ	–	सदस्य

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Scanned by TapScanner

- मुख्य वन संरक्षक, ऑडिट, मूल्यांकन एवं अनुश्रवण — सदस्य
- प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल वन विकास निगम के प्रतिनिधि — सदस्य
- वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड — सदस्य
- वित्त नियंत्रक, वन विभाग, उत्तराखण्ड — सदस्य
- सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड — सदस्य
- प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी — सदस्य–सचिव

3– इसके अतिरिक्त उक्त गठित निधि के व्यय के सम्बन्ध में नियमावली/गाईडलाईन्स का प्रस्ताव यथाशीघ्र शासन के अनुमोदन हेतु उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

कृपया उपरोक्तानुसार यथावश्यक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय

(सुशांत पटनायक)
अपर सचिव।

संख्या– 878/X–3–10, तददिनांकित।

प्रतिलिपि:–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रमुख वन संरक्षक (वन्य जीव)/मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. प्रमुख वन संरक्षक, परियोजनाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, देहरादून।
6. अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, देहरादून।
7. प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल वन विकास निगम।
8. मुख्य वन संरक्षक, ऑडिट, मूल्यांकन एवं अनुश्रवण, देहरादून, उत्तराखण्ड।
9. मुख्य वन संरक्षक, कुमांऊ, नैनीताल, उत्तराखण्ड।
10. वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड।
11. वित्त नियंत्रक, वन विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
12. सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।
13. प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी।
14. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(सुशांत पटनायक)
अपर सचिव।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Scanned by TapScanner

संलग्नक – 11 (8) 11(8)

वन एवं पर्यावरण अनुभाग–3
संख्या– 123 /X–3–2013–8(14)2009
देहरादूनः दिनांक–29 ~~दिसम्बर~~ जनवरी, 2013

कार्यालय ज्ञाप

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रदत्त स्वीकृति की शर्तों के अनुपालन के क्रम में इस राज्य सरकार के शासनादेश संख्या 878/X–3–10–08(14)/2009, दिनांक 14 दिसम्बर, 2010 के अनुसार गौला नदी, शासनादेश संख्या 383/X–3–10–8(14)/2009, दिनांक 30 मई, 2012 के अनुसार शारदा नदी तथा शासनादेश संख्या 177/X–3–10–08(14)/2009, दिनांक 30 मई, 2012 के अनुसार कोसी व दाबका नदियों के नदी तल से उप खनिज चुगान के विषय में समग्र निधि (Corpus Fund)/विशेष उद्देश्य वाहिका (Special Purpose Vehicle) का गठन किया गया है। इस निधि/SPV में जमा निधि का उपयोग उप खनिज चुगान हेतु अनुमत वन भूमि के निकटवर्ती एवं चुगान प्रभावित क्षेत्र में River Training क्रियाकलापों तथा वन एवं वन्य जीव (Forest & Wild Life) के प्रबन्धन व संरक्षण हेतु उपयोग किया जायेगा। इस संबंध में गठित समग्र निधि/SPV के उपयोग, प्रबन्धन, प्रशासन तथा संचालन हेतु निम्नानुसार दिशा–निर्देश जारी करने का निर्णय लिया गया है :–

2–वार्षिक कार्य योजनाः–

उक्त निधि के उपयोग हेतु वार्षिक कार्य योजना भारत सरकार द्वारा संसूचित तथा पूर्वोक्त प्रस्तर में उल्लिखित उद्देश्यों/कार्यों की पूर्ति हेतु तैयार की जायेगी। इस योजना को मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में शासन द्वारा गठित समिति के स्तर पर स्वीकृत किया जायेगा। इस संबंध में निम्नलिखित बिन्दुओं की परिपालना की जायेगी –

(I) सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अपने प्रभाग के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यों का स्थलवार औचित्यपूर्ण विवरण तथा उनके लिये प्रस्तावित कार्यों पर होने वाले व्यय व भौतिक लक्ष्यों का विवरण वार्षिक कार्य योजना में उल्लिखित किया जायेगा।

(II) आगामी वर्ष हेतु वार्षिक कार्य योजना प्रत्येक दशा में माह फरवरी में 15 फरवरी तक पूर्ण कर समिति के सम्मुख प्रस्तुत की जायेगी। उक्त प्रस्तावित वार्षिक कार्य योजना को समिति के समक्ष प्रस्तुत करने से पूर्व सम्बन्धित वन संरक्षक के स्तर पर यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा तथा प्रमाणित किया जायेगा कि प्रभागों का प्रस्ताव पूर्वोक्त वर्णित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आवश्यक है तथा कार्यों हेतु प्रस्तावित दरें सक्षम स्तर से अनुमोदित दर अनुसूची/अधिप्राप्ति नियमावली व वित्तीय सिद्धान्तों के अनुसार है।

(III) खनन की प्रश्नगत नदियों के उच्च कैचमैण्ट में स्थित प्रभागों द्वारा भी निधि से पूर्वोक्त उद्देश्यों/कार्यों की पूर्ति हेतु कार्य कराये जा सकेंगे, परन्तु उनके द्वारा पृथक से वार्षिक योजना बनाकर खनन लॉट के मूल प्रभाग की वार्षिक योजना के साथ समिति के सम्मुख अनुमोदन करने हेतु प्रस्तुत करना होगा।

D/2013/Karyalay Gyap

Scanned with CamScanner

Scanned by TapScanner

(IV) वार्षिक कार्ययोजना के निरूपण के लिए वन्य जीव प्रबन्धन, जल एवं मृदा संरक्षण, हाईड्रोलॉजी के विषयों में दक्षता रखने वाले विशेषज्ञ संस्थानों का मार्गदर्शन प्राप्त किया जायेगा। वार्षिक कार्ययोजना के साथ प्रभागों द्वारा स्थलीय स्थिति को दर्शाने व प्रमाणित करने के लिए फोटोग्राफ तथा सम्बन्धित पुष्ट आंकड़े प्रस्तुत किये जायेंगे।

3—समिति की बैठक :—

(I) मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक में प्रत्येक प्रभागीय वनाधिकारी से प्राप्त वार्षिक कार्य योजना में वर्णित कार्यो एवं प्रस्तावित व्यय पर समीक्षा के उपरान्त यथावश्यक संशोधन/सुझाव के साथ वित्तीय वर्ष आरम्भ होने से पूर्व अनुमोदन प्रदान किया जायेगा।

(II) समिति की बैठकें प्रत्येक तीन माह में एक बार की जायेंगी तथा आवश्यकता पड़ने पर मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक द्वारा विशेष बैठक भी बुलाई जा सकेगी।

(III) बैठक का कोरम दो तिहाई (2/3 rd) सदस्यों की उपस्थिति में माना जायेगा।

4— कार्यो का विवरण :—

(I) उक्त समग्र निधि (Corpus Fund) से चुगान व उसके निकटवर्ती क्षेत्र में River Training क्रियाकलाप तथा वन व वन्य जीव के प्रबन्धन एवं संरक्षण से सम्बन्धी कार्यो की अनुमन्यता हेतु समिति द्वारा समय—समय पर मार्गदर्शक सूची निर्गत की जायेगी, जिसके आधार पर प्रभागों द्वारा वार्षिक कार्ययोजना के कार्य सम्मिलित किये जायेंगे।

(II) कार्पस निधि से सम्पन्न कराये गये सभी कार्यो का सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिवर्ष फोटो अभिलेखीकरण कराना भी अनिवार्य होगा।

5—वित्तीय प्रक्रिया :—

(I) इन नदियों में उप—खनिज के चुगान से उत्तराखण्ड वन विकास निगम को प्राप्त लाभांश के निर्धारित घटक को समग्र निधि (Corpus Fund) के रूप में गठित कर पूर्व में स्थापित व्यवस्था के अधीन वन जमा (Forest Deposit) में डाला जायेगा व अलग मद के रूप में संचालित किया जायेगा।

(II) वार्षिक कार्य योजना के अनुसार तथा मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में गठित समिति के अनुमोदनोपरान्त सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी की मांग पर सक्षम स्तर/वन संरक्षक द्वारा जारी स्वीकृति के उपरान्त निधि में जमा धनराशि का उपयोग प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा किया जा सकेगा।

(III) उक्त समग्र निधि से व्यय के लिए समस्त वित्तीय नियमों/अभिप्राप्ति नियमावली का अनुपालन किया जायेगा तथा प्रचलित वित्तीय नियमों के अनुसार समस्त लेखा अभिलेख संधारित किये जायेंगे। व्यय करने से पूर्व वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन तथा वित्तीय तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति से सम्बन्धित सभी प्रचलित प्राविधानों की अनुपालना सुनिश्चित की जायेगी।

(IV) उक्त निधि की अधिकतम 5 प्रतिशत धनराशि निधि से कराये गये कार्यों के अनुश्रवण व मूल्यांकन हेतु व्यय की जा सकेगी।

(V) उक्त निधि के सापेक्ष लेखा परीक्षा प्रत्येक वर्ष महालेखाकार द्वारा की जायेगी।

D/2012/Karyalay Gyap

Scanned with CamScanner

Scanned by TapScanner

6–अनुश्रवण एवं मूल्याँकन :–

कार्पस निधि के अन्तर्गत कराये गये समस्त कार्यों का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन निम्नानुसार किया जायेगा :–

अ– विभागीय मासिक प्रपत्रों के माध्यम से।

ब– मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा।

स– क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा समय–समय पर निरीक्षण के माध्यम से।

योजना के अन्तर्गत कराये गये/कराये जाने वाले समस्त कार्यों का गहन अनुश्रवण व मूल्यांकन प्रत्येक छः माह में क्रमशः सितम्बर व मार्च में मुख्य वन संरक्षक अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के स्तर से भी किया जाना आवश्यक होगा।

7–अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के संकेतक :–

उपरोक्त निधि से कराये गये वन्य जीव प्रबन्धन एवं वन संरक्षण आदि के समस्त कार्यों के अनुश्रवण हेतु प्रत्येक प्रभाग के अन्तर्गत स्थल विशिष्ट संकेतक निर्धारित किये जायेंगे। इन संकेतकों को प्रभाग की वार्षिक कार्य योजना में सम्मिलित किया जायेगा। योजना क्रियान्वयन के प्रथम वर्ष से आंकड़ों को निर्धारित रजिस्टर में अभिलेखित किया जायेगा एवं तदनुसार आगामी प्रत्येक वर्ष में आंकड़े प्राप्त कर संधारित किये जायेंगे, जिससे योजना के अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यो के गुणात्मक प्रभाव का आँकलन किया जा सके। अनुश्रवण के मुख्य संकेतक निम्न प्रकार चिन्हित किये जा सकते हैं :–

क– वन्य जीवों के आवागमन एवं उपस्थिति में बदलाव।

ख– वन्य जीव अपराधों की स्थिति में परिवर्तन।

ग– क्षेत्र की जैव विविधता की स्थिति में बदलाव।

घ– जल स्रोतों की स्थिति।

च– निकटवर्ती वनों पर जैविक दबाव की स्थिति।

छ– जन सहयोग की स्थिति में परिवर्तन।

8–प्रभाग की दस वर्षीय कार्य योजना से डव–टेलिंग :–

भारत सरकार द्वारा गौला, शारदा, कोसी व दाबका नदियों के चुगान की स्वीकृति के आदेश में उक्त वर्णित कार्पस निधि सृजित करने के निर्देशों से नवीन स्थिति उत्पन्न हुई है, जिसका सम्पूर्ण प्राविधान प्रभागों की विभागीय कार्य योजनाओं में नहीं है। ऐसी दशा में प्रभागीय वनाधिकारियों द्वारा उप खनिज कार्पस निधि के माध्यम से कराये जाने वाले कार्यों को प्रभागों की चालू कार्य योजनाओं से डव–टेल करने हेतु मुख्य वन संरक्षक, कार्य योजना की अनुमति से कार्य योजनाओं में सम्मिलित किया जायेगा।

(एस0 रामास्वामी)
प्रमुख सचिव

D/2012/Karyalay Gyap

Scanned with CamScanner

Scanned by TapScanner

संख्या– 123 /X–3–12, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रमुख वन संरक्षक (वन्य जीव)/मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. प्रमुख वन संरक्षक, परियोजनाऐं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, देहरादून।
5. मुख्य वन संरक्षक, कुमॉऊ,उत्तराखण्ड, नैनीताल।
6. मुख्य वन संरक्षक, ऑडिट, मूल्यांकन एवं अनुश्रवण, देहरादून, उत्तराखण्ड।
7. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, देहरादून।
8. वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
9. वित्त नियंत्रक, वन विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
10. सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।
11. प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(मनोज चन्द्रन)
अपर सचिव

Scanned with CamScanner

Scanned by TapScanner